खण्ड-332, अंक-8
सोमवार, 11 वैशाख, शक संवत् 1900
(1 मई, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 332 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१०३७–१०४०
प्रश्नोत्तर	१०४१–१०८०
ग्राम कुम्हिया, प्रतापगढ़ के भट्ठे पर के आदिवासियों का मदोखर, रायबरेली के दरोगा, श्री त्रिलोकी नाथ सिंह द्वारा पिटाई एवं गिरफ्तारी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान म लाना	१०८०–१०८१
खेत में जले हुए गन्ने की रिकवरी टेस्ट करके तुरन्त क्रय करने के आदेशों का सीतापुर की चीनी मिलों द्वारा उल्लंघन करने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१०८१
ग्राम चन्दीखेड़ा, तहसील मोहनलाल गंज, लखनऊ में अग्नि–काण्ड के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१०८१–१०८२
उन्नाव जनपद में आपात्काल में निकाले गये कृषि अमीनों व चपरासियों द्वारा अनशन तथा सेवा में पुनः लिये जाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१०८२
वाराणसी में व्याप्त अराजकता के फलस्वरूप मड़वाडीह से मुगलसराय जी० टी० रोड में रात में पेट्रोल पम्प बन्द रहने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१०८३
कठकुइयां चीनी मिल, देवरिया द्वारा गन्ना क्रय न किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१०८३–१०८४
गन्ना विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१०८४
आपात्काल में मीसा व डी० आई० आर० में निरुद्ध व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित पुस्तिका में सम्बन्धित शासनादेशों का उल्लेख न होने के सम्बन्ध में आपत्ति ..	१०८४–१०८५
कतिपय सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन की सूचना ..	१०८५
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	१०८५–१०८६
१९७८–७९ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या ४३––सहकारिता, अनुदान संख्या ५३––पशुपालन, अनुदान संख्या ५४––दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या ५५––मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ७६––सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ८३––पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५––ऋण और अग्रिम–सहकारिता (स्वीकृत)	१०८६–११४४
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	११४४

विषय	पृष्ठ संख्या
स्वदेशी काटन मिल, कानपुर के लापता मजदूरों के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन ..	११४४
स्वायत्त शासन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम के अभियन्ताओं की सेवा (पब्लिक हेल्थ ब्रांच) विनियम, १९७७ को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	११४४–११४८
बढ़े हुए लगान तथा भूमि विकास कर की वसूली के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन ..	११४८
नत्थी	११४९–११५०

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १ मई, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में ११ बज कर ३ मिनट पर अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३०३

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इस्माईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजो प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री

जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
श्याम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम बर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिखान सिंह, श्री

मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल वेहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उस्मान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मोजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लाल दास, श्री
लोलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शंकर सिंह, श्री

शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट--गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं ।

सोमवार, १ मई, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पीलोभीत–मझोली, पीलोभीत–बोसलपुर, पीलीभीत–पूरनपुर मार्गों पर सरकारी तथा प्राइवेट बसों की संख्या तथा इनका किराया

**१––डाक्टर बाबूराम प्रभाती (जिला पीलोभीत) (अनुपस्थित)––

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद में पीलीभीत–मझोली, पीलीभीत–बोसलपुर, पीलीभीत-पूरनपुर मार्गों पर कितनी बसें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की चल रही हैं तथा कितनी प्राइवेट चल रही हैं इनका किराया एवं दूरी क्या है तथा बसों की संख्या क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली) ––

पीलीभीत–मझौली की दूरी २७ कि० मी० है । इसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की २१ अप और २१ डाउन सेवायें चल रही हैं । इसके अतिरिक्त १३ प्राइवेट गाड़ियां ए० ओ० सी० सी० देकर निगम के अधीन चल रही हैं । इसका किराया १·७५ रु० प्रति सवारी है ।

पीलीभीत–बोसलपुर की दूरी ३६ कि० मी० है । इसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कोई भी गाड़ी नहीं चल रही हैं । क्योंकि अभी इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है । इसमें २३ प्राइवेट गाड़ियां स्थायी परमिट लेकर चल रही हैं और इसका किराया २·५५ रुपया प्रति सवारी है ।

पीलीभीत–पूरनपुर की दूरी ४३ कि० मी० है । इसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ७ अप और ७ डाउन सेवायें चल रही है इसके अतिरिक्त निगम के १३ अधीन प्राइवेट गाड़ियां ए० ओ० सी० सी० देकर चल रही हैं । इसका किराया ३·१० रुपया प्रति सवारी है ।

एच० आर० शुगर फैक्ट्री, बरेली में मजदूरों के प्राविडेन्ट फण्ड की धनराशि

**२––श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)––

क्या गन्ना विकास मन्त्री को इसकी जानकारी हैं कि एच० आर० शुगर फैक्ट्री, बरेली द्वारा लगभग १३ लाख रुपया मजदूरों के वेतन से भविष्य निधि का काट लेने के बाद भी मजदूरों के खाते में जमा न करके गोलमाल कर देने तथा इस अदायगी के लिए सरकार द्वारा दिए गए ११ लाख रुपये को भी मजदूरों को न देने के विरोध में आजकल वहां मजदूर नेता भूख हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गन्ना विकास मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)--

दिनांक २१-२-१९७८ से फैक्टरी की एक यूनियन के मजदूर नेता फैक्टरी गेट पर अपनी मांगों के समर्थन में, जिसमें भविष्य निधि के पुराने मालिकों के समय का रु० ९·९० लाख एवं वर्तमान प्रबन्धकों के समय का रु० ३·२३ लाख जमा कराने की मांग भी सम्मिलित थी, श्रमिक अनशन पर थे जो कि ३-४-७८ से आमरण अनशन में परिणित हो गया एवं आमरण अनशन ८-४-१९७८ को समाप्त हो गया। मार्च, १९७८ में इस चीनी मिल को ११ लाख रुपये गन्ना मूल्य खाते से दिये गये थे जिसमें से भविष्य निधि का रु० ३·२३ लाख रुपया जमा कर दिया गया है। पुराने मालिकों से उपरोक्त भविष्य निधि की बकाया धनराशि वसूल किये जाने का मामला भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर द्वारा कोर्ट में दायर कर दिया है जहां वह विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मजदूर नेता जो अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे, उनके भविष्य निधि के प्रश्न को छोड़कर अन्य उनकी क्या-क्या मांगें थीं और उनके सम्बन्ध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

कुछ उसमें वेतन की भी मांगें थीं। मार्च तक का जो ११ लाख रुपया उसमें दिया गया है उसमें वेतन भी उनको दिया गया है और भविष्य निधि का रुपया रिसीवर के जमाने से था वह भी निपटा दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, मैंने यह जानना चाहा था कि उनकी कौन-कौन सी मांगें थीं और शासन उनमें क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

भविष्य निधि को छोड़कर और क्या-क्या मांगें थीं ?

श्रीमती चन्द्रावती--

भविष्य निधि और वेतन से सम्बन्धित मांगें थीं और उनकी सुनवाई कर ली गई है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, वे मांगें मेरे पास हैं और मैं उन्हें पढ़ सकता हूं। अगर उन मांगों के ऊपर की गई कार्यवाही की जानकारी हमें न मिल सकी तो हमारे प्रश्न का जो उद्देश्य था वही निरस्त हो जायेगा। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसे आप कृपया स्थगित कर दें। कल परसों फिर आ जायेगा अन्यथा इसका महत्व ही समाप्त हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न को स्थगित किया जाता है।

**३--श्री हरिकेवल प्रसाद--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित।]

तारांकित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

*१––श्री मुनीन्द्र पल सिंह––

[८ वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

ग्राम प्रधान, ग्राम सकहन राजपूतान, जिला उन्नाव के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

*२––श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर), श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया), श्री राम आसरे (जिला बस्ती) तथा श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)––

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जिले के ग्राम सकहन राजपुतान के निवासियों ने ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज के धन का गोल–माल किए जाने व गम्भीर भ्रष्टाचार सम्बन्धी एक प्रार्थना–पत्र १८ नवम्बर, १९७७ को उन्हें दिया था जिस पर मंत्री जी ने यह आदेश दिया था कि सारे ही मामले की जांच की जाय तथा समस्त कागजात सील कर लिए जायं, तद्नुसार सम्बन्धित समस्त आरोपों की जांच ए० डी० एम० पी० द्वारा की गयी और समस्त शिकायतें सही पाई गयीं ? यदि हां, तो उक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)––

जी हां । इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास), उन्नाव द्वारा जांच अभी जारी है । जांच पूरी हो जाने पर यदि आरोप सही पाये गये तो प्रधान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी––

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या–क्या आरोप इस प्रधान के विरुद्ध लगाये गये थे और उसके सम्बन्ध में जांच की अन्तरिम रिपोर्ट क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद––

जो शिकायती पत्र था और उसमें जो आरोप लगाये गये थे, उन्हें मैं पढ़कर सुना दूं....

श्री अध्यक्ष––

उसमें क्या शिकायतें थीं, वह आप बता दें ताकि सदन का समय नष्ट न हो ।

श्री जमुना प्रसाद––

उनके खिलाफ यह आरोप था कि उन्होंने एक झूठा मुकदमा बनाया था और यह भी आरोप है कि १९७६–७७ में ४५० रु० का लोना बेचा था, किन्तु उनकी रसीद ५० रुपये की ही काटी थी । इस प्रकार की शिकायतें हैं ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी––

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि इस ग्राम प्रधान के विरुद्ध धन सम्बन्धी भ्रष्टाचार के आरोप के अन्तर्गत परगनाधिकारी ने इसे दंडित किया था और यह भी सही है कि इस ग्राम प्रधान ने दंडित होने के बाद भी अपने अधिकारी क्षेत्र का दुरुपयोग करके दुबारा भ्रष्टाचार किया ? यदि दंडित किया था तो यह दंड क्या था जो परगना अधिकारी ने दिया था ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बाबूराम शुक्ल—

मान्यवर, इस ग्राम प्रधान के विरुद्ध आरोप-पत्र १८ नवम्बर, १९७७ को दिया गया था । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि १८ नवम्बर, १९७७ को पत्र भेजने के बाद जांच कब शुरू हुई और अभी जांच पूरी होने में कितना समय लग जाने की संभावना है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, २३ नवम्बर, १९७७ को जांच करने के लिए आदेश दिये गये और उसके बाद उनको ६-२-७८, १०-२-७८, १७-४-७८, २९-४-७८ को रिमाइंडर भेजे गये कि जांच रिपोर्ट भेजी जाय ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

सरकार की तरफ से जिस अधिकारी को जांच सुपुर्द की गई और जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि कितने ही रिमाइंडर उनको भेजे गये तो क्या उस अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, हम तो यह आशा करते हैं कि जांच होकर आ जायेगी इसी लिए रिमाइन्डर भेजे गये हैं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानों की इस तरह की शिकायतों पर क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों को भंग किया गया तो क्या ग्राम पंचायतों को भी भंग करने का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो विस्तृत सवाल है, इससे यह नहीं निकलता है ।

श्री मैनेजर सिंह—

सूचना तो दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप इस प्रश्न को लेकर तमाम नीति विषयक प्रश्न पूछने लगेंगे ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मान्यवर, क्या प्रथम सूचना के आधार पर उस ग्राम प्रधान को सस्पेंड किया गया है यदि नहीं किया गया तो क्या उसका रिकार्ड सील करेंगे और उसको सस्पेंड करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, जांच रिपोर्ट आ जायेगी उसके आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, रिपोर्ट कितने दिन में आ जायेंगी ? ६ महीने इस प्रश्न को हो गये हैं । तो क्या सरकार इतनी असहाय है कि ए० डी० एम० जब चाहेंगे तब रिपोर्ट देगें । जिस ए० डी० एम० से जांच कराई है उसने आपके आदेश की अवज्ञा की है । स थ ही साथ इससे प्रश्न पूछने का उद्देश्य भी बिलकुल समाप्त हो जाता है ।

श्री विजय राज सिंह, (जिला बुलन्दशहर)--

मंत्री जी ने बताया कि उस ग्राम प्रधान को परगना अधिकारी ने दंडित किया...

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं कहा । यह कहा कि जांच चल रही है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २३-११-७७ को जो उन्होंने जांच के आदेश जारी किये तो क्या उसी में यह भी कहा कि कागज पत्र सील कर दिये जायं । तो क्या उस अधिकारी ने प्रधान के कागज सील कर दिये ? यदि नहीं किये, तो क्या उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, वह कागज सील कर लिये गये हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

महबूबगंज बाजार, फैजाबाद में औषधालय संचालन का निर्णय

*१--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक ३० जुलाई, १९७७ को जिला परिषद्, फैजाबाद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके महबूबगंज बाजार में एक औषधालय संचालित करने का निश्चय किया है और वहां की गांव सभा ने औषधालय के भवन निर्माण हेतु ढाई बिस्वा भूमि सुरक्षित कर रखी है और भवन बनाने में हर प्रकार की सहायता देने तथा फिलहाल निःशुल्क इमारत देने की पहल की है ? यदि हां, तो अब उक्त औषधालय को चालू करने में क्या कठिनाई है और यह औषधालय कब तक चालू हो जाएगा ?

श्री जमुना प्रसाद--

दिनांक ३०-७-७७ को बैठक में जिला परिषद्, फैजाबाद ने प्रस्ताव पारित कर महबूबगंज बाजार में एक औषधालय संचालित करने का निर्णय लिया था ।

ग्राम सभा द्वारा औषधालय के भवन निर्माण हेतु ढाई बिस्वा जमीन सुरक्षित कर दी गई है । जब तक परिषदीय भवन का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक के लिये निःशुल्क भवन की व्यवस्था है ।

वैद्य, चपरासी व चौकीदार के पदों का सृजन मंडलायुक्त के आदेश दिनांक २५-१-७८ द्वारा दिनांक २८-२-७९ तक के लिये कर दिया गया है । औषधालय का संचालन ६ मार्च, १९७८ से कर दिया गया है ।

यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन सखौती टाण्डा चीनी मिल में श्रमिकों की अधिसमय भत्ते तथा व्यय भार में वृद्धि

*२--श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० के अधीन सखौता टाण्डा चीनी मिल में अधिसमय भत्ते तथा आकस्मिक श्रमिकों पर व्यय का भार १९७२-७३ की अपेक्षा १९७६-७७ में दो गुने से भी अधिक बढ़ गया है ? क्या यह सही है कि उस मिल में कर्मचारियों की कुल संख्या निर्धारित संख्या से कहीं अधिक है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? तथा प्रबन्धकों ने अधिक समय भत्ते और वेतन व्यय को कम करने के लिए क्या निश्चित कदम उठाए हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती --

यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन के अधीन सखौती टांडा चीनी मिल में श्रमिकों की अधिसमय भत्ते में वर्ष १९७२-७३ की तुलना में वर्ष १९७६-७७ में लगभग ३७ प्रतिशत वृद्धि हुयी है । जहां तक तुलनात्मक वर्ष में आकस्मिक श्रमिकों पर व्यय भार का सम्बन्ध है उसमें नाम-मात्र की ही वृद्धि हुई है । यह सही है कि सखौती टांडा में कर्मचारियों की कुल संख्या निर्धारित संख्या से अधिक है जिसके मुख्यतः दो कारण हैं :--

१--पुरानी प्लान्ट तथा मशीनरी होने के कारण अधिक जनशक्ति की आवश्यकता ।

२--अधिग्रहण के समय ही कर्मचारियों की संख्या का अधिक होना

प्रबन्धकों द्वारा अधिसमय भत्ते एवं वेतन व्यय को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :--

१--कर्मचारियों की सेवा निवृति पर उनके स्थान पर नये कर्मचारियों की नियुक्ति न करना ।

२--अतिरिक्त कर्मचारियों का निगम के नियंत्रणाधीन चल रही नई परियोजनाओं (सहायक कम्पनियों) में आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण ।

मेसर्स भारत ट्रेडिंग कम्पनी, किरावली के डीलर के विरुद्ध परगनाधिकारी, किरावली द्वारा जांच

*३--श्री श्यामदत पालीवाल (जिला आगर)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधायक श्री बदन सिंह तथा अन्य कुछ किसानों की शिकायत पर परगनाधिकारी, किरावली, जिला आगरा ने भूमि विकास बैंक, किरावली के मैनेजर तथा अछनेरा स्थित भारत ट्रेडिंग डीलर के बारे में कुछ समय पूर्व जांच की थी ? यदि हां, तो परगनाधिकारी की जांच रिपोर्ट क्या थी तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

विधायक श्री बदन सिंह के माध्यम से ग्राम अखवई के कुछ किसानों की शिकायत, जो मेसर्स भारत ट्रेडिंग कम्पनी किरावली के डीलर के विरुद्ध थी, पर परगना अधिकारी किरावली ने जांच की थी । परगना अधिकारी, की जांच रिपोर्ट

यह थी कि डीलर काश्तकारों से उनके चेक के बारे में सम्बन्ध स्थापित करने के लिये बैंक गये थे और यद्यपि इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि उनके डीलर ने काश्तकारों के नाम के चेक का भुगतान करवा कर ले लिया परन्तु परिस्थितियों से यह प्रतीत होता है कि डीलर और उनके भाई ने स्वयं कोआपरेटिव बैंक, आगरा जाकर काश्तकारों के चेकों का जल्दी से जल्दी भुगतान करवाया और काश्तकारों को आवश्यकतानुसार पार्ट्स इत्यादि दिये। उनकी कीमत के बारे में उन्होंने कोई रसीद नहीं दी। केवल बैंक ने यह रसीद दी है कि २८०० रुपये का इंजन बचा है।

परगना अधिकारी ने १५-११-७७ की अपनी रिपोर्ट में जिला अधिकारी को यह संस्तुति दी थी कि यह उचित रहेगा कि इस डीलर की मान्यता भूमि विकास बैंक से समाप्त करने के औचित्य पर विचार करने के लिये प्रबन्ध निदेशक, भूमि विकास बैंक को लिखा जाय। भूमि विकास बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार बैंक इस मामले में आवश्यक विधिक कार्यवाही कर रहा है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

मंत्री जी ने कहा कि जांच कर्ता ने लिखा है कि इस डीलर की मान्यता भूमि विकास बैंक से समाप्त करने के औचित्य पर विचार करने के लिए बैंक को लिखा जाए, तो क्या यह लिखा है कि समाप्त करने पर विचार किया जाए 'या' समाप्त करने के औचित्य पर विचार किया जाए ? यह जांच १५-११-७७ को समाप्त हो चुकी है और तब से अब तक कार्यवाही पूरी न होने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

समाप्त करने पर विचार किया जाए, यह लिखा गया है। उन डीलर को नोटिस भी दे दिया है कि भूमि विकास बैंक से आपकी डीलरशिप क्यों न समाप्त की जाए।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

मंत्री जी के उत्तर से जाहिर है कि डीलर्स बैंक प्रबन्धक बैंक मैनेजर के पास आते जाते थे, तो क्या उक्त मैनेजर, भूमि विकास बैंक भी इसमें दोषी पाए गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैनेजर दोषी नहीं पाए गये ?

श्री बदन सिंह--

क्या मंत्री जी इस मामले का फिर से जांच करवायेंगे कि इस केस में भूमि विकास बैंक के मैनजर वास्तव में दोषी हैं या नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जैसा माननीय सदस्य ने बताया, उस जांच में त्रुटि रह गई है तो वह मुझे लिखकर दे दें, मैं पुनः जांच करवा लूंगा।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

श्रीमन्, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ सका था कि जब यह रिपोर्ट १५-११-७७ को हो चुकी है, तो अब उसमें साढ़े पांच महीने लगने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

रिपोर्ट आई थी, आने के बाद उनको नोटिस दे दिया गया है। देर जरूर हुई है, मैं इसको देखवा लूंगा कि यह देरी क्यों हुई है।

सरदार नगर सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, गोरखपुर द्वारा किसानों से व्याज की वसूली

*४--श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सरदार नगर गन्ना सहकारी समिति, गोरखपुर द्वारा किसानों से १३ प्रतिशत के बजाय २१ से २४ प्रतिशत तक वार्षिक व्याज वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन ने नियमानुसार ऐसी वसूली की छूट दे दी है ? यदि हां, तो कब और क्यों ? यदि नहीं, तो उक्त समिति के उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी और अधिक पैसा क्या किसानों को वापस करने के आदेश जारी होंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती--

सरदार नगर सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, जिला गोरखपुर द्वारा किसानों से २१ से २४ प्रतिशत तक वार्षिक व्याज वसूल नहीं किया जा रहा था। समिति द्वारा वित्त पोषण योजना लागू होने पर भी पूर्व की भांति १६ प्रतिशत व्याज लिया जा रहा था जो कि नियमानुसार १४ प्रतिशत होना चाहिये था। व्याज की दर नियमानुसार लगाने के लिए समिति को निदेश दिये जा चुके हैं तथा व्याज का अधिक वसूल किया गया पैसा सम्बन्धित कृषकों के खाते म जमा कर दिया गया है जिसे उन्हें वापस करने की कायवाही भी जारी है।

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, एक बात बता दूं। जिस अधिकारी ने ऐसा किया था उसको सस्पेन्ड आज ही कर दिया है।

मैं इस सन्दर्भ में एक बात और जानना चाहता हूं मंत्री जी से। अभी भी अधिकारियों ने मन्त्री जी को गुमराह किया है। यह उत्तर दिया गया है कि २४ परसेन्ट व्याज वसूल नहीं किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट २४ परसेन्ट है। लेकिन १६ परसेन्ट नहीं यह लोग वसूल कर रहे हैं व्याज और जितने दिन तक ऋण ले रहे हैं उतने दिन का व्याज न लेकर पूरे साल का व्याज वसूल कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी इस बात के लिए आदेश देंगे कि जितने दिन अपने पास ऋण रखा है उतने ही दिन का व्याज उनसे लिया जाय ?

श्रीमती चन्द्रावती--

यह उस दिन भी प्रश्न आया था। जो इसमें नियम में ३० अप्रैल तक लिया जाता है। गन्ना विकास समितियों का नियम कुछ दूसरा है, १०६ उपनियम के अन्तर्गत लिया जाता है। यह नियम से ही लिया जा रहा है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अगर नियम कोई बाधक है, वैसे मेरी जानकारी है कि यह नियम बाधक नहीं है क्योंकि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से ऋण दिया जाता है यू० पी० कोआपरेटिव बैंक को और यू० पी० कोआपरेटिव बैंक ऋण दे रहा है

उन समितियों को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ८ परसेन्ट ले रही है और १४ परसेन्ट लेने के लिए कहा जा रहा है। इतना बड़ा गैप है क्या माननीय मन्त्री इस पर विचार करेंगे कि जिस दर से रिजर्व बैंक आफ इंडिया, यू० पी० कोआपरेटिव को ऋण दे रही है उसी रेट पर किसानों को गन्ना सहकारी समितियों तक ऋण पहुंचा दिया जाय ?

श्रीमती चन्द्रावती--

माननीय, इसमें उनका खर्चा होता है। १३ परसेन्ट चार्ज होता है १४ परसेन्ट कृषकों से लिया जाता है।

श्री देव बहदुर सिंह (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिजर्व बैंक कोआपरेटिव को किस रेट पर देता है और वहां पर कोआपरेटिव बैंक इन समितियों को कितनी रेट पर देता है और कितना उनका खर्चा हो जाता है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

माननीय, रिजर्व बैंक १३ परसेन्ट पर देता है और १४ परसेन्ट से वसूल किया जाता है।

श्री देव बहादुर सिंह--

गलत बात है, माननीय।

श्री बाबूराम शुक्ल--

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि जिस अधिकारी ने १६ प्रतिशत ब्याज वसूल किया है वह आज सस्पेन्ड किया गया है। इससे स्पष्ट है कि माननीय कल्पनाथ सिंह यदि प्रश्न न पूछते तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही न की गयी होती। मैं जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने वसूल किया उसके ऊपर के अधिकारी भी हैं लेकिन कमिश्नर, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय इसका इन्होंने निर्णय क्यों नहीं लिया ?

श्रीमती चन्द्रावती--

माननीय, यह जिले की गलती की बात है।

जिला परिषद्, मेरठ द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिये औषधियों की खरीद

*५--श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, मेरठ द्वारा अपने आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिए २४ हजार सात सौ रुपये की औषधियां १९७७-७८ में जनपद की स्थानीय अत्रेय फार्मेसी से उनकी मूल्य सूची का 'डाबर' व 'गुरुकुल कांगड़ी, की मूल्य सूची से मुकाबिला करके बिना नमूने लिए खरीदी गयी और वैद्यों द्वारा दवाइयां खराब होने की शिकायतें आने के बावजूद बिना अधिकांश चिकित्सालयों में दवाई भेजी ? क्या यह भी सही है कि आयुक्त महोदय की स्वीकृति के बिना अदायगी भी कर दी गयी ? यदि हां, तो इस खरीदारी के लिए कौन कर्मचारी, अधिकारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जमुना प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला परिषद्, मेरठ की सम्पत्ति के रजिस्टर

*६--श्री नरेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन को यह जानकारी है कि जिला परिषद् मेरठ में परिषद् का कोई सम्पत्ति रजिस्टर ही नहीं है जिसके कारण जनपद में स्थान-स्थान पर परिषद् की सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं ? यदि हां, तो परिषद् के अभियन्ता जो २६ वर्ष से परिषद् की सेवा में हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जमुना प्रसाद--

जिला परिषद्, मेरठ में परिषद् की सम्पत्ति के रजिस्टर बने हुये हैं ।

अभियन्ता अथवा किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध सम्पत्ति रजिस्टर न रखने के कारण कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

[सोमवार, १ मई, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हाटा-सिसवा मार्ग, गोरखपुर रीजन में बस दुर्घटना

*१--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन के हाटा-सिसवा मार्ग पर हिरना नदी के पास विगत २६ दिसम्बर, १९७७ को एक बस दुर्घटना हुई जिसमें सात लोग मरे एवं करीब दो दर्जन लोग सख्त घायल हुए ? यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या है एवं शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री अबिद अली--

जी हां ।

दिनांक २६-१२-१९७७ को हाटा-सिसवा मार्ग पर एक बस संख्या यू० एस० बी--५१०१ दुर्घटनाग्रस्त हुयी थी जिसमें ६ व्यक्तियों की मृत्यु हुई, ३ गम्भीर रूप से घायल हुये तथा 17 व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं । दुर्घटना का कारण यह बताया जाता है कि चालक का स्टेयरिंग पर नियन्त्रण न होने के कारण बस उसके कन्ट्रोल से बाहर हो गई । उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा विस्तृत एवं कड़े निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को जारी किये गये हैं ताकि दुर्घटनाओं के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं, माननीय मन्त्री जी से यह बताना चाहता हूं कि इसके पहले भी मैंने एक सवाल किया था, उसमें मैंने यह आरोप लगाया था कि ट्रान्सपोर्ट आफीसर १० हजार रुपया लेकर सड़ी-गली बसों को चलाया करता था और एक्सीडेन्ट हो गया, मेरी बात सही हुई, वह जो ६ लोग मरे और ३२ से ज्यादा घायल हुए तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका उत्तरदायित्व किस पर है और शासन ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री आबिद अली—

माननीय, विचार किया था और मैंने जो वहां के अधिकारी थे उनसे खास-कर कहा कि वह इसको देखें और उसके बाद इसके पहले इस मार्ग पर ५६ चालान हो चुके थे। जब आपने कहा तो १६ चालान किए गए और जिस गाड़ी से एक्सीडेन्ट हुआ उसके खिलाफ ३ बार चालान हुआ और आर० टी० ओ० थे उनको ससपेन्ड किया गया और आजकल भी वह ससपेन्ड हैं। जितना किया जा सकता था किया गया है और जो मुमकिन हो सकता है, मैं कर रहा हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि वह सारी की सारी बसें आज भी चल रही हैं और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ६ लोगों की जान चली गयी तो क्या उनके परिवार वालों को कम्पेन्सेशन देने की बात सोच रहे हैं और क्या राहत दी और क्या दिलवायेंगे ?

श्री आबिद अली—

जिन लोगों की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार वालों को १० हजार रुपया फी परिवार १५ दिन के अन्दर दे दिया जायेगा। कागजात मुकम्मिल हो गये हैं, १५ दिन में मिल जायेगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चालान किए गये तो क्या परमिट भी रद्द किए गय। जब आये दिन दुर्घटनाय हो रही हैं तो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री आबिद अली—

उस रोड पर २० गाड़ियां चल रही हैं और उनमें से ५ को ससपेन्ड कर दिया गया है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिस गाड़ी से एक्सीडेन्ट हुआ था उसका परमिट सही था ?

श्री आबिद अली—

जिस गाड़ी से एक्सीडेन्ट हुआ था उसके पास फिटनेस सर्टीफिकेट भी था और जब उसकी पहले चेकिंग की गयी थी तो उसकी रेक्सीन फटी थी और मेकेनिकल कोई डिफेक्ट नहीं था। रेक्सीन से एक्सीडेन्ट हुआ नहीं।

श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्राइवेट बसों की ही बात नहीं है जो राजकीय बसें हैं उनके ड्राइवर बड़ी नेगलीजेन्टली चलाते हैं और वर्क शाप में ठीक व्यवस्था न होन के कारण वे ठीक नहीं रहती हैं। ऐसी हालात सारे प्रदेश में है। तो कोई ऐसी व्यवस्था करायेंगे जिससे भविष्य में दुर्घटनायें न हों ?

श्री आबिद अली—

मान्यवर, यह तो व्यापक सवाल है। यह सही है कि गाड़ियों को जितनी अच्छी मेन्टीनेंस होनी चाहिये, वह नहीं होती है। मैं खुद भी ज्यादा मुतमईन नहीं हूं और उसकी वजह यह है कि हमारे यहां पर जो वकशाप्स या डिपो हैं वे कई साल पहले बनाये गये थे। उस समय ज्यादा गाड़ियां नहीं थीं लेकिन अब बढ़ गयी हैं। १००–१०० गाड़ियां एक–एक रीजन में हो गयी हैं। जब बजट में इस विभाग की मदों को आपके सामने पेश करूंगा तो कुछ तजवीजें भी आपके सामने रखूंगा उससे कुछ डिपोज भी बढ़ जायेंगे और वर्क लोड भी कम हो जायगा। जब वर्क लोड कम होगा, रीजन भी अधिक बढ़ेंगे तब ज्यादा देखरेख हो जायगी और रोडवेज की गाड़ियों की हालत ठीक होगी।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सरकारी बसें होती हैं, अगर उनमें कोई दुघटना हो जाती है तो बीमा आयोग से यात्रियों का बीमा रहता है उससे रुपया दिया जाता है लेकिन यह प्राइवेट बस थी तो इसका खमियाजा सरकार अपने ऊपर ले रही है कि १० हजार रूपया प्रति मृतक के परिवार को दिया जायगा। तो यह रूपया प्राइवेट ओपरेटर्स या बीमा आयोग अगर उन्होंने कराया होगा देगा?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या प्राइवेट बसेज में भी बीमा की योजना लागू है?

श्री आबिद अली—

शायद ज्यादा वाकिफ नहीं हैं। यह योजना पहले रोडवेज के लिए थी लेकिन इसमें प्राइवेट बसेज भी अब शामिल हैं। हर यात्री से ५ प्रतिशत काट लिया जाता है और वह धनराशि बीमा वालों को दे दी जाती है तो अगर कोई एक्सीडेन्ट में मर जाता है तो उसे १०,००० रुपया दिया जाता है। अगर यात्री इन्वेलिड हो जाय तो उसे मुआविजा और दिया जायगा और अगर उसके दोनों हाथ टूट गये तो उसके लिए अलग और अगर कहीं चोट आयी तो उसी हिसाब से दिया जाता है। इसके पहले ३० जून तक यात्रियों को बीमे का फायदा पहुंचा था। १ अप्रैल से यह भी कर दिया गया है कि अगर इस एक्सीडेन्ट में कोई पद यात्री को भी मौत होती है तो उसको भी बीमा वाले पैसा देंगे ताकि उनको कुछ सहूलियत और राहत मिल सके।

श्री विजय राज सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इस दुर्घटना के बाद कड़े निर्देश जारी कर दिए गये हैं। तो मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे एक आध निर्देश को पढ़ कर सुनायेंगे?

श्री आबिद अली—

मान्यवर, जब ऐक्सीडेन्ट्स होते हैं तो मोटे तौर से ३ केटेगरीज में रखे जा सकते हैं—

(१) तो यह है कि जो उस गाड़ी का ड्राइवर है, उसकी ही सारी गलती है।

(२) मैकेनिकल डिफैक्ट्स की वजह के भी ऐक्सीडेन्ट्स हो जाते हैं और (३) सड़क पर खामी की वजह से हो सकता है।

हमने विस्तार के साथ हर एक को लिया है और चेष्टा की है कि कुछ करने के बाद कुछ किया जाय ताकि ऐक्सीडेन्ट्स न हों। जब ऐक्सीडेन्ट्स होते हैं, मौते होती हैं, तो मुझे चिन्ता होती है, तदवीश होती हैं।

ह्यूमन एरर वाली बात का जहां तक ताल्लुक होता है उसमें ऐसा होता है कि ड्राइवर की तन्दुरुस्ती अच्छी नहीं तो उसके लिए उसको हैल्थ सार्टिफिकेट देना होता है कि उसकी तन्दुरुस्ती अच्छी है। अगर वह देता है तो सार्टिफिकेट रह जायगा वरना नहीं रहेगा। उसके बाद आंख की रोशनी कम हो जाती है, कम दिखायी देने लगता है, तो इसका भी उसे सार्टिफिकेट देना होता है, ड्राईविंग लाइसेन्स ३ साल के बाद रिन्यु होता है अगर उसके बाद वह पड़ा रहता है, रिन्युअल नहीं होता ह और ५ साल हो जाते हैं तो उस लाइसेन्स को रिन्यू नहीं किया जायगा। उसके बाद एक चीज और है कि ड्राइवर पीकर चलते हैं। पीकर चलने वालों के लिए मैंने ट्यूब मंगवाये हैं कलकत्ते से। अगर कोई पिये होता है तो उसमें उसकी सांस ले जाया जाता है। तो उसके अन्दर जो मेटीरियल होता है वह बदल जाता है। वह भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमको कुछ ड्राइवर पिये हुए मिले हैं।

एक सदस्य--

आप मंत्री जी से निबन्ध पढ़वा रहे हैं क्या ?

श्री विजय राज सिंह--

मैंने पूछा था कि निर्देश क्या जारी किये गये थे, क्या ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स थे ?

श्री अध्यक्ष--

येवही पढ़ रहे हैं।

श्री आबिद अली--

उसके बाद फिटनेस सार्टिफिकेट्स की बात होती है मेकेनिक डिफैक्ट्स की। अभी तक यह था कि २ साल में फिटनेस हो जाती थी, उसके पहले एक साल की मियाद थी। अब हम उसको फिर एक साल की करने की सोच रहे हैं, हमने अभी कोई आर्डर नहीं किया है। उससे जल्दी उसकी चेकिंग हो सकेगी। अभी तक फिटनेस जो होती थी वह आर० आई० जो होते थे उन्हीं के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाल दी गयी थी। अब उनके ऊपर जो आफिसर हैं उनको भी जिम्मेदार किया गया है कि फिटनेस सार्टिफिकेट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है।

श्री विजय राज सिंह--

मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा निवेदन यह था कि मंत्री जी के जवाब को मैंने बड़े गौर से सुना है और उसको समझने की कोशिश की। आपने भी सुना होगा, आप ही बता दीजिए कि कौन निर्देश कड़े थे, कौन नहीं थे ?

श्री अध्यक्ष--

अब इसे नर्म मान लीजिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । १९७४ में मैंने शासन से एक आदेश निकलवाया था कि उस रूट पर सरकारी बसें चलें, लेकिन वहां पर यह नोट लिख करके आया जहां पर ऐक्सीडेंट हुआ है कि वहां पर प्राइवेट बस ही चल सकती हैं, राष्ट्रीय नहीं चल सकती हैं ? तो क्या माननीय सदन को अवगत करायेंगे, घोषणा करेंगे कि उस मार्ग पर राष्ट्रीय बसें आइंदा से चलेंगी ?

श्री आबिद अली--

उसमें ६८ (डी) जब हो जायगा तो रोडवेज की बसें चलने लगेंगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा उत्तर नहीं आया । मैंने पूछा था कि कब से चलने लगेंगी ?

श्री आबिद अली--

जब सब एतराजात क्लियर होकर ६८ (डी) की नोटीफिकेशन हो जाती है, उसका टाइम देना बड़ा मुश्किल है, वह अपने हाथ की बात नहीं होती है, अदालतों की बात होती है ।

*२--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[२४-४-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या २ द्वारा उत्तरित ।]

फैजाबाद सहकारी गन्ना विकास समिति में वित्तीय अनियमितता एवं गबन की जांच

*३--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में फैजाबाद सहकारी गन्ना विकास समिति की वर्ष १९७०-७१ से लेकर अब तक की सात वर्षों की फाइनल बैलेन्स शीट नहीं बनी है और जुलाई, १९७० से जून, १९७७ तक के बीच में हुई स्पेशल आडिट रिपोर्टों में इस समिति में ८.१० लाख रुपए की अनियमितता और गबन की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

फैजाबाद सहकारी गन्ना विकास समिति की प्रश्नगत सात वर्षों की बैलेन्सशीट तत्सम्बन्धी अभिलेख पुलिस की संरक्षता (कस्टडी) में होने के कारण नहीं बन पाई । जुलाई ७० से जून, ७७ के बीच हुई स्पेशल आडिट रिपोर्ट्स के अनुसार रुपया ४,४५,२०३.४३ पैसे की वित्तीय अनियमितता तथा रुपया ३,६६,५५०.१७ पैसे का गबन अर्थात् कुल रु० ८,११,७५३.६० प्रतिवेदित है । उक्त वित्तीय अनियमितता/गबन में ७६ कर्मचारी ५ संचालक व ४ ठेकेदार सम्बद्ध पाये गये । गबन के सम्बन्ध में दोषी पाये गये तीन कर्मचारियों का मामला पुलिस जांच में है । जांच अनियमितताओं के मामलों से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही जारी है । संचालकों में एक की मृत्यु हो चुकी है तथा ३ संचालकों को उनसे सम्बन्धित धनराशि की वसूली हेतु नोटिस दी जा चुकी है एवं ठेकेदारों से भी धन वापसी हेतु कार्यवाही जारी है ।

मैं मान्यवर, एक बात और बता दूं कि यह गड़बड़ी पिछली सरकार के समय में हुई है और उत्तर प्रदेश में सभी जगह है । इसके लिए अब एक अभियान चलाकर ऐसी त्रुटियों को सुधारा जा रहा है । जो भी दोषी पाय जायेंगे उनको दंडित किया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों मामलों में सारे सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं की गयी ? यह भी कृपया बतलायें कि जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है वह कब हुई है और किस अधिकारी ने करायी है ? जिस अधिकारी ने यह पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट दर्ज करायी है क्या उसके खिलाफ भी सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मैंने कहा है कि इस प्रकार की त्रुटियां जहां कहीं भी हैं उनको दूर करने के लिए एक अभियान चलाया जायेगा, जो भी दोषी व्यक्ति पाये जायेंगे उनको दंडित किया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

प्रश्न संख्या ३ में बताया गया है कि शेष सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है और ३ संचालकों के विरुद्ध वसूली की नोटिस दी गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि शेष सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा वसूली की नोटिस कब जारी की गयी, ठेकेदार के विरुद्ध क्या आरोप हैं ? उसके विरुद्ध भी क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(व्यवधान)

श्री ऊदल—

उत्तर में बताया है कि एक संचालक मर गया, बाकी संचालकों की क्या हालत है ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी कृपया तिवारी जी के प्रश्न का ही उत्तर दें और क्या कार्यवाही की जा रही है, यह तिवारी जी का प्रश्न है ।

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, यह पूरी कार्यवाही और जांच की रिपोर्ट है । अगर चाहें तो मैं रिपोर्ट पढ़ दूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, लिस्ट केवल बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

लिस्ट नहीं, क्या कार्यवाही करने जा रही है, यह बता दें ?

श्रीमती चन्द्रावती—

माननीय, मैंने तो पहले कहा कि अभियान चला कर जो कार्यवाही में कमी रह गयी है, वह कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, वैसे तो पूरा दफ्तर माननीया मंत्री जी उठा लाई हैं, वह कृपया बता दें कि यह अनियमितताएं कब प्रकाश में आई ? और जब यह अनियमितताएं प्रकाश में आई, तब क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ? एक संचालक मर गया तब कार्यवाही करने का क्या औचित्य है ? पहले कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

माननीय, जब माननीय सदस्य का प्रश्न आया, तभी यह अनियमितताएं भी प्रकाश में आई और तभी कार्यवाही करने का प्रश्न उठा ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जो चेकिंग और इंक्वायरी करने वाले होते हैं वे आपके गन्ना विभाग से सम्बन्धित अधिकारी लोग होते हैं, तो क्या माननीया मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगी कि जिससे कि कोई हाई पावर कमेटी बनाई जाय, जो कि पूरे प्रदेश की सोसायटी की जांच करने के बाद आपको यह रिपोर्ट दे कि क्या-क्या कार्यवाही की जाय ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, यह विचार उचित है और किया जा सकता है ।

मसौधा सहकारी गन्ना विकास समिति (फैजाबाद) की बैलेन्सशीट तथा आडिट रिपोर्टों में पायी गयी अनियमितताएं एवं गबन की शिकायतें

*४—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में मसौधा सहकारी गन्ना विकास समिति को वर्ष १९७२-७३ से अब तक की ५ वर्षों की फाइनल बैलेन्सशीट नहीं बनी है और जुलाई, १९७० से जून, १९७७ के बीच सम्पन्न हुई स्पेशल आडिट रिपोर्टों में इस समिति में ८.२२ लाख रुपये की अनियमितता और गबन की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो विवरण क्या है और दोषी लोगों के विरुद्ध अभी तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है और आगे क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

सहकारी गन्ना विकास समिति मसौधा की पांच वर्ष में से वर्ष ७२-७३ की बैलेन्सशीट बन चुकी है और चार वर्ष की बैलेन्सशीट अभी बननी है । जुलाई, ७० से जून, १९७७ के बीच हुई स्पेशल आडिट रिपोर्ट्स के अनुसार रुपया ७,०७,१२७.४० पैसे की वित्तीय अनियमितता तथा रु० १,०४,०६४.३५ पैसे का गबन अर्थात् कुल रु० ८,११,१९१.७५ पैसे प्रतिवेदित (रिपोर्टेड) था इसमें रु० १,३२,९०१.६६ पैसे की धनराशि दो बार जुड़ी है जिसको कम करके वास्तविक अनियमितता/गबन

की धनराशि रु० ६,७८,२६०.०९ पसे की रह जाती है। इसमें कुल २६ व्यक्ति सम्बद्ध पाये गये जिनमें से गबन से सम्बन्धित ग्यारह कर्मचारियों के मामले पुलिस की जांच में है तथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी जारी है। शेष १५ व्यक्तियों के विरुद्ध भी विभागीय आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और इनमें से तीन व्यक्तियों से सम्बन्धित धनराशि १,००८.५० रु० वसूल भी किया जा चुका है।

गन्ना आयुक्त को इन दोनों मामलों में तत्काल विस्तृत जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निर्देश दे दिए गए।

वाराणसी के कृषि उपनिदेशक, श्री अग्रवाल के विरुद्ध गबन का आरोप

*५--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के कृषि उप निदेशक (श्री अग्रवाल) जब देहरादून में उप निदेशक, भूमि संरक्षण विभाग थे, तब उनके विरुद्ध लाखों रुपये का गबन तथा अन्य गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी जिसकी जांच हो रही है और क्या यह भी सही है कि उसी वक्त इनके चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्ट भी कर दी गयी थी ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या निकला ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)--

जी हां, शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे जिनकी जांच अभी की जा रही है। श्री अग्रवाल की चरित्र पंजिका म वर्ष १९७४-७५ में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई थी।

श्री ऊदल--

मान्यवर, शिकायती-पत्र कब प्राप्त हुआ और उसमें कितने लाख रुपये के गबन का आरोप लगाया गया ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, इसमें ३ शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं। एक तो देहरादून के कर्मचारियों का शिकायती-पत्र है, एक श्री भगवती प्रसाद बहुगुणा का शिकायती-पत्र है दिनांक ९-९-७५ का, एक श्री सोहन सिंह का शिकायती पत्र है, जिसमें इसी किस्म के बहुत सारे चार्जेज हैं। कहिये तो पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष--

सिर्फ इतना बतला दें कि कितने लाख रुपये का गबन है।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, इसमें यह है कि कमीशन लेते हैं १८ परसेंट। गबन के चार्जेज नहीं हैं। इसमें चार्जेज यह हैं कि कमीशन १८ परसेंट के करीब लेते हैं। ट्रान्सफर, पोस्टिंग वगैरह में रुपये लेते हैं। इस तरीके के चार्जेज हैं। दो पत्र तो अंग्रेजी में हैं, कहिये पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, ज्यादातर शिकायतें इसी तरह की हैं ।

श्री कमल--

मान्यवर, यह जांच किसके द्वारा कराई जा रही है और यह जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, इसमें जो एक शिकायत क्रम संख्या २ पर है जिसको भगवती प्रसाद बहुगुणा ने दिया था उसकी विक्रय आयुक्त पौड़ी गढ़वाल ने जांच की है और जांच के उपरांत श्री अग्रवाल के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये । जो कर्मचारियों ने शिकायत की है उसकी जांच अभी हो रही है ।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, जब कोई शिकायत होती है तो जांच शुरू की जाती है प्रश्न के उत्तर में असेम्बली में बताया जाता है कि अभी जांच चल रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि जो जांच की जाती है उनके लिए कोई टाइम भी निर्धारित होता है या नहीं ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, इसमें जांच चल रही है । जल्द से जल्द इसको पूरा कराने की कोशिश की जायगी ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया कि श्री अग्रवाल की चरित्र पंजिका में वर्ष १९७४-७५ में प्रतिकूल प्रविष्टि की गयी थी । तो जब अभी जांच चल रही है तो प्रतिकूल प्रविष्टि क्यों कर दी गयी ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

जो प्रतिकूल प्रविष्टि है वह इससे सम्बन्धित नहीं है । गड़बड़ी और गबन से सम्बन्धित नहीं है । वह तो इयर टु इयर जो प्रविष्टि दी जाती है, उनके सामान्य कार्य के आधार पर दी गयी है ।

*६- श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

लघु कृषक विकास एजेन्सी के अधीन निर्धारित विकास खण्डों में करघे पर अनुदान

*७—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लघु किसान विकास एजेंसी के अधीन निर्धारित विकास खण्डों में यह भी व्यवस्था करने की कृपा की जायगी कि करघे पर भी अनुदान तथा सबसिडी दी जाय ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धीरेन्द्र सहाय—

लघु कृषक विकास एजेंसी के अधीन निर्धारित विकास खण्डों में चलाये जा रहे स्वीकृत कार्यक्रमों में "करघा" शामिल नहीं है । अतः इस पर अनुदान नहीं दिया जाता है ।

लघु कृषक विकास योजना पूर्णतया भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और उन्हीं के द्वारा कार्यक्रम स्वीकृत किये जाते हैं । जिन मदों पर अनुदान दिया जा सकता है भारत सरकार द्वारा निर्धारित है और उन मदों की सूची में करघे शामिल नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लघु कृषक विकास एजेंसी के अधीन निर्धारित विकास खंडों में चलाये जा रहे स्वीकृत कार्यक्रम में कृषकों की पूरक जीविका के लिये सहायतार्थ अनुदान देने के लिये जो सूची निर्धारित की गयी है वह सूची राज्य सरकार ने स्वयं बनाकर केन्द्र से पुष्टि करा ली थी या केन्द्र द्वारा अपने विवेक से बनाकर सूची यहां भेजी जाती है ?

श्री धीरेन्द्र सहाय—

मान्यवर, यह किस-किस मद में रुपया दिया जाता है यह केन्द्र द्वारा निर्धारित किया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जो सीमांत कृषक हैं उनको सहायता के लिये जो सूची निर्धारित की गयी है, जैसे भैंस, सुअर आदि-आदि के लिये अनुदान दिया जाता है तो उसी तरह से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में करघा भी पूरक जीविका का एक बल साधन है । तो क्या माननीय मंत्री जी केन्द्र सरकार को इस आशय की संस्तुति करने की कृपा करेंगे कि इसी सूची में करघे को भी बढ़ा दिया जाय ?

श्री धीरेन्द्र सहाय—

मान्यवर, यह चौथी पंचवर्षीय योजना में रूरल आर्टीजन्स का प्रोग्राम लिया गया था । लेकिन सफल नहीं हो पाया था । संस्थागत वित्त से भी रुपया नहीं मिल पाया क्योंकि जितने भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं ज्यादातर वे इस कार्य को करते हैं, तो रुपया भी उपयोग नहीं हो पाया इसलिये अनुदान का यूटीलाइजेशन नहीं हो पाया । चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये देहात के आर्टीजन्स का प्रोग्राम इसी कारण ड्राप कर दिया गया ।

चकिया, जिला वाराणसी में टूटी हुई कतिपय बंधियां तथा मुख्य प्राविधिक परीक्षक द्वारा जांच

*८--श्री ऊदल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में ३३ बंधियां जी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत सन् १९७४ से लेकर सन् १९७७ तक बनाई गयी है, जब बह गई हैं और उन पर लाखों रुपया खर्च हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार विजयपुर, बिजौरा, नरकटी, देवखत, लउम्मारी, ठेकुरिया, पढ़ौती, सेमर होरिला, मंगरही, पथरौर, जयमोहनी पोस्ता, मर्वापुर उदितपुर सुर्रा, परसिया, साहपुर, पंडीसपहर आदि बंधियों की जांच कराने हेतु कोई टेक्नीकल कमेटी जांच हेतु बनाएगी ?

श्री वीरेन्द्र सहाय--

वाराणसी जिले की चकिया तहसील में ५वीं पंचवर्षीय योजना काल में उक्त अवधि में ५५-५७ लाख रु० का व्यय कर २९ बंधियों का निर्माण अथवा पुनरुद्धार कराया गया था । इनमें से २५ बधियां नौगढ़ ब्लाक में तथा ४ बंधियां शहाबगंज ब्लाक में बनी थी । नौगढ़ ब्लाक की २५ बंधियों में से ठिकुरिया, बिजयपुर, बिजौरा तथा दानीगढ़ नामक ३ बंधियां टूट गयी थी । बंधियों से सम्बन्धित शिकायतों की जांच सिंचाई विभाग के मुख्य प्राविधिक परीक्षक द्वारा की जा रही है ।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३ के अलावा भी काफी बंधियां टूट गयी है ? उसकी जांच कब से की जा रही है और किस अधिकारी के द्वारा जांच कराई जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, इसमें बंधियों के टूटने की शिकायत है और ३ बंधियों के बारे में जिक्र किया गया है । बाकी ऐसा है कि १३ बंधियां एक बनी हैं और १४ और बनी हैं । तो उनमें १३ पूर्ण हो चुकी हैं और १४ पर काम चल रहा है । इन सारे बंधियों में जांच की गयी और उसमें कुछ गड़बड़ी पायी गयी । उसके कारण इसकी जांच नियुक्त कर दी गयी है ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, जो गड़बड़ी पायी गयी उसके लिये कौन जिम्मेदार था और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? उसकी जांच किसके द्वारा कराई जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, पहले तो इसकी जांच, जो अधीक्षण अभियन्ता थे उन्होंने, किया था उसके बाद १६-१२-७७ को डी० पी० ए० पी० का प्रोग्राम था तो उसकी समीक्षा की गयी ए० पी० सी० के यहां और कहा गया कि वाराणसी के जो आयुक्त हैं वह और अधीक्षण अभियंता मिलकर जो पूरी स्थिति है उस पर आख्या दें । इस पर उन्होंने आख्या दिया कि इसकी टक्निकल आडिट सेल से जांच कराई जाय । उसके पहले भी जिला अधिकारी, वाराणसी ने भी यही आख्या दिया था । इसलिये

उसी के द्वारा जांच कराई जा रही है । उसमें श्री जगन्नाथ श्रीवास्तव, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता थे उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है चूंकि उसमें था कि इनको हटा दिया जाय तभी जांच संभव होगी । दूसरे दो अवर अभियंताओं के स्थानान्तरण करने के आदेश जारी किय गये ह ।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि बंधियों का निर्माण किस टेक्निकल अभियन्ता के निरीक्षण में होता है, उसके अधिकारी कौन हैं जो कम्पीटेन्ट होते हैं ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, यह तो टेक्निकल ही हैं ।

प्रदेश की चीनी मिलों में गन्ने का मूल्य

*९--श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली), श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया) तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि प्रदेश की कुछ चीनी मिलों ने (पीलीभीत रामपुर आदि) २० फरवरी, १९७८ ई० से गन्ने का मूल्य घटाकर १३ रु० ५० पैसे प्रति कुन्तल से ९.५० रुपया कर दिया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

निजी क्षेत्र की कुछ चीनी मिलों ने दिनांक २१ फरवरी, १९७८ से गन्ने का मूल्य घटाकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य के अनुसार भुगतान करना शुरू कर दिया था परन्तु शासन के हस्तक्षेप से चीनी मिलें उसी दिनांक से पुनः तय किया गया गन्ना मूल्य देने को सहमत हो गयी है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगी कि शासन के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन कर गन्ना किसानों के हितों पर कुठाराघात करने वाले इन स्वेच्छाचारी पूंजीपतियों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ?

(मंत्री जी के पुकारे जाने और उनके खड़े न होने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही शब्द संस्कृत में नहीं है । मंत्री जी यह कहते हैं कि जिन स्वेच्छाचारी पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने मनमाने ढंग से यह किया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, चीनी मिल आरगेनाइजेशन के माध्यम से उन लोगों का प्रस्ताव था । उसके बाद उसमें कार्यवाही हुई और आपसी इनफलुएन्स डालकर उनको मनवाया । यह कोई ऐसा सवाल नहीं है ।

श्री रियासत हुसन—

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि अब यही गन्ना मिलें जिन से सम्बन्धित यह सवाल है किसानों के गन्ने को ७८ प्रतिशत रिकवरी का बहाना लेकर वापस कर रहे हैं। इस चीज को रोकने के लिए मंत्री जी क्या कदम उठायगी?

श्रीमती चन्द्रावती—

माननीय सदस्य ने जो बताया है उसके आधार पर कार्यवाही की जायगी।

गढ़वाल मोटर आपरेटर्स यूनियन की बस से मनेरी नामक स्थान पर दुर्घटना

*१०—श्री पुरुषोत्तम कौशिक

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १८ मई, १९७६ को उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने वाली कोई तीर्थ यात्री बस मनेरी नामक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी है तथा ५० (पचास) यात्रियों की अकाल मृत्यु हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त दुर्घटनाग्रस्त मृत यात्रियों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है? यदि नहीं दिया गया है, तो क्यों?

श्री आबिद अली—

२८ मई, १९७६ को मनेरी नामक स्थान पर गढ़वाल मोटर आपरेटर्स यूनियन की बस संख्या यू०पी०आई०—११६२ दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी। इस दुर्घटना में चालक सहित ४१ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

उपलब्ध सूचना के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त मृत यात्रियों के परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया न ही मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन क्लेम्स ट्रिब्यूनल में मृतकों के उत्तराधिकारियों द्वारा कोई क्लेम फाइल किये गये।

नई बस्ती, मीरगंज, जनपद फर्रुखाबाद में पेय जल हेतु कूप निर्माण

*११—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या पंचायत राज मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें दिनांक १२ सितम्बर, १९७७ को ग्राम मीरगंज कुआं खेड़ा वजीर आलम खां, विकास क्षेत्र शमशाबाद, जनपद फर्रुखाबाद के ग्रामवासियों से यह शिकायत मिली है कि उनके ग्राम को १९७५-७६ में गंगा जी ने काट दिया था और वह लोग दूसरी जगह आबाद हुए थे उन्हें वहां पानी पीने के लिए कूप निर्माण हेतु १,००० रु० विकास क्षेत्र शमसाबाद के माध्यम से आवंटित हुआ था किन्तु वहां निर्माण कार्य नहीं हुआ और नकली वाउचर लगाकर गलत भुगतान दिखला दिया गया? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवाई गई और क्या कार्यवाही हुई?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां। मई १९७६ में प्रधान ग्राम सभा कुआं खेड़ा वजीर आलम खां का पत्र खंड विकास अधिकारी, शमसाबाद के माध्यम से प्राप्त हुआ था। इस पत्र में सूचित किया गया था कि ७५-७६ म गंगा जी की बाढ़ में उनका गांव बह गया

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या १० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के कुछ लोग नई बस्ती मीरगंज में आकर आबाद हो गये है। मीरगंज में पानी पीने के लिए विकास क्षेत्र शमसाबाद से रु० १०००.०० (एक हजार) अग्रिम अनुदान प्रधान के प्रार्थना पत्र पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की संस्तुति पर कूप निर्माण हेतु दिया गया था सन्दर्भित कूप का निर्माण कार्य दिनांक २०-११-७७ को पूर्ण हो चुका है। तथा पानी पीने के प्रयोजन में आ रहा है नकली वाउचर लगाकर गलत भुगतान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस शिकायत की स्थानीय जांच जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद ने स्वयं की जिसके अनुसार शिकायत निराधार पायी गई।

मोती राम अड्डा के निकट मिनी बस की दुर्घटना से व्यक्तियों की मृत्यु

*१२--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिसम्बर, १९७७ में एक मिनी बस की दुर्घटना में गोरखपुर के भूतपूर्व संसद सदस्य सहित कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी ? क्या दुर्घटना का कारण अधिक सवारी होना भी था ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन क्या कर रहा है ?

श्री आबिद अली--

जी हां।

दिनांक ५-१२-७७ को एक मेटाडोर मिनी बस संख्या यू०एस०वी--८७४५ मोती राम अड्डा के निकट पेड़ से लड़ जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस दुर्घटना में ४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं ७-८ को चोटें आई जिनमें तीन व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुये। दुर्घटना का कारण यह बताया गया कि गाड़ी के ब्रेक फल हो गये थे।

परिवहन विभाग द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये जा चुके हैं जिनके अनुपालन से वे मार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास कर सकें।

न्याय पंचायत केन्द्रों पर एक उप विकास केन्द्र स्थापित करने की योजना

*१३--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि हर न्याय पंचायत केन्द्र पर एक विकास केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

श्री जमुना प्रसाद--

अभी उप विकास केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित विषय के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए शासन ने अधिकारी स्तर की समिति (डास्क फोर्स) का गठन किया है।

*१४--श्री हरी राम वर्मा--

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में स्थापित सुअर विकास खंड

*१५--श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने सुअर विकास खंड स्थापित हैं तथा उनमें कितने सुअर पालकों को विदेशी नस्ल के कुल कितने सुअर दिए गए हैं ? क्या सरकार कृपया बताएगी कि सुअर विकास खंडों में सुअरपालकों को कुल कितना रुपया ऋण तथा अनुदान के रूप में दिया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश में इस समय ३६ सूकर विकास खंड स्थापित हैं जिनमें ३८६ सूकर पालकों को ३९३ विदेशी नस्ल के सूकर दिए गए हैं । सूकर विकास खंडों में सूकर पालकों को ऋण नहीं दिया गया है । अनुदान देना भी वर्ष १९६७ से बन्द कर दिया गया है । अनुदान के रूप में वास्तविक वितरित धनराशि की सूचना एकत्र की जा रही है । द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में ५ रु० प्रति सूकर प्रति माह तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में १० रु० प्रति सूकर प्रति माह की दर से अनुदान दिया जाता था ।

मथुरा, वृन्दावन तथा बृज क्षेत्र को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना

*१६--श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)--

क्या पर्यटन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मथुरा, वृन्दावन तथा बृज क्षेत्र के तीर्थ स्थानों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस योजना की रूप-रेखा क्या है ? उसमें कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ?

श्री आबिद अली--

जी हां ।

इस योजना के अन्तर्गत पुलों का सुधार, सड़क पुल का निर्माण, आवासीय व्यवस्था, जलपान गृह का निर्माण, शापिंग आर्केड, घाटों का सुधार, वृक्षारोपण तथा मनोरंजन स्थल आदि का प्रस्ताव सम्मिलित है ।

इस योजना में ६६७·०० लाख रु० व्यय होने का अनुमान है ।

कृषि मण्डी उत्पादन समितियों के चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

*१७--श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में जो कृषि मंडी उत्पादन समितियों का चुनाव होने जा रहा है उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व की सुविधा दी जायगी ? यदि हां, तो किस प्रकार की ?

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)--

मन्डी समिति के चुनाव में महिलाओं को विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान करने का कोई प्राविधान उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम में नहीं है। निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने पर कोई भी महिला सामान्य अभ्यर्थी की भाँति निर्वाचन में भाग ले सकती है।

बल्देव सहकारी संघ में भ्रष्टाचार व अनैतिक कार्यों की जांच

*१८--श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा), तथा कुंवर रामसरन सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के विकास खंड बल्देव के ग्राम हथकौली के २० नागरिकों के हस्ताक्षरों से चुनाव में भ्रष्टाचार करके व अनैतिक कार्यों के सम्बन्ध में विभागों को मार्च, १९७८ में श्री केवल सिंह, ए० डी० ओ० (सहकारिता) व उनके अधीनस्थ स्टोर इंचार्ज के विरुद्ध शिकायत मिली ? यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही अमल में लाई गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

शिकायती-पत्र की जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां, मथुरा द्वारा जांच कराई गई और जांच में बल्देव सहकारी संघ के सचिव श्री गिरजा शंकर दीक्षित दोषी पाये गये। उन्हें आरोप-पत्र दे दिया गया है। श्री केवल सिंह ए० डी० ओ० (सहकारिता) के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुये।

राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर में आपात्काल में अध्यापकों को रोका गया वेतन का भुगतान

*१९--श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)--

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर के ऐसे कौन-कौन से अध्यापक हैं, जिनका आपातकाल में नसबन्दी न कराने के आरोप में वेतन रोका गया था ? वेतन भुगतान न किए जाने के आदेश किस अधिकारी ने दिए थे ? क्या सरकार उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर के एक सहायक प्रवक्ता को १३-९-१९७६ से एक सप्ताह का नसबन्दी कराने के लिये अवकाश दिया गया। इस अवकाश के समाप्त होने पर उन्हें अपनी नसबन्दी कराने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर योगदान करना था किन्तु उन्होंने दिनांक २५-१०-७६ को १४-१०-१९७६ मे नसबन्दी कराने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुये योगदान किया। इन्हीं परिस्थितयों में उनका सितम्बर-अक्टूबर, १९७६ का वेतन आहरित नहीं किया जा सका था अब इनको उक्त अवधि का देय अवकाश स्वीकृत करने के आदेश दे दिये गये हैं।

*२०—श्री शम्भू नाथ चौधरी तथा चौधरी अनवार अहमद—
[८वें सोमवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लि०, लखनऊ में जूनियर सहायकों का वेतनमान

*२१—श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन अभिनवीकरण दिनांक १५ अगस्त, १९७३ से पूर्व गन्ना संघ उत्तर प्रदेश, लखनऊ में जूनियर सहायकों का वेतनमान क्या था तथा उक्त तिथि से पूर्व उस वेतनमान में कितने जूनियर सहायक कार्यरत थे ? दिनांक १५ अगस्त, १९७३ से कितने जूनियर सहायकों को २३०—३८० का वेतनमान निर्धारित किया गया दिनांक १५ अगस्त, १९७३ से पूर्व कार्यरत शेष जूनियर सहायकों को भी १५ अगस्त, १९७३ से २३०—३८० का वेतनमान देकर बकाया वेतन भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ में वेतन अभिनवीकरण दिनांक १५—८—७३ के पूर्व जूनियर सहायकों का वेतनमान रु० ८०—१२५ था तथा साथ में ३० रु० अतिरिक्त मुख्यालय भत्ता भी दिया जाता था। उक्त वेतनमान में १५—८—७३ के पूर्व ८८ जूनियर सहायक कार्यरत थे। वेतन अभिनवीकरण में निर्धारित रु० २३०—३८० का वेतनमान उक्त सभी जूनियर सहायकों को दिनांक १५—८—७३ से स्वीकृत किया जा चुका है।

*२२—श्री भगवती प्रसाद सिंह—
[८वें सोमवार के लिए स्थगित।]

देवरिया डिपो के कर्मचारियों द्वारा बसों का आवागमन बन्द कर दिया जाना

*२३—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर क्षेत्र के देवरिया डिपो के कर्मचारियों ने दिनांक २० मार्च, १९७८ को १० घंटे तक बसों का आवागमन बन्द कर दिया था ? यदि हां, तो उसका क्या कारण था और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्या ?

श्री आबिद अली—

जी हां।

दिनांक १४—३—७८ को देवरिया—बरहज जा रही ब[illegible] के चालक को खुखुन्दु के दरोगा द्वारा पीटा गया था जिसके विरोध के फलस्वरूप देवरिया डिपो से संचालन बन्द रहा। सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

*२४—श्री राम आसरे वर्मा—
[८वें सोमवार के लिए स्थगित।]

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के स्थल परिवर्तन सम्बन्धी मामले पर विचार

*२५—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के स्थल परिवर्तन सम्बन्धी मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा डा० एम० एस० रन्धावा की अध्यक्षता में गठित कृषि विश्वविद्यालय पुनरीक्षण समिति ने यह संस्तुति की थी कि कुमारगंज की भूमि मुख्यतः ऊसर होने के कारण विश्वविद्यालय एवं कृषि शोध कार्य के लिये अनुपयुक्त है। यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

मण्डी समिति द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों का निर्माण

*२६--श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि वर्ष १९७७-७८ में मन्डी समिति द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों को पक्का करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इन सड़कों को कब तक पक्का कर दिया जायेगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां। इन सड़कों को पक्का करने में कितना समय लगेगा यह निश्चित रूप से इस समय बताना सम्भव नहीं है।

लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड की ओर से दर्ज मुकदमा

*२७--श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या पशुधन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि १९७६ में ३ लाख ७७ हजार रुपये की गड़बड़ी के सम्बन्ध में लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड लखनऊ की ओर से अपराध संख्या १,६३६ सी० का मुकदमा दर्ज कराया गया था ? जिसम अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी गिरफ्तार किए गए और बाद में जमानत पर रिहा हुए ? यदि हां, तो जमानतों पर आए अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से किन-किन को निलम्बित किया गया। जिन्हें निलम्बित नहीं किया गया, उनके निलम्बित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*२८--श्री अब्दुल वहीद--

[८वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री श्रीराम शर्मा एडवोकेट, सहारनपुर का गोबध निवारक कानून का उल्लंघन करने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*२६ -श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर) -

क्या सरकार को यह जानकारी है कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश गोबध निवारक कानून का उल्लंघन करके गोधन कलकत्ता तथा बान्द्रा (बम्बई) के बूचड़खानों के लिए ले जाया जाता है ? क्या इस विषय पर सहारनपुर के श्री श्रीराम शर्मा एडवोकेट ने दिनांक १५ जनवरी, १९७८ को एक पत्र जिलाधीश, सहारनपुर को लिखा है, जिसकी प्रतियां मुख्य मंत्री, मंत्री, पशुपालन विभाग और पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को भेजी हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं । उत्तर प्रदेश गोबध निवारक अधिनियम केवल उत्तर प्रदेश में लागू है और उसमें गायों एवं बैलों आदि के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । श्री श्रीराम शर्मा, एडवोकेट के पत्र पर जिला प्रशासन, सहारनपुर द्वारा जांच कराने पर ज्ञात हुआ है कि सहारनपुर से गोधन के रेल द्वारा भेजने हेतु बुक कराते समय ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता कि उन्हें गोबध के लिये ही बाहर भेजा जा रहा है । श्री श्रीराम शर्मा के पत्र की प्रतिलिपियां आवश्यक कार्यवाही हेतु बम्बई तथा कलकत्ता के पुलिस अधिकारियों के पास भेज दी गई हैं ।

अतारांकित प्रश्न

जिला परिषदों को दी गयी रोड रोलरों के लिए धनराशि

१--श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा मेसर्स गार्डन एण्ड रीच कं० से नया रोड रोलर मेरठ जिला परिषद को देने के बाद भी जिला परिषद अपनी सड़कों के लिए रोलर का १७५ रुपया प्रतिदिन के हिसाब से किराये का भुगतान ठेकेदारों को कर रही है ? यदि हां, तो क्यों और रोलर देने से अब तक कितने किराए का भुगतान हो चुका है ?

श्री जमुना प्रसाद--

राजाज्ञा संख्या २०७८-ग/३३-३-८३-७२, दिनांक २५ मार्च, १९७२ द्वारा १४, ८१, ४८१०·०० रुपये की दर से प्रत्येक जिला परिषद् की धनराशि सड़कों को पक्की करने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें रोड-रोलर की धनराशि भी सम्मिलित थी । परन्तु नया रोड-रोलर जिला परिषद्, मेरठ को नवम्बर, १९७४ में ही प्राप्त हो सका ।

रोड-रोलर के प्रयोग में न लाने के कारण निम्नलिखित थे :

(१) रोड-रोलर १९७४ में प्राप्त हुआ जबकि सड़कें रोड-रोलर के आने से पहले ही बनना शुरु हो गई थीं और सड़क के प्राक्कलन में ही रोड-रोलर के किराये का प्राविधान १७५ रु० प्रतिदिन के हिसाब से कर दिया गया था ।

(२) रोड–रोलर के लिए गार्डन रीच कम्पनी को आर्डर तथा ९,००० का अग्रिम धन दिया गया था, लेकिन कम्पनी ने रोड–रोलर सप्लाई नहीं किया बल्कि आर्डर कैन्सिल कर के ६,००० का एडवान्स वापिस कर दिया, उसके उपरान्त रोड–रोलर के क्रय का रुपया सड़क निर्माण पर खर्च कर दिया गया ।

(३) कुछ दिनों बाद कम्पनी रोड–रोलर शासन के आदेशानुसार भेज दिया अतः जब तक इसका मूल्य चुका नहीं दिया गया, रोड–रोलर का इस्तेमाल नहीं किया गया । तत्कालीन अध्यक्ष ने शासन को यह भी लिखा कि रोड–रोलर किसी दूसरे जिला परिषद को दे दी जाय ।

(४) रोड–रोलर के ड्राइवर रखने में भी कुछ समय लगा ।

इस प्रकार रोड–रोलर के आने के बाद से २८–२–७८ तक ३५,७५६·५८ रुपये का भुगतान रोड–रोलर के किराये के रूप में किया गया है। जिला परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष से इस किराये की धनराशि वसूली करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

जिला परिषद, मेरठ द्वारा शैड्यूल रेट से अधिक दिया गया मैक्स फाल्ट

२––श्री नरेन्द्र सिंह––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला परिषद मेरठ द्वारा शैड्यूल रेट से अधिक मैक्स फाल्ट तखमीनों में दिया जा रहा है ? यदि हां, तो गत ५ वर्ष में कितनी अधिक अदायगी इस कारण हो चुकी है और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री जमुना प्रसाद––

जी नहीं ।

मैक्सफाल्ट का प्राविधान सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के शैड्यूल रेट के अनुसार ही तखमीने में शामिल रहता है । अतः अधिक अदायगी का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद द्वारा अंग्रेजी चिकित्सालयों के लिए क्रय की गयी औषधियां

३––श्री नरेन्द्र सिंह––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद मेरठ ने अपने अंग्रेजी चिकित्सालयों के लिए बीसों हजार रुपए की औषधियां मार्च, १९७७ में राज्यादेशानुसार स्वीकृत कान्ट्रेक्ट रेट पर न खरीद कर कोटेशन लेकर खरीदी हैं जबकि मेरठ में कई कान्ट्रेक्ट रेट पर खरीदारी के लिए स्वीकृत फर्म हैं ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी है ?

श्री जमुना प्रसाद––

वर्ष १९७७ में जिला परिषद, मेरठ में रेट कान्ट्रेक्ट पर औषधियां सप्लाई करने वाली फर्मों की सूची उपलब्ध नहीं थी । अतएव औषधियां समाचार पत्रों द्वारा टेन्डर मांगकर तत्कालीन कार्य अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से क्रय की गई थीं ।

सहकारी लेखा परीक्षा विभाग द्वारा धन का अपहरण एवं दुरुपयोग

४--श्री मित्रसेन--

क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७७ तक जनपद फैजाबाद की विभिन्न सहकारी संस्थाओं में सहकारी लेखापरीक्षा विभाग द्वारा कितनी धनराशि के अपहरण एवं दुरुपयोग के लिए विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

दिनांक ३१-१२-७७ तक जनपद फैजाबाद की विभिन्न सहकारी समितियों में सहकारी लेखा परीक्षा विभाग द्वारा रुपया २४,७८,४५९·६२ के अपहरण एवं दुरुपयोग के लिए विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

राजकीय कृषि फार्म मड़ुआडीह, वाराणसी में कृषि फर्म तथा मजदूरों की संख्या व मजदूरी

५--श्री ऊदल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि फार्म मड़ुआडीह, वाराणसी में प्रदर्शन हेतु कितने एकड़ तथा कृषि फार्म हेतु कितने एकड़ हैं और अलग-अलग सन् १९७२-७३ से लेकर सन् १९७५-७६ तक दैनिक मजदूरों की प्रत्येक वर्ष में संख्या क्या थी और उसको अलग-अलग वर्षों में कितने रुपये की मजदूरी दी गई ? क्या क्षेत्रफल में भी विस्तार हुआ है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

वाराणसी शहर के समीप कृषि परीक्षण प्रदर्शन केन्द्र, वाराणसी के नाम से कृषि विभाग का एक फार्म कुल ७७ एकड़ क्षेत्र में स्थित है । इसके कृषि योग्य क्षेत्रफल ६१ एकड़ के अधिकांश भाग पर कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन का काय होता है तथा शेष भाग पर आधारीय बीज सम्बर्धन कार्यक्रम चलाया जाता है ।

सन् १९७२-७३ से १९७५-१९७६ तक का मजदूरों तथा मजदूरी का विवरण निम्नवत है :

वर्ष	मजदूरों की संख्या (मैनडेज)	मजदूरी
१९७२-७३	८४३४	१९६१८
१९७३-७४	११११९	२९९७३
१९७४-७५	१३६४२	४४५५२
१९७५-७६	१५६४२	५२४३७

जी नहीं ।

राजकीय कृषि एवं प्रदर्शन फार्म मड़ुआडीह, वाराणसी में ट्रेक्टरों की खरीद

६--श्री ऊबल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि एवं प्रदर्शन फार्म मड़ुआडीह, वाराणसी में एक ट्रेक्टर नया खरीदा गया था और उसे कई वर्षों तक लाग-बुक में नहीं चढ़ाया गया और उस पर मार्च, १९७६ में २३ हजार रुपये मरम्मत पर खर्च किया गया और मार्च, १९७७ तक और बीस हजार रुपया खर्च के बाद भी किराये के ट्रेक्टरों से काम कराया गया ? यदि हां, तो ट्रेक्टर कहां-कहां के, किनके थे और उन्हें कितने रुपये का भुगतान शुरू से लेकर मार्च, १९७७ तक किया गया है और सरकारी ट्रेक्टर की मरम्मत किस कारखाने में करायी गयी है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

वर्ष १९६९-७० में एक ट्रक्टर यु० पी० एल० ९००२ खरीदा गया था। उसे लागबुक पर चढ़ाया गया है और मार्च, ७६ में उसकी मरम्मत पर ३,०३९·१२ रु० खर्च किया गया। मार्च, ७८ के बाद मार्च, ७७ तक २,४६७·१४ रु० उसकी मरम्मत पर और व्यय हुआ। भारी कार्य कराने के लिए किराये पर निम्न स्थानों से ट्रेक्टर लिए गये :--

१--यु० पी० एग्रो, लहरतारा, वाराणसी।

२--सहायक कृषि अभियन्ता, मिर्जापुर।

३--दयाशंकर वर्मा, केराकतपुर, वाराणसी।

४--बाबू लाल चुरावनपुर, वाराणसी।

उपर्युक्त किराये के ट्रेक्टरों पर रुपया २५,४५७·५९ का भगतान मार्च, १९७७ तक किया गया। सरकारी ट्रेक्टर की मरम्मत यू० पी० एग्रो, लहरतारा, वाराणसी से करायी गयी।

विकास क्षेत्र हरया, जिला बस्ती के बी० डी० ओ० के विरुद्ध आरोपों की जांच

७--श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र हर्रैया के बी० डी० ओ० (श्री ज्वाला प्रसाद) के विरुद्ध अनेक अनियमितताओं तथा अनुदान की धनराशि अपने निजी पासबुक में जमा करने आदि जैसे कतिपय गम्भीर आरोपों की जांच जिला अधिकारी द्वारा करायी जाने पर कौन-कौन से आरोप सही पाए गए ? आरोप सिद्ध होने पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जमुना प्रसाद—

जांच में यह तथ्य जानकारी में आए कि क्षेत्र समिति की कार्यवाही रजिस्टर का रख-रखाव ठीक से नहीं किया गया, निर्माण कार्य समय से पूर्ण नहीं कराये गये तथा अधीनस्थ कर्मचारियों का रुपया अल्प अवधि के लिए अपनी पास बुक में जमा कराया ।

खण्ड विकास अधिकारी को अपने मूल पद, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), पर दिनांक २ फरवरी, १९७८ से प्रत्यावर्तित कर दिया गया है ।

सहायक अभियन्ता, श्री राम सिंह, जिला बस्ती के विरुद्ध गबन एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें

८—श्री ओम प्रकाश—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले के सहायक अभियन्ता अल्प सिंचाई (श्री राम सिंह) के विरुद्ध बनजरिया कृषि फार्म की बोरिंग के लिए विभागीय स्टोर में टाटा के ६ इंच पाइप एवेलेबुल होते हुए घटिया किस्म की पाइप अधिक दाम पर खरीदने तथा उसी फार्म के लिए कूपर इंजिन अधिकृत फर्म से न खरीद कर अधिक दाम पर अन्य फर्म से खरीदने आदि कतिपय गबन एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां, शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर अभी जांच की जा रही है ।

सहकारी समितियों एवं संस्थाओं के चुनाव

९—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियों एवं संस्थाओं के चुनाव कब तक पूर्ण करा दिए जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रदेश के उन सभी सहकारी समितियों एवं संस्थाओं, जिनकी प्रबन्ध कमेटियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, के चुनाव इसी वर्ष पूर्ण कराने का पूरा प्रयास किया जायेगा ।

कृषि विभाग के कनिष्ट लिपिकों का स्थायीकरण

१०—श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कृषि विभाग के कनिष्ट लिपिकों का स्थायीकरण गत १५ वर्ष से रुका हुआ है ? यदि हां, तो विकास खंडों एवं जिला केन्द्रों में कार्यरत ऐसे लिपिकों की संख्या कितनी है और उनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये सूचना ५६ जिलों तथा ८७६ ब्लाकों से प्राप्त करना होगी । इसमें जितना समय व धन का व्यय होगा वह उसके उत्तर से प्राप्त लाभ के अनुपात में बहुत अधिक होगा ।

श्री रजनी कान्त जैन, कोषाध्यक्ष, सहकारी बैंक शाखा, कन्नौज को निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान

११—श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद की सहकारी बैंक की शाखा कन्नौज के निलम्बित कोषाध्यक्ष (श्री रजनी कान्त जैन) ने सरकार को दिनांक ११ जुलाई, १९७७ को कोई आवेदन-पत्र इस आशय का दिया है कि उन्हें अनियमित रूप से निलम्बित किया गया है तथा उन्हें निलम्बनकाल का कोई जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया ? यदि हां, तो सरकार ने उसमें क्या कार्यवाही की ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री जैन का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ११-७-७७ का प्राप्त हुआ जिसकी जांच कराई गई । जांच से यह विदित हुआ कि श्री जैन को दिनांक २-३-७४ से ३१-३-७४ तक का जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जा चुका है । तदोपरान्त श्री जैन के निरन्तर मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण तथा उनके द्वारा कोई ऐसा प्रमाण-पत्र न दिए जाने के कारण कि वह निलम्बन की अवधि में किसी प्रकार के कारोबार, वृत्ति अथवा व्यवसाय में अन्यत्र नहीं लगे थे और उससे उन्होंने कोई पारिश्रमिक अर्जित नहीं किया है, बैंक द्वारा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किया गया ।

श्री जैन के ११-७-७७ के आवेदन पत्र के सम्बन्ध में निबन्धक सहकारी समितियां, लखनऊ को लिखा गया कि वह श्री जैन को सूचित कर दें कि वह सचिव, जिला सहकारी बैंक, फर्रुखाबाद को स्थिति स्पष्ट करके देय धनराशि की मांग कर सकते हैं । निबन्धक ने श्री जैन को तदनुसार सूचित कर दिया है । श्री जैन ने उच्च न्यायालय में अपने मामले में एक रिट याचिका भी दायर की है जो विचाराधीन है ।

किसानों का गन्ना खरीदने की हेतु हंडिया क्रय केन्द्र का संचालन

१२—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १० जनवरी, १९७७ को सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, औराई, वाराणसी के द्वारा पारित प्रस्ताव गन्ना आयुक्त के पास हंडिया तहसील, इलाहाबाद जनपद में कांटा लगाने हेतु भेजा गया ? क्या यह सही है कि अब तक किसानों के गन्ना खरीदने की व्यवस्था नहीं की गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

सहकारी गन्ना विकास समिति औराई का दिनांक १०-१-७८ का प्रस्ताव गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राप्त नहीं हुआ है ।

जिला गन्ना अधिकारी, वाराणसी द्वारा उल्लिखित प्रस्ताव अवश्य प्राप्त हुआ है किन्तु उसमें हंडिया में क्रय केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं किया गया है ।

यातायात की कठिनाईयों के कारण हंडिया क्रय केन्द्र वर्तमान सीजन में सुचारु रूप से संचालित नहीं किया जा सका ।

उक्त क्रय केन्द्र से सम्बद्ध कृषकों को औराई चीनी मिल के गेट पर गन्ना पूर्ति की सुविधा प्रदान की गई ।

जिला परिषद्, झांसी में अभियन्ताओं के स्वीकृत पद

१३--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में जिला परिषद् झांसी में अभियन्ताओं के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने अभियन्ता कार्यरत हैं ?

श्री जमुना प्रसाद--

जिला परिषद्, झांसी में अभियन्ता का एक पद स्वीकृत है ।

एक अभियन्ता जो जिला परिषद् द्वारा हटा दिय गये थे लेकिन शासन द्वारा उनका प्रत्यावेदन स्वीकृत होने के कारण पुनः अभियन्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं । दूसरे अभियन्ता जो इनकी जगह पर रख लिये गये थे उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण में मुकदमा दायर किया है उनकी नियुक्ति ६-५-७८ तक है यह मुकदमा अभी चल रहा है ।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बरेली के कार्यालय में रिश्वत लेते हुए कनिष्ठ लिपिक

१४--श्री चेतराम गंगवार--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तिथि २६ अक्तूबर, १९७६ को बरेली आर० टी० ओ० के कार्यालय में कितने कनिष्ठ लिपिक रिश्वत लेते हुए किस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और इनको अभी तक चार्जशीट न देने का कारण क्या है ?

श्री आबिद अली--

दिनांक २६-१०-७६ को सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बरेली के कार्यालय में सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों द्वारा एक कनिष्ठ लिपिक को रिश्वत लेते हुये पकड़ा गया था । इस मामले में एक गवाह का बयान उपलब्ध न हो सकने के कारण अभी विवेचना समाप्त न हो सकी । वांछित कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

हमीरपुर जिले के विकास क्षेत्र सुमेरपुर तथा कुरारा में ग्राम विकास योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि

१५--श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले के विकास क्षेत्र सुमेरपुर तथा कुरारा में वर्ष १९७५-७६ तथा १९७६-७७ में कितना-कितना धन ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत अलग-अलग आवंटित किया गया और वह किन-किन निर्माण कार्यों में व्यय किया गया ?

श्री जमुना प्रसाद--

जिला हमीरपुर के विकास क्षेत्र सुमेरपुर को वर्ष १९७५-७६ में ३४,१३६ रुपये भूमि विकास कर से एवं वर्ष १९७६-७७ में ७४,००० रुपये स्वावलम्बन मद तथा २६,००० रुपये भूमि विकास कर से आवंटित किया गया । कुरारा विकास

क्षेत्र को वर्ष १९७५-७६ में ३४,१३६ रुपये भूमि विकास कर से एवं वर्ष १९७६-७७ में ७४,००० स्वावलम्बन मद एवं २६,००० रुपये भूमि विकास कर से आवंटित किया गया ।

निर्माण कार्यों तथा उन पर व्यय की गई धनराशि का विवरण संलग्न है ।

जनपद आजमगढ़ के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी तथा हरिजन एवं पिछड़ी जाति का प्रतिशत

१६--श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में कुल कितने अधिकारी व कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं ? उनमें से कितने हरिजन वर्ग के हैं और कितने पिछड़ी जाति के है तथा उनका प्रतिशत क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

आजमगढ़ जनपद में इस समय कुल २७० अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें ४१ हरिजन तथा ८८ पिछड़ी जाति के हैं । इनका प्रतिशत क्रमशः १५.१८ तथा ३२.६ है ।

कृषि विभाग द्वारा रबी बोआई हेतु खाद का वितरण

१७--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष रबी की बोआई हेतु अक्तूबर से लेकर दिसम्बर, १९७७ तक वाराणसी जिला तथा इस मंडल के प्रत्येक जिलों में कितनी डाई खाद कृषि विभाग द्वारा किसानों को दी गयी ? क्या यह सत्य हैं कि छूट की खाद डाई को वाराणसी जिले में सिर्फ दो सौ टन ही कृषि विभाग ने वितरित कराया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

इस वर्ष रबी की बुवाई हेतु अक्तूबर से दिसम्बर, ७७ तक वाराणसी जनपद में ७३४.३२० मी० टन डाई अमो० फास्फेट तथा उक्त अवधि में वाराणसी मंडल के अन्य जिलों मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर एवं बलिया में क्रमशः १०४ मी० टन, ७८३ मी० टन, ४०५-६२८ ०८९ मी० टन तथा ४१८-७७६ मी० टन डाई अमो० फास्फेट कृषि विभाग द्वारा किसानों को दी गई ।

जी नहीं, उक्त अवधि में वाराणसी जनपद में ७३४-३२० मी० टन डी० ए० पी० वितरित की गई है ।

वाराणसी जनपद में आर० आर० २१ गेहूं का पन्तनगर से मंगाया जाना तथा गेहूं का मूल्य

१८--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७६-७७ में तथा १९७७-७८ में रबी की बोआई में पन्तनगर का गेहूं आर० आर० २१ तथा दूसरे किस्म के बीजों को वाराणसी में कितना कृषि विभाग के उप निदेशालय द्वारा मंगाया

छापा नहीं गया ।

गया और इस मंडल के प्रत्येक जिलों में कितना किसानों में वितरित किया गया ? क्या यह सत्य है कि इस वर्ष आर० आर० २१ गेहूं पन्तनगर जिसकी कीमत पिछले वर्ष २१० रुपए क्विन्टल था इस वर्ष २७५ रुपया क्विन्टल था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या २७५ रुपए क्विन्टल पर भी किसानों को गेहूं उपलब्ध नहीं कराया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

वर्ष १९७६-७७ में वाराणसी मंडल में गेहूं आर० आर० २१ का १०४९८.७५ कुन्तल बीज तराई विकास निगम, पन्तनगर से मंगाया गया था और सभी कृषकों में वितरित कर दिया गया था ।

जनपद वार सूचना निम्नलिखित है :--

जनपद	बीज की मात्रा (कुन्तल)
वाराणसी	१९८२ ००
मिर्जापुर	१२२६.१५
जौनपुर	२७७४.६०
गाजीपुर	२४००.००
बलिया	२११६ ००

वर्ष १९७७-७८ में पन्तनगर से कोई गेहूं बीज कृषि विभाग द्वारा नहीं मंगाया गया ।

जी नहीं। वर्ष १९७७-७८ में ५ नवम्बर, १९७७ तक २३० रु० एवं तत्पश्चात् २१५ रु० प्रति क्विंटल कीमत थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती में चूहों द्वारा गेहूं और गन्ने की फसल की क्षति

१९--श्री भीषम (जिला बस्ती)--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है जनपद बस्ती में इस वर्ष चूहों से गेहूं और गन्ने की फसल लगभग १/२ (आधी) नष्ट हो गई ? यदि हां, तो तत्काल इस क्षति को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

बस्ती जनपद में वर्ष १९७७-७८ में गेहूं और गन्ने की फसलों की चूहों द्वारा लगभग पांच प्रतिशत की हानि आंकी गई है ।

जनपद में १,२५,२९४ हेक्टेयर क्षेत्रफल पर चूहा निवारण कार्य कराया गया । इस वर्ष भी चूहा निवारण अभियान चलाया जायेगा ।

प्रदेश की विभिन्न सहकारी संस्थाओं में लगातार कार्यरत कर्मचारी

२०--श्री जौहरी लाल त्रिवेदी (जिला कानपुर)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में सहकारी संस्थागत सेवा मन्डल के क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं में दिनांक २५ जुलाई, १९७२ के बाद प्रदेश की विभिन्न सहकारी संस्थाओं में कितनी नियुक्तियां हुईं, क्या यह कर्मचारी लगातार अभी तक कार्यरत हैं ? क्या यह भी सही है कि निबन्धक, सहकारी समितियों ने ऐसे कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने हेतु कोई परिपत्र जारी किया है ? यदि हां, तो इसमें कितने कर्मचारी बरोजगार होंगे ? कितने कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय या श्रम न्यायालय की शरण ली है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उत्तर प्रदेश की सहकारी संस्थागत सेवा मन्डल के क्षेत्र में आने वाली सभी सहकारी संस्थाओं से सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के सहकारी क्षेत्रों में लगाये गय शीत गृह

२१--श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या सहकारिता मंत्री को इस बात की जानकारी है कि वर्ष १९७७-७८ में प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में किन स्थानों पर शीतगृह लगाए गए ? क्या फैजाबाद जनपद बीकापुर में सहकारी शीतगृह लगाने के विषय में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक १५ दिसम्बर, १९७७ को सहकारिता मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो यह शीतगृह कब तक बन सकेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वर्ष १९७७-७८ में प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में किसी नये स्थान पर शीतगृह नहीं लगये गये हैं । फैजाबाद जनपद में बीकापुर में सहकारी शीतगृह लगाने के विषय में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक १५ दिसम्बर, १९७७ प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया जा रहा है । जब तक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है और प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है तब तक इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कहना सम्भव नहीं है ।

केन्द्रीय गृह मन्त्री, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर भेजी गई स्पेशल बसें

२२--श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय गृह मन्त्री, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस २३ दिसम्बर के अवसर पर तथाकथित "किसान दिवस" की रैली के लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की कितनी स्पेशल बसें उत्तर प्रदेश से दिल्ली भेजी गईं और उससे सरकार को कितनी धनराशि की अतिरिक्त आय हुई ?

श्री आबिद अली—

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा न तो बसें आरक्षित की गईं और न ही स्पेशल सेवायें चलाई गईं। अतः अतिरिक्त आय होने का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला परिषद्, हापुड़ द्वारा जूनियर हाई स्कूल का अनधिकृत रूप से दिया गया भवन का कुछ भाग

२३—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, मेरठ ने अपने हापुड़ स्थित जूनियर हाई स्कूल भवन का बहुमूल्य भाग कुछ व्यक्तियों को अनधिकृत रूप से दे दिया है ? यदि हां, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां।

जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूल के भवन का एक भाग कुछ समय के लिये भूतपूर्व अध्यक्ष, जिला परिषद् द्वारा भूतपूर्व विधायक श्री भूप सिंह केन को दिया गया था, जिसका आवंटन अब किया जा चुका है।

जिलाधिकारी ने भवन खाली कराने का नोटिस दे रखा है और खाली कराने की कार्यवाही चल रही है। इसके लिए तत्कालीन अध्यक्ष जिम्मेदार हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि उस स्थान का जो देय हो वह उनसे क्यों न वसूल किया जाय।

विकास क्षेत्र, खजनी का भवन बनाने की योजना

२४—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि विकास क्षेत्र, खजनी (गोरखपुर) का भवन बनाने की कोई योजना कुछ समय पूर्व प्रस्तावित थी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जमुना प्रसाद—

विकास क्षेत्र, खजनी (गोरखपुर) का भवन बनाने हेतु क्षेत्र समिति खजनी ने अपनी बैठक में दिनांक १३ मार्च, १९७४ के प्रस्ताव संख्या-४ द्वारा ग्राम खजनी में भवन बनाने हेतु विचार किया गया था और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया था कि यदि खजनी में भवन न बन सका तो ग्राम खुटहना में भूमि प्राप्त कर निर्माण कराया जाये। क्षेत्र समिति के इस प्रस्ताव को अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, गोरखपुर को दोनों ग्रामों में प्रस्तावित भूमि के निरीक्षण हेतु मई १९७४ में भेजा गया था। अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र दिनांक १७ मई, १९७४ द्वारा सूचित किया कि दोनों स्थानों में प्रस्तावित भूमि भवन बनाने हेतु उपयुक्त नहीं है। तत्पश्चात क्षेत्र समिति ने अब तक इस सम्बन्ध में किसी अन्य भूमि का चयन करके कोई प्रस्ताव नहीं भेजा।

सूखोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के विकास खण्डों को मिली केन्द्रीय सहायता

२५--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या कृषि एवं क्षेत्रीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन जिलों के किन विकास खण्डों को सूखोन्मुख कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता मिलती है ? क्या केन्द्रीय सहायता को निर्धारित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी व्यय करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

सूखोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०) के अन्तर्गत प्रदेश के जिन जिलों एवं जिन विकास खण्डों को केन्द्रीय सहायता मिलती है उनके नाम *संलग्नक 'क' में दिखाये गये हैं ।

केन्द्रीय सहायता को निर्धारित क्षेत्रों से भिन्न किसी क्षेत्र में व्यय करना अनियमित है । अतएव इस प्रकार व्यय करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

उत्तर प्रदेश एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों अनुसूचित जाति की संख्या

२६--श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ में कुल कितने कर्मचारी पूरे प्रदेश में कार्यरत हैं और उनमें कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ में पूरे प्रदेश में २८ फरवरी, १९७८ की स्थिति के अनुसार कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या २५८० है जिसमें से २१४ अनुसूचित जाति के हैं ।

जनपद गोरखपुर के राजकीय परिवहन निगम के डिपो में बसें

२७--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के राजकीय परिवहन निगम के डिपो में कितनी बसें हैं, उनमें से कितनी बसें चालू हालत में कार्यरत हैं ? कितनी खराब हालत में हैं ? खराब बसों को मरम्मत न होने के कारण निगम को कितनी धनराशि की क्षति हो रही है ? उस क्षति की जिम्मेदारी किस पर होगी ?

---

*(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११४९ पर ।)

श्री आबिद अली--

गोरखपुर जनपद में परिवहन निगम के दो डिपो (गोरखपुर एवं बर्डघाट) है, जिनमें इस समय कुल १७४ बसें हैं। उनमें से ११६ चालू हालत में हैं और ४८ बसें २२ अप्रैल, १९७८ को आफ रोड हैं। दैनिक निर्धारित संचालन के लिए इन दोनों डिपो में नित्य कुल १२४ बसों की आवश्यकता रहती है जिसको अन्य क्षेत्र की ६ गाड़ियों को गोरखपुर क्षेत्र में चलाकर वहां की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। अतः गोरखपुर जनपद में किसी धनराशि को क्षति होने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रादेशिक विकास दल के रिटायर्ड बी० ओ० तथा उनका बकाया जी० पी० एफ०

२८--श्री प्यारे लाल (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक विकास दल के कितने बी० ओ० सन् १९७३ में रिटायर हुए तथा अभी तक कितने बी० ओ० को जी० पी० एफ० मिल चुका है, कितने का बाकी है ? जी० पी० एफ० न दिए जाने का कारण क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद--

प्रादेशिक विकास दल के २० क्षेत्रीय संगठन कर्त्ता (बी० ओ०) सन् १९७३ में सेवा निवृत्त हुये थे। उनमें से १३ क्षेत्रीय संगठन कर्त्ताओं को जी० पी० एफ० मिल चुका है तथा ७ का बाकी है क्योंकि इनके जी० पी० एफ० के अन्तिम भुगतान के आदेश महालेखाकार, उ० प्र० से प्राप्त नहीं हुये हैं।

ग्राम कुम्हिया, प्रतापगढ़ के भट्ठे पर के आदिवासियों का मदोखर, रायबरेली के दरोगा श्री त्रिलोकी नाथ सिंह द्वारा पिटाई एवं गिरफ्तारी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)--

महोदय, मैं आप के माध्यम से सरकार व सदन को जनपद प्रतापगढ़ में आदिवासियों के साथ हुये अत्याचार से अवगत कराना चाहता हूं। घटना इस प्रकार है :--

दिनांक ३ अप्रैल, १९७८ सोमवार, इतवार की रात को जिला रायबरेली के मदोखर थाना के दरोगा श्री त्रिलोकी नाथ सिंह ४ सिपाहियों सहित तथा सरदार जगदीश, भट्ठा मालिक मदोखर, जिला रायबरेली और अन्य २०-२२ हट्ठे-कट्ठे दबंग आदमियों के साथ जिसमें कुछ शस्त्रों से सुसज्जित थे लगभग २-३ बजे रात को ट्रक नं० ८७४ यू० पी० आई० से प्रतापगढ़ के कुम्हिया ग्राम के भट्ठे पर आए। भट्ठे पर बिहार प्रान्त के कुछ आदिवासी ईंटा पथाई का काम करने वाले रुके हुए थे। पहले उन लोगों ने उन आदिवासियों को लालच देकर ले जाना चाहा। किन्तु जब वे तैयार नहीं हुए तो जबरन मार-पीटकर उनका सामान लूट कर उन्हें ट्रक में बिठा लिया। जानकारी होने पर क्षेत्र के संभ्रान्त व्यक्तियों ने जिलाधिकारी प्रतापगढ़ व रायबरेली को घटना की जानकारी दी। मुलिजमानों ने पहले से ही कोई फर्जी मुकदमा इन निरीह आदिवासियों के खिलाफ बना रखा था। फलतः उन्हें रायबरेली ले जाकर

ग्राम कुम्हिया, प्रतापगढ़ के भट्ठे पर के आदिवासियों का मदोखर, रायबरेली १०८१ के दरोगा, श्री त्रिलोकी नाथ सिंह द्वारा पिटाई एवं गिरफ्तारी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

जेल में बन्द कर दिया। आज भी वे आदिवासी जेल में सड़ रहे हैं। उनके पास न तो जमानत का पैसा है और न ही वे मुकदमा लड़ सकते हैं। आदिवासियों के इस घोर उत्पीड़न को देखकर जनपद में बड़ा रोष व क्षोभ है। इस सम्बन्ध में जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी के क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्त्ता प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री महानारायण पांडेय ने घटना के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सहित एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, गृह मंत्री भारत सरकार, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ व रायबरेली आदि को भेज दिया था किन्तु खेद है कि अभी तक वे आदिवासी जिला जेल, रायबरेली में अपने बाल-बच्चों से अलग अपने भाग्य को कोस रहे हैं। अस्तु, श्रीमान् जी के माध्यम से अनुरोध है कि अविलम्ब उपरोक्त आदिवासियों को जेल से मुक्त कराने और न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करें तथा दोषी व्यक्तियों को उचित दंड देने की कार्यवाही करायें।

खेत में जले हुए गन्ने की रिकवरी टेस्ट करके तुरन्त क्रय करने के आदेशों का सीतापुर की चीनी मिलों द्वारा उल्लंघन करने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय, शासन द्वारा चीनी मिलों को यह स्पष्ट निर्देश है कि यदि किसी काश्तकार का गन्ना खेत में जल जाय तो उसकी रिकवरी टेस्ट करके वह तत्काल खरीद ले तथा रिकवरी के आधार पर उसका भुगतान कर दिया जाय। सीतापुर जिले की चीनी मिलें शासन के इस निर्देश की स्पष्ट अवहेलना कर रही हैं। माननीय, प्राकृतिक कारणों से गन्ने के अनेक खेतों में गत सप्ताह आग लग गयी। काश्तकार मिल मालिक के पास फरियाद कर रहें हैं परन्तु कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। परिणामस्वरूप काश्तकारों के सम्मुख भीषण संकट है। जिला स्तर पर मालिकों से संपर्क करने पर भी कोई परिणाम नहीं निकला। यदि शीघ्र ही जला गन्ना न ले लिया गया तो वह खेत में ही सूख कर बिल्कुल नष्ट हो जायगा। इससे गरीब काश्तकार का तो अहित होगा ही, साथ ही राष्ट्रीय क्षति भी होगी। अतएव आपके माध्यम से लोक महत्व के इस प्रश्न पर माननीय गन्ना विकास मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह सीतापुर जिले के चीनी मिलों को यह स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें कि आग से जला गन्ना अवश्य खरीदा जाय। शासन द्वारा मिलों पर दबाव डालकर आदेशों का कार्यान्वयन कराना काश्तकार के हित में अत्यन्त आवश्यक है तथा यह भी प्रार्थना है कि परिणाम से आदरणीय सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

ग्राम चन्दी खेड़ा, तहसील मोहन लाल गंज, लखनऊ में अग्निकांड के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री सन्त बक्श रावत (जिला लखनऊ)—

माननीय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान इस सुनिश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक २३-४-७८ को करीब ५ बजे ग्राम चन्दीखेड़ा मजरा बिरौलिहपुर, तहसील मोहन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सन्त बक्श रावत--]

लालगंज, जिला लखनऊ में भीषण अग्निकांड के फलस्वरूप करीब ३४ मकान जल कर राख हो गए। आवास तथा गृहस्थो का सारा सामान नष्ट हो गया। पहनने-ओढ़ने के कपड़े तथा चारपाई आदि जल कर राख हो गए। लोगों को सिर छुपाने की जगह नहीं है तथा उनके भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। घटना की सूचना पाते ही लखनऊ चौक से अग्नि शमन दल के पहुंचने तथा लगभग १० घंटे तक संघर्ष करने पर अग्नि पर नियंत्रण पाया जा सका। इस घटना से इस क्षेत्र के लोगों में भय उत्पन्न हो गया है।

अतः में आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आकर्षित करते हुए अग्नि से प्रभावित लोगों की अविलम्ब सहायता हेतु माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं।

उन्नाव जनपद में आपातकाल में निकाले गए कृषि अमीनों व चपरासियों द्वारा अनशन तथा सेवा में पुनः लिए जाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)---

मान्यवर, आपके माध्यम से जनपद, उन्नाव में आपातकालीन स्थिति के दौरान निकाले गए कृषि अमीनों व चपरासियों द्वारा दिनांक २५-४-७८ से चलाए जा रहे क्रमिक अनशन की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद, उन्नाव के लगभग ७० कृषि अमीन व चपरासियों को तत्कालीन सरकार के एक आदेश द्वारा लगभग १०-१०, १२-१२ वर्ष तक सेवारत रहने के बावजूद इन्हें सेवा-मुक्त कर दिया गया था, किन्तु जनता सरकार के सत्ता में आते ही दिनांक ६-७-७७ को शासनादेश सं० ४१/२/१९७७ कार्मिक के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि निष्कासित कृषि अमीनों व चपरासियों को वेतनमान २०० रुपया से ३२० रुपये पर खपा लिया जाय, परन्तु उन्नाव जिले के इन कर्मचारियों को अभी तक नहीं खपाया गया। शासनादेशों की अवहेलना पर इन अमीनों को न खपाने तथा नयी भर्ती किए जाने के विरोध में इन अमीनों में असन्तोष व्याप्त हो गया है और उन्होंने दिनांक २४-४-७८ को तद् सम्बन्धी एक नोटिस जिलाधिकारी को भेजकर अनुरोध किया था कि यदि उन्हें राजाज्ञा के अनुसार उपरोक्त वेतनमान पर एवं पुरानी सेवाओं का लाभ देते हुए नहीं खपाया गया तो दिनांक २५-४-७८ से हम लोग क्रमिक अनशन पर बैठ जायेंगे और दिनांक ३०-४-७८ तक क्रमिक अनशन चलायेंगे। यदि इस पर भी हमारी मांगे पूरी न हुई तो दिनांक १ मई, १९७८ से आमरण अनशन शुरू कर देंगे। कर्मचारियों की उक्त सूचनानुसार क्रमिक अनशन चल रहा हैं और अन्य सेवारत कर्मचारियों में भी इस अनशन का व्यापक प्रभाव पड़ रहा है।

अति लोक महत्व की उक्त सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर अपेक्षा करता हूं कि वह अनशनकारी इन कृषि अमीनों व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को पूरा किए जाने हेतु जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दें, ताकि इन बेकार और बेरोजगार अमीनों व चपरासियों के आश्रित परिवारों के समक्ष उत्पन्न घनघोर आर्थिक संकट से मुक्ति मिल सके।

वाराणसी में व्याप्त अराजकता के फलस्वरूप मड़वाडीह से मुगलसराय जी० टी० रोड में रात में पेट्रोल पम्प बन्द रहने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

महोदय, अभूतपूर्व घटनायें घट रही हैं। वाराणसी जिले में ऐसी अशांति व अराजकता आ गई है कि मड़वाडीह से लेकर मुगल राय तक जी० टी० रोड पर प्रायः सभी पेट्रोल पम्प रात्रि को पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल आदि देना बन्द कर दिए हैं। रात्रि में कई पेट्रोल टंकियों पर लूटपाट की घटनायें हो गई हैं और पेट्रोल विक्रेता संघ के निवेदन के बावजूद कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं की जा रही है। परेशान होकर अब ये पेट्रोल बिक्रेता रात्रि में पेट्रोल पम्प बन्द रख रहे हैं। इससे यात्रियों, बसों, ट्रकों को महान कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इसमें क्या कर रही है इसकी पूरी जानकारी मुख्य मंत्री महोदय से दिलाने की कृपा करें।

कठकुइयां चीनी मिल, देवरिया द्वारा गन्ना क्रय न किए जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, मैं कठकुइयां चीनी मिल (देवरिया) के गन्ना काश्तकारों के असहाय तथा बेबसी की स्थिति की तरफ इस माननीय सदन तथा शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, शनिवार दिनांक २९ अप्रैल को जब अपने क्षेत्र के फाजिल नगर से लेकर कठकुइयां तक के बीच के गन्ना काश्तकारों की स्थिति को देखता सुनता दोपहर को कठकुइयां पहुंचा, एक हजार से अधिक काश्तकारों ने मेरा घेराव किया। गन्ना काश्तकार उत्तेजित थे, अधिकारियों के लिए अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे, बीच-बीच में नारे भी लगा रहे थे। केन यूनियन के चेयरमैन तथा कई डाइरेक्टर भी मौजूद थे। चेयरमैन ने लिखित दिया कि ४ लाख कुन्तल गन्ना आज भी खड़ा है। ४५ लाख से ऊपर गन्ने का दाम बकी है। मिल का फाजिलनगर कांटा जो पडरौना मिल को दिया गया है आज भी बन्द है, जबकि तीस हजार कुन्तल गन्ना फाजिलनगर के आस-पास खड़ा है। गन्ना न पडरौना ले रहा है और न कठकुइयां। सरकारी वसूली की निर्दयता हद से पार है। परची जो कीमत का भुगतान नहीं होने के कारण बकाए में सैकड़ों लोग प्रतिदिन तहसील पडरौना को एक कोठरी में बंद किए जाते हैं। पडरौना मिल अप्रैल का भुगतान कर रही है पर कठकुइयां का आधे मार्च के बाद बन्द है। स्मरणीय है कि दोनों मिलें बी० आई० सी० कम्पनी की हैं तो यह भेद-भाव क्यों ?

अतः मांग है :--

(१) ४ लाख कुन्तल गन्ना की पेराई का अविलम्ब प्रबन्ध हो, फाजिल-नगर सेन्टर से दो हजार कुन्तल प्रतिदिन पडरौना ले।

(२) चालीस लाख रुपए का भुगतान अविलम्ब कराया जाय।

[श्री राम नरेश पाण्डेय---]

(३) जब तक भुगतान न हो ३० जून तक का सूद मत लगे, वसूली स्थगित रहे । किसान उत्तेजित हैं, असन्तोष व्याप्त है, प्रतिदिन मिल गेट पर परिस्थिति उग्र होती जा रही है, हिंसक वारदातें हो सकती हैं, अतः शासन अविलम्ब ध्यान दें ।

गन्ना विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय वीरेन्द्र चतुर्वेदी ने माननीय गन्ना विकास मंत्री जी के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना इस आधार पर दी थी कि उन्होंने मेरे निदेश के बावजूद पन्तनगर विश्वविद्यालय की १० लाख क्विन्टल गन्ना किच्छा मिल को आरक्षित करने से गन्ना किसानों में उत्पन्न भय एवं आक्रोश के सम्बन्ध में १९ अप्रैल, १९७८ तक सदन में कोई वक्तव्य नहीं दिया था । माननीय गन्ना विकास मंत्री जी ने अब यह वक्तव्य २७ अप्रैल, १९७८ को दे दिया है, अतः मैं इस मामले को समाप्त करता हूं ।

आपातकाल में मीसा व डी० आई० आर० में निरुद्ध व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित पुस्तिका में सम्बन्धित शासनादेशों का उल्लेख न होने के सम्बन्ध में आपत्ति

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, इस आदरणीय सदन में अनेक बार प्रश्न उठाया गया है कि राजनैतिक कारणों से जो आपातकालीन स्थिति के समय 'मीसा', डी० आई० आर० में बन्द रहे हैं, उनको क्या सुविधायें दी जायं । उ में सदन में व्यवस्था भी हुई थी और उस सम्बन्ध में दो-दो राज्याज्ञाओं के आदेश जारी किए गए थे । मान्यवर, इस सम्बन्ध में आपातकालीन स्थिति के राजनैतिक बंदियों को दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में एक पुस्तिका सदस्यों को वितरित की गयी है । इसको मैंने पढ़ा है । १७ मार्च को महामहिम राज्यपाल ने जो दोनों सदनों को एक साथ सम्बोधित किया था, उसमें पृष्ठ १ पर उल्लेख है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को इमरजेंसी के दौरान राजनैतिक कारणों से हटाया गया, उन्हें भी नौकरी में ले लिया गया है और पूरा वेतन और अन्य लाभ दिए गए हैं । इसी प्रकार उद्योगों में निकाले गए मजदूरों को काम दे दिया गया है और उन्हें भी यह लाभ दिया जायेगा । लेकिन मान्यवर, जो पुस्तिका वितरित की गयी है, उसमें इस आशय का और किसी शासनादेश का उल्लेख नहीं है । मान्यवर, पुस्तिका शासन की सम्पूर्ण नीति की जानकारी देने में सक्षम है । मान्यवर, अभी कृषि विभाग के १४ कर्मचारी जो आपातकाल में निकाले गए, वे मीसा में जेल में थे । मेरे साथ जेल में थे । उनको नौकरी में तो ले लिया गया है लेकिन यह कहा गया है कि उनको उतनी ही छुट्टी का लाभ दिया जायेगा, जितनी कि उनकी छुट्टी बाकी है । अर्थात् मीसा का लाभ उनको नहीं दिया जायेगा । अतः मेरा निवेदन है कि जो राजाज्ञायें शासन की ओर से जारी हुई हैं, आपातकाल के लिए, उनकी विभागीय पुस्तिका बनायी जाय और पुस्तिका पुनः वितरित की जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपात्काल में मीसा व डी०आई०आर० में निरुद्ध व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित पुस्तिका में सम्बन्धित शासनादेशों का उल्लेख न होने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री अध्यक्ष –

यह पुस्तिका सदन के पटल पर नहीं रखी गयी है । लेकिन राजेन्द्र कुमार ने मेरा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में सरकार की नीति को घोषित किया था, उसका संग्रह इस पुस्तिका के अन्दर नहीं है । अतः मैं सरकार का ध्यान माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जिस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और जो सूचनाएं और जो सुविधाएं सरकार द्वारा देने का निश्चय किया गया है, उनको भी संग्रहीत किया जाय और साथ ही इसको प्रसारित किया जाय ताकि जो लोग इससे प्रभावित हैं, वे भी इसका लाभ उठा सकें ।

कतिपय सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष––

मैं अब सदन को सूचना देना चाहता हूं––

माननीय श्री दुक्खी प्रसाद (गोरखपुर), श्री गुन्जेश्वर त्रिपाठी (गोरखपुर), श्री तेजभान सिंह (प्रतापगढ़), श्री वृजवल्लभ सिंह (शाहाबाद), श्री इन्द्र मणी बड़ौनी (टिहरी गढ़वाल), श्री शिवराज सिंह (बदायूं), श्री कन्हई सिंह (शाहजहांपुर), श्री बाबू सिंह (मुजफ्फरनगर), विधायक जो अब तक निर्दलीय थे, ने सूचना दी है कि वे जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं ।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी दल परिवर्तन की सूचना दी है :––

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (झांसी) तथा श्री दुर्ग विजय सिंह (आजमगढ़) जो अब तक कांग्रेस के सदस्य थे, अब कांग्रेस (आई) में शामिल हो गए हैं ।

(श्री मानसिंह आजाद के खड़े होकर कुछ कहने पर)

मानसिंह जी, आप टीका-टिप्पणी बन्द कीजिए और सदन के अन्दर संयम और अनुशासन से काम लीजिए। सर्वश्री रणजीत सिंह जू देव और दुर्ग विजय सिंह जो अब तक कांग्रेस के सदस्य थे, अब कांग्रेस (आई) में शामिल हो गए हैं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष––

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बारे में एक सूचना माननीय रामदत्त जोशी ने मुझे दी है । दिनांक २४ अप्रैल, १९७८ को मुख्य मंत्री जी के लखनऊ स्थित निवास भवन पर दन्त नगर विश्वविद्यालय एवं कृषि फार्म के असामाजिक तत्वों द्वारा श्री रामदत्त जोशी, सदस्य, विधान सभा के ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया । इस विषय पर सदन में काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है । (श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' के कुछ कहने पर) रणजीत सिंह 'जूदेव' मैं आपसे कई बार कह चुका हूं आप सदन में ठीक से व्यवहार करें और जहां आपको सीट हो वहां शान्तिपूर्वक बैठें ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, इसकी ग्राह्यता के बारे में तर्क उपस्थित करना चाहता हूं, मेरिट पर नहीं जाऊंगा। मान्यवर, यह परम्परा से चला आ रहा है कि जब बजट पर बहस चल रही हो तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं होता। लेकिन विशेष परिस्थिति में, नियमावली में इस पर प्राविधान मौजूद है। जिस विषय के बारे में आपके समक्ष प्रस्ताव पेश है, इसके बारे में बजट अनुदान पर पहले बहस नहीं हो चुकी है और अब आगे थी। इस विषय से सम्बन्धित कोई अनुदान सदन के सामने आने वाले नहीं हैं जिसकी परिधि में यह आ सके। अतएव इस स्थिति में मान्यवर, प्रस्ताव ग्राह्य हो सकता है। इस सदन म अभी पन्त नगर गोली-काण्ड के बारे में चर्चा हुई उसके बारे में इस सदन में कोई चर्चा या विवाद नहीं हुआ स थ ही पुलिस प्रशासन सम्बन्धी बजट इस सदन में पास हो चुका है। उसके बाद अब कोई अनुदान नहीं आने वाला है जो इस विभाग से सम्बन्धित हो। मान्यवर, इस सम्बन्ध में इसी सदन के अध्यक्ष पद से दिए गए रूलिंग पेश करना चाहता हूं। यह पुस्तिका है उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों का संक्षिप्त संकलन १९५२ से दिसम्बर, सन् १९६७ तक। इसमें पृ० १६३ पर लिखा है कि आय-व्ययक के विवाद के दिनों में केवल उन्हीं विशेष महत्वपूर्ण कार्य-स्थगन प्रस्तावों को विवाद के लिए स्वीकार किया जाता है जिसके बारे में अध्यक्ष को आभास हो जाय कि उसमें उतनी चर्चा उनकी नहीं हो सकती जितनी कि होनी चाहिए। मान्यवर, जो १८ तारीख को किच्छा की घटना है उस पर सदन में कोई चर्चा नहीं हुई। अब आगे कोई अनुदान आने वाला नहीं है जिस पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिल सके। उसी पुस्तिका के पृ० १८१ पर कहा गया है कि किसी महत्वपूर्ण विषय को उठाया जाय और उस पर बजट के बहस के बीच चर्चा नहीं हुई हो और न होने की कोई सम्भावना हो तो इस पर अगर अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अनुमति दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

लेकिन आपने जो प्रश्न उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में नियम ५८ के उप-नियम (५) में लिखा है कि प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं होगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। इस विषय पर २० अप्रैल को यहां बड़े विस्तार से चर्चा हुई पंतनगर के सभी पहलुओं पर और आपके साथ किच्छा में जो दुर्घटना हुई और जो ज्यादती हुई उसके सम्बन्ध में भी इस सदन में विस्तार से चर्चा हुई और मैंने मुख्य मंत्री को यह निर्देश भी दिया था कि माननीय रामदत्त जोशी की सुरक्षा के लिये अविलम्ब उपाय किये जायं और हैलीकाप्टर भेजकर उनको यहां पर बुलाया जाय। उस पर अमल किया गया और चर्चा भी हो चुकी। अब यह ऐसा विषय नहीं है जिसको काम रोको की शक्ल में लिया जाय। इसलिये मैंने इसे अस्वीकार किया है। (व्यवधान)। मैंने कहा है कि इस पर चर्चा हो चुकी है। रिकार्ड में है। इसलिये अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान) आप लोग शांत रहें। अब इस पर कोई विवाद नहीं होगा।

एक कार्य-स्थगन की सूचना श्री श्यामधर मिश्र ने दी है कि प्रान्त में बिजली की हालत एकाएक खराब होने के कारण प्रदेश की जनता को भारी परेशानी है। इस सम्बन्ध में मैंने मन्त्री जी को निर्देश दिया है....

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, आप सुन लें। यहां पर सरकार की ओर से कहा जाता है कि १२ से १८ घंटे तक बिजली मिलेगी लेकिन पूर्वी प्रदेश में २, ३ घंटे ही बिजली मिल रही है। कहते हैं कि हड़ताल भी नहीं है। और दूसरी तरफ बिजली भी नहीं है। तो यह क्या दशा है। पानी न पीने के लिये मिल रहा है और न सिंचाई के लिये मिल रहा है। तथा न बुआई हो हो रही है। इस पर आप गम्भीरतापूर्वक सोचें और मान्यवर, आप यह न कह दें कि बिजली के बजट के समय बहस हो जायेगी। इसीलिये इस विषय को अलग से दिया है। इस पर विवाद होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस सम्बन्ध में विद्युत् मंत्री को निर्देश दे रहा हूं। उनका वक्तव्य आ जाने के बाद आपके इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।.... संसदीय कार्य मन्त्री की पुकारे जाने पर) ८ मई को विद्युत् का बजट है और इसके बारे में अगर शीघ्र ही सदन को विश्वास में लिया जाय तो ज्यादा बेहतर होगा। इस पर वक्तव्य विद्युत् मन्त्री कब तक दे पायेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, कल का ही दिन बाकी है। कल लोग विधान परिषद् के चुनाव में रहेंगे।

श्री अध्यक्ष--

वर्तमान स्थिति से अवगत करा दें।

श्री मधुकर दिघे--

यहां पर एक स्टेटमेन्ट आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

विद्युत् मन्त्री से कह दें कि कल सदन को अवगत करा दें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, खलिहान में किसान का गेहूं पड़ा है और थ्रेशर जो हैं वे सब बन्द हैं। इसलिये जब तक गेहूं निकलता है तब तक प्राथमिकता देकर बिजली मंत्री उनको बिजली दिलाने का विश्वास दिलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

प्राथमिकता देने की जो सूचना आपने दी है उनसे कह दिया जायेगा कि अपने वक्तव्य में इसकी जानकारी भी दें।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने श्री रामदत्त जोशी जी के सम्बन्ध में जो प्रश्न था उसे अस्वीकार किया मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना है। मान्यवर, सदन में अध्यक्ष की पीठ से जो व्यवस्था दी जाती है उसका पालन कराने की जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष की है सरकार की नहीं। आपके सम्मुख जब श्री रामदत्त जोशी जी का प्रश्न आया था तो आपने कहा था कि जिन लोगों ने श्री रामदत्त जोशी पर हमला किया है उनके विरुद्ध अगर सरकार कार्यवाही नहीं करेगी तो उन्हें सदन में बुलाकर दंडित करूंगा। मान्यवर, श्री जोशी जी पर फिर एक बार हमला हो चुका है। जिन्होंने हमला किया वे आज भी यहां पर मौजूद हैं और उनकी हत्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्री रामदत्त जोशी को संरक्षण देने का अभी तक उपाय नहीं किया गया है। यदि सरकार उनको दंडित नहीं करती है तो आप दंडित करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस बात को देखते हुए अपनी व्यवस्था का पालन कराने के लिए उनको सदन के सम्मुख लाकर दंडित करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय तोमर जी ने जो कहा उसमें थोड़ा अन्तर है। मैंने यह नहीं कहा कि मैं स्वयं दंडित करूंगा। मैंने यह कहा कि जिन व्यक्तियों ने माननीय रामदत्त जोशी को आतंकित किया, उन पर प्रहार किया उससे उनको अपने कर्तव्य पालन करने से रोका। यह विशेषाधिकार की अवहेलना है। अगर कोई भी सदस्य मुझे सूचित करेंगे कि इन-इन व्यक्तियों ने उन पर प्रहार किया है तो मैं अवश्य ही उनको विशेषाधिकार की अवहेलना करने के प्रश्न पर विचार करके विशेषाधिकार समिति को भेज दूंगा। मैंने पहले भी कहा था। माननीय तोमर इस तरह का प्रस्ताव दें कि किन किन व्यक्तियों ने माननीय रामदत्त जोशी पर हमला किया, उनको भयभीत किया। मैं आपकी नोटिस पर विचार करूंगा कि प्रागदर्शन में उनको अपना कर्तव्य पालन करने से रोका। यदि इस प्रकार का प्रस्ताव आयगा तो अवश्य ही विचार करूंगा। आप इस तरह का कोई प्रस्ताव लिखकर दीजिये। मैंने उस दिन भी कहा था माननीय रामदत्त जोशी मौजूद थे। लेकिन कोई प्रस्ताव तो सामने नहीं आया है।

श्री राम दत्त जोशी—

मेरा निवेदन यह है कि मैं इन असामाजिक तत्वों को जो आज भी सक्रिय हैं उनको सदन में बुला कर हीरो बनाना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष—

मैं कहना चाहता हूं रामदत्त जी एक तरफ तो आप कहते हैं कि उनको हीरो नहीं बनाया जायेगा। जिन असामाजिक तत्वों का आप जिक्र करेंगे मैं उनको विशेषाधिकार समिति में भेज दूंगा उनकी जांच कराऊंगा, लेकिन आप नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप विशेषाधिकार की सूचना नहीं भी देते हैं और मुझ को लिख कर दे दें कि कौन-कौन असामाजिक तत्व हैं, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें और उससे सदन को भी अवगत करायें और साथ ही साथ आपको सुरक्षा की भी पूर्ण व्यवस्था करें। आप मुझ को लिख कर दीजिये मैं अवश्य ही इसके लिए तुरन्त कदम उठाऊंगा।

श्री रामदत्त जोशी--

मान्यवर, मैं आज ही आपको सूची दे दूंगा ।

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४३--सहकारिता, अनुदान संख्या ५३--पशुपालन, अनुदान संख्या ५४--दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या ५५--मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ७६--सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ८३--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजागत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम सहकारिता

श्री अध्यक्ष--

अब वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के आय-व्ययक पर चर्चा होगी माननीय सहकारिता मंत्री मांग प्रस्तुत करेंगे ।

(सहकारिता मंत्री) श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४३--सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,७२,०५,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३--पशुपालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,००,५०,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५४--दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२४,५३,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५५--मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७१,२०,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

[श्री मुलायम सिंह यादव---]

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७६--सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,७९,५४,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८३--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,५९,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२८,६०,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, लगभग ७ महीने पहले जब सहकारिता का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया था, तो सदन के माननीय सदस्यों ने एक स्वर से यह शंका व्यक्त की थी कि अब प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन जनता के हाथ में न रहकर सरकार के चंगुल में फंस गया है और यह सहकारी आन्दोलन जो जनता की आम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ग्रामीण अंचलों में रहने वाले निर्बल वर्ग और हरिजन वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से चलाया गया था, वह कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के चंगुल में फंस कर रह गया है । जो अपने निजी स्वार्थों के लिए इस आन्दोलन को चला रहे हैं और यहां पर यह भी कड़ी आलोचना की गई थी कि सहकारिता के चुनाव वर्षों से नहीं कराए जा रहे हैं । पहले वास्तव में यह स्थिति थी १०-१०, १२-१२, समितियों में प्रशासक नियुक्त थे और वास्तव में उस समय सहकारी आन्दोलन सरकारी चंगुल में फंस गया था । इस पर उस समय शासन की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि चुनाव शीघ्र कराये जाएंगे । उस आधार पर सहकारी आन्दोलन को एक जनतन्त्रीय रूप देने के लिए जनता शासन में उनके चुनाव कराए गये और आज सारे प्रदेश में सहकारी समितियां जनता के हाथों में पहुंच गई है । साथ ही इस चुनाव की एक विशेषता यह रही कि अब तक सहकारी आन्दोलन में जो निर्बल और हरिजन वर्ग के लोगों को पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया था, उनका कोई योग्यदान नहीं था, इस चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो हरिजन और निर्बल लोग दूर किए गये थे, उनको जोड़ दिया गया है । इस चुनाव में उनका आरक्षण किया गया है और प्रत्येक सहकारी समिति में आरक्षण करके उद्धार रूप से, आवश्यकीय रूप से उनमें एक हरिजन प्रतिनिधि चुन गया है । संचालक मंडल में और हर समिति में । इस तरह से साढ़े ७ हजार समितियों के जो चुनाव हुए, हर एक में उनका प्रतिनिधित्व हो गया है । इसके अलावा पहले निर्बल वर्ग की जो परिभाषा थी, उसमें परिवर्तन करके,

चूंकि पहले के अनुसार बड़े-बड़े लोग उनमें प्रवेश कर जाते थे, उन उपविधियों में संशोधन करके आज निर्बल वर्ग के वही लोग जो वास्तव में कमजोर वर्ग के हैं, उनको चुन कर भेज दिया गया है। इस तरह से मान्यवर, जो इस प्रदेश में चुनाव कराये गये हैं, आज उससे सहकारी आन्दोलन के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। आज उसको जनतन्त्रीय रूप दे दिया गया है और कमियों को दूर करके उसको जनता के हाथ में दे दिया गया है। भविष्य के लिए यह निश्चित हो गया है कि जो मनमाने तरीके पर जब चाहे चुनाव करवा सकते थे, जब चाहें चुनाव नहीं होता था, इन संशोधनों को करके अगले तीन साल में अनिवार्य रूप से चुनाव हो जायगा। चुनाव टाला नहीं जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह हुई कि चुनाव सहकारी अधिकारी करवाया करते थे। ये चुनाव जो करवाये गये, सहकारिता विभाग से न करवा करके जिलाधीश के अन्तर्गत चुनाव करवाये गये। इससे निष्पक्ष रूप में चुनाव हुए हैं। उससे प्रदेश की जनता में आस्था जगी है। सारी सहकारी समितियों के चुनाव के बाद जिला सहकारी समितियों और पूरा-पूरा शीर्ष स्थान तक २१ अगस्त तक चुनाव करवा दिया जायगा और सारी सहकारी संस्थाएं जनता के हाथ में पहुंच जायंगी।

(इस समय १२ बजकर ४० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिव मंगल सिंह पीठासीन हुए।)

दूसरा, इस सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए और पुनः आस्था जगाने के लिए बहुत बड़ा काम किया गया है सत्यापन का। इससे पहले यह फिजा हो गयी थी सहकारिता के बारे में कि सहकारी समितियों से जो जितना धन लेना चाहे ले ले। फर्जी लोन ले लें, उसकी कहीं जांच नहीं हो सकती थी। लोग शिकायत करते थे लेकिन उसको सुनवायी नहीं होती थी। पिछले तीन वर्ष के खातेदारों का सत्यापन कराया गया। लगभग पूरा सत्यापन हो गया है। २८ करोड़ रुपये का सत्यापन कराया गया है। इसके ऐसे नतीजे निकले हैं, १८ करोड़ ३० लाख रुपया जो वसूल करना है सही पाया गया है, ६ करोड़ ३४ लाख रुपया मध्यकालीन में परिवर्तित कर दिया गया है और तीन करोड़ के लगभग नाकाबिल वसूल है जो राइट आफ करना होगा। इस प्रकार २१ हजार ९ सौ ५६ सदस्यों का ३ करोड़ रुपया राइट आफ कर दिया जायगा। सत्यापन का बहुत बड़ा महत्व है। पिछले समय में कई कठिनाइयां हुई। जैसे मान्यवर, एक पुराना किस्सा है, उदाहरण रूप में बताना चाहता हूं। एक महादेव नाम का व्यक्ति था, रोला बिसवा रामपुर रकबा, थाना चौरी चौरा, जिला गोरखपुर का रहने वाला था। पुराना किस्सा जरूर है। वह डाक्टर लोहिया के साथ में आन्दोलन म जेल गया था। उसी वक्त उस पर सरकारी ऋण बताया गया और वास्तव में इनके पास कोई इस तरह का प्रमाण भी नहीं था। महादेव नाम के व्यक्ति ने ऋण भी नहीं लिया था। जब वह जेल में था सहकारी अधिकारियों ने उसके बैलों को कुर्क कर लिया। जब वह जेल से निकल कर आया, सारे अफसरों से शिकायत की। किसी ने नहीं सुना। नतीजा यह निकला कि वह पागल हो गया और उसने अपना घर छोड़ दिया।

[श्री मुलायम सिंह यादव---]

केवल उसके पास दो बैल थे, जो चले गये। केवल तीन पेड़ बचे थे महादेव के पास। वह वहीं पहुंच गया। उसने एक पेड़ डाक्टर लोहिया के नाम से, एक पेड़ अपने परिवार के नाम और तीसरा पेड़ माननीय फायनेंस मिनिस्टर मधुकर दिघे के नाम से कर दिया और लगातार तीन चार साल तक गर्मी, सर्दी, बरसात उनके नीचे ही बना रहा। कोआपरेटिव के किसी भी अधिकारी ने उसके कष्ट को नहीं सुना और ३-४ महीने के अन्दर वह इस दुनिया से चला गया। इस तरह से एक नहीं अनेकों घटनायें हुई। इसी का कारण था कि सहकारिता आन्दोलन से लोगों का विश्वास उठ गया था। सहकारिता के बिना ग्रामीण क्षत्रों में आर्थिक नींव मजबूत नहीं हो सकती है। इस सत्यापन के कारण जनता में सहकारिता के प्रति विश्वास जाग गया है, जो सहकारिता में बेईमानी करेगा उसको सजा मिलेगी, जो फर्जी कर्जा दूसरे के नाम लिखेगा उसको सजा मिलेगी और दूसरे व्यक्ति के नाम कर्जा नहीं लिया जायेगा। बाद में मालूम हुआ कि कर्जा किसी दूसरे महादेव के नाम था और वह महादेव उस दुनिया से चला गया।

२८ करोड़ रुपये तक का सत्यापन किया गया है। १८ करोड़ रुपया वसूल करना है। ६ करोड़ मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित कर दिया गया है और ३ करोड़ रुपया राइट आफ कर दिया गया है। २६ हजार लोगों को मध्यकालीन ऋण से और ३१ हजार लोगों को राइट आफ करने से राहत मिली है। यह सत्यापन से लोगों को फायदा मिला है। सत्यापन अब होता रहेगा और भविष्य में गड़बड़ी करने का मौका नहीं रहेगा। सहकारी आन्दोलन कृषि उत्पादन के लिए बहुत महत्व का है। पिछले साल वर्ष १९७७-७८ में २ करोड़ रुपया वितरित किया गया था अल्पकालीन ऋण के लिए और आगामी वर्ष में इसको बढ़ा कर २·७५ करोड़ रुपया बांटने का लक्ष्य रखा गया है।

मध्यकालीन ऋण वितरित किए जाने की व्यवस्था की गयी है। इस वर्ष १५ लाख रुपया मध्यकालीन ऋण बांटने की व्यवस्था की गयी है। इससे किसान जिनके पास खेती नहीं है और जिनके पास पैसा नहीं है, उनको मध्यकालीन ऋण देकर उनकी सहायता की जायेगी। भूमि विकास बैंक के द्वारा काम बहुत आगे बढ़ गया है। पिछले वर्ष ४८ करोड़ रुपया बांटने का लक्ष्य था और अब कुल ४८ करोड़ से बढ़ाकर ८० करोड़ कर दिया गया है। इससे एक लाख नलकूप और पम्पिंग सेट लगाने की योजना है। जो सिंचाई के साधन हैं उनकी पूर्ति इससे की जायेगी। इस प्रकार से जो असिंचित क्षेत्र रह जाता था वह सिंचित हो जायेगा। इस कार्य में भूमि विकास बैंक का बड़ा महत्व है।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और आकृष्ट कर देना चाहता हूं कि सहकारिता की ब्याज की दर पर विचार किया गया और इसको कम करने का निर्णय लिया गया। पिछले साल १४ प्रतिशत से १३ प्रतिशत ब्याज की दर कर दी गयी थी और १ अप्रैल से १३ प्रतिशत को घटाकर १२ प्रतिशत कर दिया गया है। इस प्रकार से हमारे देश के किसानों को लगभग ४ करोड़ रुपये की बचत होगी। जो ब्याज की दर बढ़ती चली जा रही थी उसको कम कर दिया गया है।

मान्यवर, सहकारी समितियों के आफिस नहीं थे, यह सबसे बड़ी कमी थी कागज ठीक से नहीं रहते थे । लेन देन कभी-कभी जबानी भी हो जाते थे और साधन सहकारी समितियों के एकाउन्टेन्ट ओर सचिव के झोले में पूरा आफिस रहता है इसलिए फर्जी लोनिंग होती है और बिना पढ़े लिखे लोगों से अंगूठा लगवा लिया जाता है । ये सारे काम होते थे गांव में जाकर । अब जहां तक सहकारी समितियों के कार्यालय खोलने का लक्ष्य है । १९७९ कार्यालयों का काम पूर्ण हो चुका है, १०८१ पर कार्य चल रहा है और वर्ष १९७८-७९ में १५५० का लक्ष्य है । इस प्रकार से कोई भी सहकारी समिति नहीं रहेगी जहां पर कार्यालय न हो और जब से कार्यालय हो जायेंगे तो भ्रष्टाचार जो इस समय विभाग में चल रहा है, उसमें भी कमी आयेगी । क्योंकि किसान जब कार्यालय में जायेगा तो वह रसीद लेकर आयेगा और जब दूसरा किसान यह देखेगा तो वह भी रसीद लेकर आयेगा । इस प्रकार से इस विभाग में कई कदम उठाये जा रहें हैं जिससे सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा मिले ।

जहां तक खाद और बीज के वितरण का प्रश्न है वर्ष १९७७-७८ में ७२ करोड़ का खाद वितरित किया गया था । इस वर्ष १९७८-७९ में बढ़ाकर १२५ करोड़ का लक्ष्य है जिससे किसानों को खेती में ज्यादा पैदावर मिल सके । इसी प्रकार से वर्ष १९७७-७८ में अच्छे बीजों की १ लाख क्विन्टल की व्यवस्था की गयी थी जो वर्ष १९७८-७९ में १ लाख क्विन्टल से बढ़ाकर १ लाख ६० हजार क्विन्टल का लक्ष्य है । इस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा खाद और अच्छे से अच्छा बीज देकर पैदावार को बढ़ाने के लिए सहकारिता के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान किया गया है ।

ग्रामीण अंचलों में खाद और बीज देकर किसानों की सेवा की जा रही है लेकिन शहरों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, निर्बल लोग हैं उनको सहकारिता से कोई लाभ नहीं हो पाता था । इसलिए उपभोक्ता योजनायें भी चलाई जा रही हैं । ५६ जनता दुकानों की स्वीकृति हो गयी है जिनके द्वारा १० करोड़ रुपया का व्यापार होगा । इनका लक्ष्य मूल्य नियंत्रण है कि किसी प्रकार से मूल्यों पर नियंत्रण हो सके । दूसरे इनका यह भी अभिप्राय है शुद्ध सामग्री मिले और उनमें मिलावट न हो ताकि जो ६८ वस्तुएं हैं वे सरलता से मिल सकें ।

सहकारिता विभाग में सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि अभी तक कर्मचारी और जो अधिकारी काम कर रहे हैं वे प्रशिक्षित नहीं होते थे । वे नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से सहकारिता को चलाया जाय । इस कमी को महसूस करके यह व्यवस्था की जा रही है कि जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वे इसका कुशल संचालन करें और इसी कारण से उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है । इसके लिए प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले गये हैं । जो पिछले साल ५७ थे अब उनकी संख्या १७५ की गयी है ताकि वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके सहकारी आन्दोलन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके ।

सबसे बड़ा काम इस विभाग में गत ९-१० महीनों में यह हुआ है कि लाखों रुपये का ही नहीं करोड़ों रुपयों का गबन विभाग में हो रहा था । हमने फैसला किया है कि बड़े-बड़े जो मामले हैं, उनको लिया जाय और जब बड़े-बड़

[श्री मुलायम सिंह यादव]

लोगों के विरुद्ध कार्यवाही होगी तो छोटे तो वैसे ही डर जायेंगे । नतीजा यह है कि ५० हजार से लेकर २ लाख रुपये के गबन वाले मामले हाथ में लिए गये । ९-१० महीनों में केवल १७ लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी लेकिन इस वर्ष हमने २२२ केसेज लिए हैं ५० हजार से २ लाख रुपये तक गबन वाले उनमें २१ के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है और १३७ मामलों में अदालतों में लोगों ने आत्म-समर्पण कर दिया है । १११ न्यायालय में निर्णीत हो चुके हैं । इस तरह से १११ मामलों में जो निस्तारण किया गया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है चार्ज-शीट लगायी गयी है । उससे लगभग ढाई करोड़ रुपया वसूल कर लिया गया है । इस तरह से अब यह आदेश दिया गया है कि १० हजार रुपये से ऊपर वाले लोगों पर पहले कार्यवाही की जाय और सबसे पहले उनसे वसूली की जाय । इस ओर विशेषकर जो हमारी कोआपरेटिव की अनुसंधान शाखा है उसने योगदान दिया है । पिछले इन्हीं दिनों में १७ केसों में चार्जशीट लगी थी और इस वर्ष इन्हीं दिनों में १३८ में चार्जशीट लग कर कार्यवाही करके सात गुनी कार्यवाही की गयी और आशा है कि आगे आने वाले दिनों में शीघ्र इससे ज्यादा लोगों के विरुद्ध कार्यवाही होगी । इस तरह से लोगों में एक आस्था जगी है कि अब उनसे विरुद्ध भी कार्यवाही हो सकेगी जिनके ऊपर लाखों रुपयों के गबन के केस लगे हुये थे, पहले ऐसा विश्वास था कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी । अब वह चीज दूर हो गयी है और लोग समझने लगे हैं कि बड़े लोगों के विरुद्ध पहले कार्यवाही की जायगी । छोटे अपने आप सचेत हो गये कि जब बड़े लोगों के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है तो हमारे विरुद्ध भी होगी तो अब स्वतः अपनी बकायेदारी को दूर कर लेंगे और ज्यादा कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी ।

इस तरह से मान्यवर, ५-६ कदम जो उठाये गये उनसे सहकारी आन्दोलन को मजबूती मिली है और पुनः विश्वास जगा है और आम जनता में चर्चा है कि सहकारी आन्दोलन में जो यह कहते थे कि कोई सुनवाई नहीं होती भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता ये सारी की सारी भ्रांतियां दूर हो चुकी हैं । मैं यह नहीं कहता कि भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन नीयत यह है कि हम उसको दूर करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं । इसी लिए हमने आपके समक्ष ये आंकड़े रखे कि सात गुना भ्रष्टाचार मिटाने में पिछले साल से हम आगे हैं और उससे भी आगे बढ़ने की हमारी योजना और कार्यक्रम बन चुके हैं ।

मान्यवर, भांडारगृह निगम भी एक महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है जबकि किसानों को अपनी पैदावार को सुरक्षित रखने के लिए स्थान की आवश्यकता है । १३० भांडारगृह की स्थापना करके किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं और इसका योगदान अद्वितीय रहा है । ३१ मार्च, १९७८ को इसकी कुल भांडारक क्षमता ९३.७० लाख मीट्रिक टन थी । इसके स्वयं के गोडाउन्स की क्षमता ४.३१ हजार मी० ट० की थी । अब ६ लाख मी० ट० की हो जायगी । १९७८-७९ में इस निगम को १.८० लाख के मुनाफे पर होने की आशा है । इस तरह से इसके बारे में यह कहना है कि इसका योगदान महत्वपूर्ण रहा है । इस तरह से मजबूती के साथ जो कई कदम उठाये गये हैं उससे सहकारी आन्दोलन मजबूत होगा और माननीय सदस्यों के जो महत्वपूर्ण और अमली सुझाव आयेंगे उससे भी मुझे आशा है कि सहकारी आन्दोलन उठेगा ।

अब पशुपालन पर आता हूं । पशुपालन का भी बहुत बड़ा महत्व है । खेती के बाद गांव के रहने वाले किसानों का जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, भूमिहीन हैं उनका सहारा पशुपालन है । यह ऐसा सहारा है जिससे उनके आर्थिक स्तर को

मजबूत किया जा सकता है, बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है इस सम्बन्ध में हमारा जो कार्यक्रम है उससे नसल सुधार का काम किया जा रहा है । इस मामले में जितनी तीव्र गति से कार्य चलना चाहिए था प्रदेश में वह नहीं चलाया गया है, लेकिन जब हमने कार्यक्रम बनाया है कि तेजी से नसल सुधारें और हम प्रदेश के अन्दर जहां पर ४ करोड़ के लगभग गाय भैंस हैं, बकरी भी ६६ लाख हैं और भेंड़ १६ लाख हैं, शूकर १४ लाख हैं इतनी बड़ी तादाद इनकी होने के कारण जो स्वेत क्रान्ति आनी चाहिये थी वह नहीं आयी है । उनका मुख्य कारण यह रहा है कि पशुपालन के विकास की जहां एक और योजना बनायी गयी, वहां जानवरों के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी । पिछले बजट में जो धनराशि इनके इलाज के लिये रखी गयी थी वह प्रति जानवर प्रति वर्ष ४ पैसे ही आती थी । इस वर्ष हमने इस धनराशि को ढाई तीन गुना अधिक किया है । इस वर्ष लगभग ४० लाख रुपया इनके इलाज के लिये रखा गया है ।

पहले नस्ल सुधारने का काम तो शुरू किया गया, मगर इनके चारे की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया । पहले १२ हजार हेक्टेयर भूमि चारे के लिये थी, अब इसे १५ हजार हेक्टेयर भूमि में चारे की व्यवस्था की गयी है । तो इलाज की भी व्यवस्था को सुधारा है, उसे बढ़ाया है, चारे की व्यवस्था में भी सुधार किया है ।

फ्रोजेन सीमेन कृत्रिम गर्भाधान पिछले वर्ष २ हजार जानवरों का किया गया था, इस वर्ष ६० हजार जानवरों का किया गया है । लेकिन यह संख्या भी काफी नहीं है । हमें इस संख्या को लाखों में ले जाना है । हमारे जानवरों की संख्या भी करोड़ों में है । इसलिये हजार की संख्या से ही हमें संतोष नहीं कर लेना है ।

सूकरपालन और कुक्कुट पालन का धन्धा नीची जाति के लोग करते हैं, इस ओर समुचित ध्यान दिया गया है ।

मछली पालन का धन्धा भी निम्न कमजोर वर्ग के लोग करते हैं । केवट और मल्लाह लोग इसे करते हैं । यह लोग गांवों में तालाबों और गड्ढों में जाकर काम करते हैं । इन लोगों को अधिक रोजगार देने के लिये, गांव समाज की भूमि में अधिक से अधिक तालाब पट्टे पर देने की योजना है । इनका क्षेत्र भी बढ़ाया जा रहा है । इससे जहां एक और लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां पौष्टिक अहार की समस्या भी हल हो सकेगी क्योंकि यह पौष्टिक आहार सस्ता पड़ता है । इस–लिये सरकार का ध्यान इस ओर भी विशेषकर है । ग्राम समाज की भूमि में ज्यादा से ज्यादा तालाबों का पट्टा करने का निर्णय लिया है ।

अब मैं डेरी पर आता हूं । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं । आलोचना भी होगी । मैं यह स्वीकार करता हूं कि डेरी का विकास जिस तरह से अपने यहां होना चाहिये था वह नहीं हुआ है और उनका काम भी संतोषजनक रीति से नहीं चला है । आज डेरियों में सबसे ज्यादा घाटा है । लेकिन मान्यवर, हमने उस घाटे पर भी काफी नियन्त्रण किया है । दो दिन से मान्यवर, अखबारों में भी गलतफहमी उड़ाई जा रही है, यह कहा जा रहा है कि १० लाख राजकीय डेरियां घाटे पर चल रही हैं । यह बिलकुल निराधार और

[श्री मुलायम सिंह यादव—]

असत्य है। पिछले वर्ष जब मुझे विभाग मिला था, तब लगभग तीन करोड़ बीस लाख का घाटा था। लखनऊ की डेरी जिसका ज्यादा जिक्र किया जा रहा है, एक अफसर का भी नाम लिया गया, यह कहा गया कि उसी की वजह से यह घाटा चल रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि १ सितम्बर से जिस अफसर ने कार्य-भार सम्भाला है, उससे अभी ३१ मार्च तक लगभग ४,६०० रुपये मुनाफा पर डेरी है, इतने ही दिनों में पिछले वर्ष दो लाख, ६२ हजार रुपये घाटे पर थी। तो इस तरह से मान्यवर, कुछ डेरियों में सुधार हुआ है। कुछ डेरियों में अभी सुधार नहीं हो पा रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि पिछली जो डेरियां लगाई गईं, उसमें योजना नहीं तैयार की गयी, जहां जो मंत्री रहा, जहां जिसका प्रभाव रहा उसी राजनैतिक आधार पर डेरियां लगा दी गयीं। डेरियां तो लगा दी गयीं, लेकिन ये ईंट या दीवालें दूध नहीं देंगी? इस तरह से डेरियां लगा दी गयीं। उन्नाव जिले में राजनैतिक आधार पर डेरी लगाई गयी। वहां पर नहीं देखा गया कि दूध कितना पड़ होता है। इस तरह से बिना योजना के डेरियां लगा दी गयीं। आज इस पर दूध नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा दूसरा कारण यह था, जो अभी तक डेरियों में मैनेजमेंट रहा। ऐसे लोग मैनेजमेन्ट में रहे हैं, जिन्होंने एक लीटर भी दूध अभी तक नहीं दिये। उनके घर में एक भी जानवर नहीं रहा। इसलिए इन डेरियों को ठीक तरह से चलाने के लिए मजबूती के साथ नये कदम उठाये जा रहे हैं। अब चुनाव को जल्द से जल्द करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव में देरी इसलिए हो रही कि चुनाव संशोधन करना है। अभी तक जिन लोगों के हाथ में डेरियों का मैनेजमेंट था, उनसे इलेक्शन से कोई मतलब नहीं था। अब यह संशोधन किया जा रहा है कि वोट देने का अधिकार उसी को मिलेगा जो वर्ष में कम से कम ५०० लीटर दूध दे। अगर इतना दूध नहीं दे सकता है, तो लगातार १८० दिन तक दूध दे। इस तरह से जो दूध उत्पादन करने वाले लोग हैं, उन्हीं के हाथों में जब मैनेजमेंट दिया जायगा, जब उसमें संशोधन होगा, तो उसी के बाद डेरियों में सुधार आ सकता है। जिस तरह से तेजी के साथ डेरियों में सुधार आना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब अगले ३–४ महीनें के अन्दर चुनाव प्रणाली में संशोधन करके सारी डेरियों का जिस तरह से कोआपरेटिव में रजिस्ट्रेशन कराया गया है, उसी तरह से सारी डेरियों का रजिस्ट्रेशन करायेंगे ये सारी की सारी डेरियां जो मुनाफे में नहीं चल रही हैं, उनके बारे में विस्तार से रिपोर्ट मांगी जायगी और जो घाटे के उत्तरदायी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ठीक तरह से नहीं चलाया है, उनके विरुद्ध जांच के बाद कार्यवाही की जायगी। इस तरह से डेरियों के सम्बन्ध में भी मजबूती के साथ कदम उठाये जायंगे। अब माननीय सदन के सारे लोग इस पर अपने विचार रखेंगे। मैं उनसे आशा करूंगा कि वे अपने ऐसे रचनात्मक सुझाव दें, जिससे इस विभाग के मैनेजमेंट में सुधार हो सके। यह एक कमजोर विभाग है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपना बहुमूल्य सुझाव देकर हमें प्रेरणा देंगे।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता मंत्री जी ने जो बजट इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत किया है उसके ऊपर अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३, अनुदान संख्या ५३, अनुदान संख्या ५४, अनुदान संख्या ५५, अनुदान संख्या ७६, अनुदान संख्या ८१, अनुदान संख्या ९५ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांगों की राशि घटाकर

संख्या ४३--सहकारिता, अनुदान संख्या ५३--पशुपालन, अनुदान संख्या ५४--दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या ५५--मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ७३--सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ८३--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम-सहकारिता

एक-एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने बड़े अच्छे ढंग से इस विभाग के कार्यों को और जो कुछ अब तक हुआ है और आगे किया जाने वाला है उसकी चर्चा की है। श्रीमन्, यह प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और इसका आध्यात्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अपना एक प्रमुख स्थान है। लेकिन खेद है कि श्रीमन्, आर्थिक दृष्टि से हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण इसकी जनसंख्या तथा उसके श्रम का लाभ न उठा पाना है। हमारी पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में जहां सारे भारत की आय बढ़ी वहीं हमारे प्रदेश की भी आय बढ़ी। लेकिन उसका लाभ आम जनता को न होकर कुछ गिने चुने व्यक्तियों तक हुआ। उसका मुख्य कारण यह है कि कोई भी प्रजातांत्रिक देश, कोई भी गणतांत्रिक देश की प्रगति बिना सहकारी आंदोलन के नहीं हो सकती है। सहकारिता आंदोलन के बिना देश और प्रदेशों की उन्नति नहीं हो सकती और न आर्थिक विषमता ही दूर हो सकती है। इस प्रदेश में सन् १९२८ में सहकारिता आंदोलन चला। मेरा अपना विचार है कि यह आंदोलन अपने प्रदेश में काफी संगठित रहा और हर विभाग में इसने प्रवेश किया। लेकिन श्रीमन्, मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि हम इसमें सफल नहीं हो सके। जब तक हम इसके वास्तविक कारणों को नहीं समझेंगे तब तक श्रीमन्, हम इस आंदोलन को सफल नहीं कर सकते। हमारे प्रदेश में जिस समय चकबंदी हुई, इस विभाग के व्यक्तियों ने यह नहीं देखा कि चकबंदी के बाद जिस प्रकार से जमीनों का बंटवारा हुआ है उसमें सामूहिक खेती के लिए लोगों को सुविधायें प्रदान करें। ग्राम पंचायत स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर ऐसी समितियां संगठित कराई जातीं जिससे सामूहिक खेती होती और उत्पादन बढ़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

श्रीमन् १० करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश के श्रम का लाभ जब तक नहीं उठाया जायगा तब तक प्रगति नहीं होगी और प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा रहेगा। आज जितनी भूमि इस प्रदेश में है उसका सही बंटवारा नहीं हुआ है। अगर सही बंटवारा हो जाता तो शायद कोई भूमि हीन न रहता। आज समस्या इस बात की है कि भूमि पर काम करने वालों के लिये ३ घंटे का ही काम तो है उनको ४ घंटे का काम और कहां से दें? और इस के लिए शासन को समझना होगा किस प्रकार से हमें लोगों को काम देना है। चाहे वह कृषि पर हो या वह कुटीर उद्योगों पर हो लेकिन उस प्रकार से काम नहीं हुआ कुटीर उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। खेद है कि आज इस प्रदेश में ब्लाक स्तर पर कोई सफल कुटीर उद्योग नहीं चल रहा है। और उन किसानों के श्रम का जिनके पास जमीन कम हो उनका श्रम का उचित प्रयोग नहीं किया गया। हमें इन सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है तो पिछले कामों को भी देखना है।

माननीय, जो पुस्तिका बांटी गयी है उसमें उल्लेख है। सबसे पहले मैं इस आदरणीय सदन का और मंत्री जी का ध्यान अल्पकालीन ऋण समितियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह फसली ऋण दिया करती थी। प्रदेश में २२ हजार ऐसी समितियां थीं। जो फसली ऋण देती थीं अब उनको पुनर्गठित करने के नाम पर उनकी

[आचार्य धर्म दत्त वैद्य---]

संख्या ८११० कर दी गयी है और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि हम पंचायत स्तर पर १० हजार की आबादी पर, एक समिति बनायें उसमें एक सचिव रखें जो काम देखें यदि मैं यह कहूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा क्या यह वास्तव में सत्ता का केन्द्रीयकरण है या विकेन्द्रीयकरण। जब गांव-गांव में समितियां थीं उनके माध्यम से ऋण दिया जाता था। उस एक प्रजातांत्रिक ढांचे का एक तरीके से सरकारीकरण कर दिया है। उस समय वह समितियां सरपंचों द्वारा चलाई जाती थीं लेकिन आज वह समितियां सचिवों के माध्यम से चलाई जायेंगी। फिर उनके पुनर्गठित करने की आवश्यकता क्या हुई ? आप देखें तो इन समितियों का कार्य बड़ी दक्षतापूर्वक चलता रहा है। जितना ऋण बांटा जाता था उसका ९५ प्रतिशत वसूल हुआ दिखाया जाता था। जब यह ९५ प्रतिशत ऋण वसूल कर लेती थीं तो कहां आवश्यकता सुधार की हुई ? हालांकि यह बात साफ है कि यह ९५ प्रतिशत ऋण की वसूली का आदान प्रदान केवल कागज पर होता था। वास्तव में तो वह एक फसल के बाद उस काश्तकार से वसूल लिया है इंटरस्टेट के साथ लेकिन पैसा तो दूसरे ही व्यक्ति जमा कर देते थे। मंत्री जी कहेंगे कि बहुत सुधार हुआ है और चेक सिस्टम से अब ऋण दिया जाता है। मैं आज भी कहता हूं कि उसमें सुधार कागज पर हो सकता है और आज भी इस प्रकार की प्रक्रिया चालू है। आपके दूसरे ऋण में कम प्रतिशत ऋण वसूल दर्शाया गया है मध्य एवं दीर्घ कालीन ऋण उतने क्यों वसूल नहीं होते आंकड़े आपको बतायेंगे पुराने कृषकों ने जिन्होंने ऋण लिया है वही अगले साल भी ऋणी है जिससे स्पष्ट हो जायेगा कि कुछ लोगों को छोड़ कर वही पुराने व्यक्तियों को ऋण फिर दे दिया जाता है। श्रीमन्, उस किसान को जिसको कि एक हजार रुपये दिये गये १०० रुपये लगभग इन्ट्रेस्ट देने पड़ते हैं और श्रीमन् सौ रुपये के लगभग उसके आदान प्रदान में खर्च हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश के किसान को २४ प्रतिशत व्याज पर अगर ऋण पड़ता है तो वह कितना महंगा पड़ेगा और प्रदेश के किसान किस प्रकार से अपने को समन्वित कर पायेंगे और किस प्रकार से अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर पायेंगे। यह विचारणीय बात है। आपने पुनर्गठन के नाम पर इन समितियों को पंचायत स्तर पर बनाने का प्रयास किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जरा इस बात का भी ध्यान रखिये कि जो फसली ऋणों की कागजी वसूलयाबी के लिए सारा का सारा विभाग सक्रिय हो जाता था कहीं उसमें भी एक हिस्सेदार और न हो जाय और उसका बोझ भी किसानों पर पड़े।

श्रीमन्, आपने इस पुस्तिका में बताया है कि हम समितियों को कार्यालय को बनायेंगे उन्हें सुसज्जित करेंगे, उसमें और भी काम करायेंगे। मैं दिवेदन करना चाहता हूं कि ठीक है आप की यह योजना है आप करायेंगे लेकिन कम से कम इसको क्षेत्रीय स्तर पर तो देख लीजिए परीक्षात्मक रूप में। आपके ब्लाक बने हुए हैं और उनमें बहुत से स्थान खाली हैं। आप अपने स्थान बनाने की बात करते हैं, जहां उनमें साज-सज्जा करने की बात करते हैं, जो काम इस प्रकार का आप पंचायत स्तर पर करना चाहते हैं, क्या यह संभव नहीं है कि वह कार्य आप क्षेत्रीय स्तर में प्रारम्भ करके उसे देख लें कि कहां तक सफल होते हैं। अगर सफल होते हैं तो उसे आप भले ही पंचायत स्तर पर करायें लेकिन श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से समितियों की संख्या घटा कर के, उनकी संख्या सीमित करना यह सत्ता का विकेन्द्रीयकरण नहीं है, सत्ता का केन्द्रीयकरण है। इस पर आप को गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

श्रीमन्, इसके साथ ही साथ दूसरे विषय की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं भूमि विकास बैंक। श्रीमन्, उनके बहुत सेन्टर हैं और काम भी उनका बहुत है। वे मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण देते हैं और आपने

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान १०९९ संख्या ४३--सहकारिता, अनुदान संख्या ५३--पशुपालन, अनुदान संख्या ५४--दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या ५५--मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ७६--सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योअनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ८३--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम-सहकारिता

इस पुस्तक में उल्लेख किया है कि १० प्रतिशत ऋण जो दिया जाता है उसका उपयोग सिंचाई के लिए होता है । माननीय मंत्री जी का प्रस्ताव कि हम भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं मुझे उनकी भावना पर कोई संदेह नहीं है । मैं चाहता हूं कि वह इसमें सफल हों । लेकिन श्रीमन् वह भ्रष्टाचार को किस प्रकार से दूर करेंगे इसके संबंध में स्पष्ट कर देना आवश्यक है । भूमि विकास बैंक के द्वारा जब ऋण लेने के लिए कभी जाते हैं तो ऋण लेने वाले को कुछ तहसील के कागजात और कुछ अन्य स्थानों से कागजात एकत्रित करन पड़ते हैं जिनमें उसका पैसा खर्च होता है । मैं यह जानता हूं कि आप यह कहेंगे कि आपने उसको सुविधा दी है लेकिन इस सुविधा का फायदा कुछ विशेष व्यक्ति ही उठा सकते हैं, सारे व्यक्ति नहीं उठा पाते । यदि आप इसका फायदा सबको पहुंचा सकें तो बहुत खुशी होगी । श्रीमन्, जब वह सारी आवश्यकतायें, पूरी कर लेता है तब उसको ऋण मिलता है रहट के लिए, पंपिंग सेट के लिए, डीजल इंजन के लिए या मोटर के लिए वह उन संस्थानों से ही खरीदारी कर सकता है । जो मान्यता प्राप्त होती हैं । श्रीमन् मेरे पास इस तरह की शिकायतें आती रही हैं कि अगर कोई डीजल इंजन, पम्पिग सेट दूसरी जगह चार हजार या तीन हजार रुपये में मिलता है तो मान्यता प्राप्त संस्थाओं में वह अधिक दामों में मिलता है । और यह चेक जब दिया जाता है तब उसको दुकानदार को मालूम हो जाता है कि आज चेक दिया जा रहा है और इस प्रकार से ऋण उस काश्तकार को मिलता है । श्रीमन् उसने पंपिग सेट लगाया या डिजल इंजन लगाया और थोड़े दिनों बाद वह खराब हो जाता है । आप करोड़ों रुपया बांटते हैं । उसमें ट्रैक्टर हैं, डिजल इंजन हैं और कृषि के दूसरे यंत्र भी हैं लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा कि उनकी मरम्मत के लिए क्या प्रबन्ध है । काश्तकार तो उनके मैकिनिज्म को जानता नहीं । अगर खराब हो जाता है तो उसको शहर की ओर दौड़ना पड़ता है और जब तक वह ठीक होता है तो उसकी फसल सूख गयी होती है और इस प्रकार उसको इनका लाभ नहीं मिल पाता । फलस्वरूप वह समय पर किश्त अदा नहीं कर पाता । वह जो खेत में खाद डालता है, मेहनत करता है फिर उसमें भी वह अपने को बचाता है और इस चिन्ता में रहता है कि किस प्रकार अपनी जमीन को वह बचा सकेगा । रोजाना अखबारों में लम्बी सूची निकलती है कि इतन लोगों की कुर्की नीलामी होगी । वह अपनी जमीन को बचाने के लिए महाजन से या कहीं दूसरी जगह से रुपया लेने जाता है और यदि वह इंतजाम नहीं कर पाता तो उनकी भूमि नीलाम हो जाती है । भूमि विकास बैंक भूमि के विकास के लिए बनाया गया था लेकिन कितना सही अर्थों में काम होता है इसका आप अध्ययन करें । अगर मंत्री जी इस विषय में कुछ कर सकें तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा । क्योंकि कृषि की दृष्टि से सिंचाई बहुत आवश्यक है । न्यायाधिकरण की इसमें चर्चा की गयी है । पहले ही नियम बनाया हुआ है आरबीट्रेशन के द्वारा तय होंगे अदालत जाने की छूट नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कितना समय और लेंगे ? २५ मिनट हो गये ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य---

अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना है। चार अनुदान हैं। बीस मिनट और दें।

श्री अध्यक्षता---

दस मिनट का समय और लें।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य---

मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा और मुख्य मुख्य बातें ही रखना चाहूंगा। आप चाहते हैं कि छोट कुटीर उद्योग धन्धे लगें और सहकारिता के आधार पर चलें वह तब लग सकते हैं जब दिलचस्पी लेने वाले लोग थे समझें कि हमें लाभ हो सकता है। आपकी सोसाइटी बनती है और उसका हिसाब रखने के लिए एक मीटर लम्बी कैश बुक होती है। उसका भरना हर आदमी नहीं जानता। उसको भी छोड़ें। २०-३० आदमियों ने मिलकर सोसाइटी बनायी और काम किया। आप कहते हैं कि उसका जो लाभ है उसको नियम के अनुसार बांटे लेकिन साथ ही यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि लाभ ९ परसेंट से ज्यादा नहीं मिल सकता जबकि लिमिटेड कम्पनी में १५/२० परसेन्ट तक डिवीडेंड मिल सकता है। इससे लोगों में अनिच्छा पैदा होती है। आपने ऐसे प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। जिससे यह मालूम होता है कि यह रुपया खास तौर से जिन्होंने मेहनत करके कमाया है उनका इस पर अधिकार नहीं है। उसी लाभ के रुपये को शिक्षा आदि अनेक मदों के लिये रिजर्व कर दिया जाता है।

दूसरी बात मैं सहकारी खेती के बारे में कहना चाहता हूं। जब इस प्रदेश में १९३८ में जनतांत्रिक सरकार बनी और टेनेन्सी ऐक्ट आया तो ताल्लुकेदारों और जमींदारों ने जमीन को अपने परिवारों में बांट दिया और उसको फार्म बना लिये। सन् ६० में ३० एकड़ की सीलिंग आई और उसके बाद १८ एकड़ आई। इस पर बड़े-बड़े फार्मरों ने अपने नौकरों और भाई भतीजों के नाम पर सोसाइटी बना ली राजस्थान, पंजाब, हरियाना, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई आदि में रह रहे थे उनको आप सहकारी खेती कहते हैं। श्रीमान्, इन फार्म वालों को एयरकन्डीशन्ड मकान और अट्टालिकाओं को देखकर हम प्रसन्न नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहां से थोड़ी दूर पर जो श्रमिक काम करता है उसको झोपड़ी में मट्टी और अल्मूनियम के बरतन ही मिलेंगे। उसके रहने के लिये पुआल ही उसको मिल सकेगी। भले ही उसके बाप दादा के नाम वह जमीन रही हो, उसको इस समितियों से कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार कृषि सहकारी समिति जब तक हमारे इस प्रदेश में नियमित रूप से नियंत्रित करके वास्तविकता के आधार पर नहीं चलेगी तब तक उसका लाभ गरीब आदमी को नहीं मिल सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी उसके बाद में जानकारी प्राप्त कर लें कि किस प्रकार से सहकारी खेती चल रही है और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। श्रीमन् तीसरी पंच वर्षीय योजना में शीत गृहों को बनाने की बात कही गई है लेकिन अब तक सिर्फ ३४ बनाये गये हैं। हमारे प्रदेश में जिस मात्रा मे आलू उत्पन्न होता है उसको देखते हुए यह अत्यन्त कम हैं। हमारे यहां के शीत गृहों की क्षमता सिर्फ ९१,४०० टन है। तो जो आलू हमारे प्रदेश में इतनी अधिक मात्रा में पैदा होती है उसको हम सुरक्षित भी रख सकते और योजनाओं द्वारा सहायता भीमिली तब भी उसका लाभ पूरा न उठा सके। हमें अधिक से अधिक शीतगृह बनाने चाहिये और ४,००० टन क्षमता के बनाने चाहिये, क्योंकि छोटे बनाने मे कोई लाभ नहीं है। श्रीमन्, पशुपालन, डेरी और मत्स्य बहुत से विभाग बाकी हैं लेकिन समयाभाव से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पशु

पालन का कार्य महत्वपूर्ण है प्रदेश में मनुष्यों की संख्या है उतनी ही संख्या पशुओं की भी है। लेकिन उनमें से दूध देने वाले अच्छे पशु कितने हैं, इसका हमें को मूल्यांकन कराना होगा और किस प्रकार से हम उनकी नस्लों को सुधार सकते हैं, इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा। बहुत सी बातें हमारे माननीय मंत्री जी ने कही। मेरा निवेदन है कि जो गांवों में पशु चिकित्सालय हैं, उनकी तरफ देखें कि उनमें डाक्टर रहते हैं कि नहीं। उसके साथ ही जो दूध के वितरण केन्द्र हैं, उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश में जितनी दुग्धशालायें हैं, उनके दूध में खट्टापन क्यों होता है? यहां पर कोई ऐसा केन्द्र नहीं जहां पर दूध में खट्टापन न हो। उसको देखने की आवश्यकता है। चूंकि लालबत्ती जल गयी है, इसलिए और समय तो नहीं ले सकता। आपके विभाग में जो भ्रष्टाचार है, उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों के नीचे गंजरियां फार्म में एक लाख मुर्गियों की चोरी की बात सुनी गई जब इनक्वायरी करा रहे हैं तो इस बात की भी इनक्वाइरी करा लें कि वे मुर्गियां पालने के लिए मंगाई गयी थीं या भक्षण के लिये। अगर भक्षण के लिए मंगाई थी तो उनका सदुपयोग हो गया, लेकिन पालने के लिए मंगाई गयी थीं, तो उसको देखें।

मैं निवेदन करूंगा कि जब जक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं किया जायगा जनता का इस पर विश्वास नहीं होगा, जब तक जनता के द्वारा सहकारिता कार्य नहीं किया जायेगा, आप सफल नहीं हो सकते। अभी जो आपके कामदार, ग्रामसेवक और सुपरवाइजर इन्हीं के माध्यम से चुनाव की व्यवस्था है। वे ही समितियां बनवाते हैं। इसलिये अप्रजातांत्रिक ढांचे में बदलवाना चाहते हैं तो इसे जनता के हाथों में दें और सरकारी-करण जो किया है उस पर पुनः विचार करें। सरकारीकरण से काम नहीं चलेगा।

*श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकार को बने ८-९ महीने हो गये। यह सहकारिता विभाग लगभग ३० साल से चर्चा का विषय रहा है क्योंकि जन-जन में व्याप्त यही विभाग ऐसा है जो व्याप्त है और जहां विभागों की जानकारी का जहां तक सम्बन्ध है, उन सबसे ज्यादा सहकारिता विभाग ही ऐसा विभाग है जो ऊपर से लेकर नीचे तक देहातों में फैला हुआ है। मान्यवर, पिछली दफा माननीय मंत्री जी न बजट पेश करते हुए कहा था कि इस विभाग का सरकारीकरण हो रहा है और तमाम समितियां भंग कर दी गयी और सरकारी कर्मचारियों के हाथ में विभाग को दे दिया गया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी और अधिकारियों को बधाई देता हूं कि दूसरे बजट के आते-आते इस प्रदेश में जनतन्त्र की स्थापना की और छोटी बड़ी सोसाइटियों में जनता के बीच जाकर चुनाव कराने में सफल हुए। अब हो सकता है कि चुनाव के दौरान कुछ गड़बड़ियां हुई हों, लेकिन उसके बाद भी यह सराहनीय कदम है कि पूरे प्रदेश में बिना किसी झगड़े, बिना किसी गड़बड़ी के चुनाव सफल हो गया। यह जनतंत्र की ओर जाने की एक निशानी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिलोक चन्द्र—]

दूसरी बात यह है कि जो साधन सहकारी समितियां थीं, उनमें सचिव बिठा दिया गया । मैं उस बात से इत्फाक करता हूं कि सरकारीकरण नहीं होना चाहिए । लेकिन इससे पहले व्यवस्था यह थी कि गांव का सरपंच या खजान्ची गड़बड़ी होने पर कोई भी उनमें से जिम्मेदार नहीं होता था इसलिए सरकार ने निर्णय लिया सचिव की नियुक्ति का और जो रुपया खर्च होता है अथवा दुरुपयोग होता है उसको उसके लिए जिम्मेदार बनाया गया । जो हमारा संचालक मंडल है चुना हुआ वह नीति का निर्धारण करता है, कोई वित्तीय जिम्मेदारी उसकी नहीं होती । इस तरह से सरकार ने सचिव की नियुक्ति का जो निर्णय लिया इससे सरकारीकरण भी नहीं हुआ और एक आदमी जिम्मेदार हो गया । इसके पहले सुपरवाइजर होता था । मैं समझता हूं कि देश म दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन पर कोई कानून लागू नहीं होता जिसमें एक राष्ट्रपति और दूसरा सुपरवाइजर । सुपरवाइजर को कोई भी नहीं पकड़ सकता था चाहे वह कितना ही रुपया कोआपरेटिव सोसाइटी का बांट दे, किसी को दे दे । उसका नतीजा यह हुआ कि पिछले साल जितनी इंक्वायरीज हुईं उनमें करोड़ों रुपये का घपला सामने आया । मैं भी एक सोसाइटी का डायरेक्टर था जहांगीराबाद में १४ लाख की सोसाइटी थी । बहुत बड़ा घुटाला उसमें हुआ । मंत्री जी के आश्वासन पर इंक्वायरी हुई लेकिन किसान की हालत आज भी ज्यों की त्यों है । इसमें करना क्या चाहिये ? मेरा सुझाव यह है कि एक आदमी वहां बिठा कर यह तय करना चाहिये कि किसान को तत्काल कितना रुपया देना है ताकि ब्याज उसको देय रकम में न जुड़ता जाय । १० साल तक अगर फैसला नहीं हुआ और न सरकार ने कोई कार्यवाही की तो ब्याज का क्या होगा ? लिहाजा इसका निर्णय हो जाय कि किसान को कितना रुपया देना है ताकि उसका पीछा छूट जाय और बाकी वह सुपरवाइजर तथा अधिकारी जिम्मेदार होगा । एक-एक अधिकारी इन सोसाइटियों पर बिठा कर निर्णय करा दें कि किसान को कितना देना है ?

तीसरी बात यह कि जब सवाल उठाया गया तो मंत्री जी ने सत्यापन कराया लेकिन वह १९७४ तक का ही कराया और उसके बाद ७८ तक का सत्यापन नहीं कराया गया । ७४ में चेक सिस्टम लागू हो गया तो समझा यह गया कि चेक सिस्टम आने पर घांधलेबाजी नहीं होगी । लेकिन मैं इसका सबूत देने के लिए तैयार हूं कि चेक सिस्टम आने पर भी गड़बड़ी हुई और जहांगीराबाद की मिसाल है कि चेक पर दस्तखत हैं, चेक भुना और जमा हुआ लेकिन वह आदमी नहीं हैं । जब बैंक का कर्मचारी तथा सुपरवाइजर मिल जायगा तो चैक सिस्टम भी फेल हो गया । मैंने मंत्री जी से कहा था सत्यापन कराया जाय सोसाइटीज का ७४ के बाद भी ताकि जिम्मेदारी गड़बड़ी होने पर ठहराई जा सके उसको जो रुपये को खाता है । रुपये को राइट आफ नहीं करना चाहिए, उसकी वसूली होनी चाहिये । इसके अलावा जो भ्रष्ट लोग हैं चाहे सुपरवाइजर हो, पब्लिक मैन हो अथवा अधिकारी हो उसकी प्रापर्टी की जांच कराई जाय और पता लगाया जाय कि यह कहां से आई । लाखों, करोड़ों की ऐसे लोगों की प्रापर्टी होती है, उसकी जांच होनी चाहिए । मैं अधिक न कह कर एक दो सुझाव और देना चाहता हूं । जो कोआपरेटिव कमीशन पिछली सरकार ने बिठाया था और जो कोआपरेटिव ऐक्ट इस समय है उसके बारे में मैं तो यह कहूंगा कि जैसे कोई आदमी जंगल में भटक जाता है उसी तरह से हमारा यह कोआपरेटिव ऐक्ट है । बड़ा पेचीदा है । हर कानून में बारीकी है । एक-एक धारा को समझने के लिए ९-९ धारायें पढ़नी पड़ेंगी । अगर कोई आदमी लिखा-पढ़ा न हो या मामूली पढ़ा लिखा हो तो फिर ऐक्ट

पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, समझ में ही नहीं आयेगा । ऐसा हमारा कोआपरेटिव ऐक्ट है । सरकार ने जो कोआपरेटिव कमीशन बिठाया था उसकी रिपोर्ट क्या हुई । किसी भी सरकार ने वह कमीशन बिठाया हो लेकिन उसकी रिपोर्ट प्रकाश में आनी चाहिए । उस कमीशन में कुछ संस्तुतियां की होंगी, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये होंगे, उन पर अमल होना चाहिये । जो खामियां उसमें दिखाई गई हैं उनको दूर होना चाहिए । गुजरात कोआपरेटिव सोसाइटीज का ऐक्ट है, वह बड़ा माकूल ऐक्ट है । आप उनका अध्ययन करें । मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा जो कोआपरेटिव कमीशन की रिपोर्ट है, उसको जल्द से जल्द प्रकाशित करावें और उससे जो राजनीतिक लाभ हमको हो, वह होना चाहिए, उसको जरूर प्रकाशित कराना चाहिए ।

मान्यवर, जो हमारा कोआपरेटिव आन्दोलन था उसका उद्देश्य यह नहीं था कि हमको लाभ हो बल्कि उसका उद्देश्य था कि जन-साधारण का लाभ हो । वह सरकारी मुहकमा नहीं था । लेकिन हमारे यहां जो भूमि विकास बैंक है उसके बारे में यदि मैं यह कहूं कि वह भूमि नीलामी बैंक हो गया है, तो उसमें अत्युक्ति नहीं होगी । रोजाना सैकड़ों केसेज की लिस्ट निकलती है और अधिष्ठाता महोदय, आप भी उसमें चेयरमैन रहे हैं आप जानते हैं कि नीलामी की क्या हालत है । लोनिंग में गल्तियां होती हैं । कहा जाता है कि ठीक वक्त पर रुपया नहीं लौटाया गया । मान्यवर, अगर ठीक व्यक्ति को लोनिंग की जायेगी तो रुपया अवश्य लौटेगा । वरना यही हालत रहेगी । इसके अलावा भूमि विकास बैंक की जो लोन की दर है वह अरबों में पहुंच गई है जब कि उसके ब्याज की दर में घटोत्तरी नहीं हुई है । आज कोआपरेटिव बैंक या भूमि विकास बैंक की ब्याज दर बढ़ती जा रही है । वह अपने लाभ के लिए सोचते हैं । इसलिए मैं मंत्री जी से कहता हूं कि आपका लाभ ज्यादा है, कम नहीं है तो ब्याज की दर घटनी चाहिए । एक सराहनीय काम यह किया गया है कि बहुत दिनों से वह मांग थी कि दूसरी सोसाइटियों में हरिजनों, निर्बल वर्ग तथा पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं जा पाता था । लेकिन माननीय मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है । गरीबों का प्रतिनिधित्व उसमें कर दिया है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । लेकिन इस सम्बन्ध में एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि उन्होंने निर्बल वर्ग के लिए केवल जिला लेबिल पर ही यह व्यवस्था की है, किन्तु उत्तर प्रदेश लेबिल की जो संस्था है उनमें नहीं किया है । मैं चाहता हूं कि उसे भी इस बजट में एलान कर दें और इसे जनतंत्रीय बनाने के लिए जो कुछ भी वे कर सकते हैं, करें । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का मौका दिया । माननीय सहकारिता मंत्री तथा उनके सहयोगी अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने समग्र क्रांति की ओर एक कदम इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ाया है । यह ठीक है कि पिछले ३० वर्ष में जो घांधले-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजकुमार शर्मा--]

बाजी, जो भ्रष्टाचार और जो अनियमिततायें, जो कुनबापरस्ती इस विभाग में घुसी हैं वह काफी समय पुरानी हैं। उसको दूर करने में कम से कम १० वर्ष की आवश्यकता है। लेकिन पिछले साल का जो बजट था उससे यह बजट थोड़ा सुधार करेगा ऐसा मैं विश्वास करता हूं।

सहकारिता आन्दोलन कोई नया नहीं है न हमारे देश के लिए न दुनियां के लिए। प्राचीन काल से हमारे देश में दो हजार साल नहीं उससे पहले पांच हजार साल पहले हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन चले हैं। चूंकि हमारे देश में ग्राम तंत्र की व्यवस्था रही है वैदिक काल से लेकर सन् ७१२ ई० तक हमारे देश में ग्राम तंत्र, ग्राम स्वराज्य, ग्राम लोकतंत्र इत्यादि नामों से जाना जाता रहा है और जनता को नीचे के स्तर पर अधिकतम अधिकार मिले हैं, अधिकतम शासन व्यवस्था में उनका योगदान रहा है। सहकारिता आन्दोलन उसी प्राचीन पद्धति का एक विकासमान रूप है जो हमारे देश में चलाया जा रहा है। यह भी ठीक है कि इस पर जैसे हम कदम-कदम पर आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से सहकारिता को भी आगे बढ़ाना है। इसके नाम से ही प्रकट है कि सहकारिता समाज और जनता के सहकार से, उसके सहयोग से हमें इसकी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं।

इस में जहां भ्रष्टाचार की बात होती है मैं नहीं मानता हमारे अधिकारी वर्ग में सभी भ्रष्ट हैं। हजारों लोग इसमें ईमानदार हैं लेकिन उनकी ईमानदारी को आंकने की जरूरत है। उनकी ईमानदारी को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। मेरे क्षेत्र हरिद्वार में सहकारी स्टोर में कृष्ण मुरारी खन्ना रहते हैं। जब-जब वह हरिद्वार में आये तब तब यह स्टोर मुनाफे पर चला और जब-जब उनका ट्रांसफर कर दिया गया तब तब वह घाटे में चला। सहकारी स्टोर सहकारी आन्दोलन के अन्तर्गत गांव-गांव तक चलते हैं लेकिन खेद की बात है कि लखनऊ से लेकर जिला स्तर तक उनमें काम करने वाले ईमानदार लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो इस विभाग में ईमानदार लोग हैं उनको प्रोत्साहित किया जाय।

मेरे क्षेत्र में एक तलहड़ी बुजुर्ग गांव है उसमें सहकारी समिति में एक सेक्रेटरी श्री अमर सिंह हैं। एक लाख रुपया का गबन करके वह जेल चले गये और एक महीने बाद ही, जब माननीय नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री थ, पैरोल पर छूट गए। एक लाख का गबन करने वाले के लिए पैरोल हो जाता है और वह पैरोल कन्टीन्यू करता आगे बढ़ता गया। तो इस प्रकार बेईमानी करने वालों के बरखिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह ईमानदारी को प्रोत्सहित करें। यह ३० साल का कूड़ा-कचरा है उसमें सुधार करना बहुत आवश्यक है।

इस बार जो समितियों के चुनाव हुए हैं गांवों में उसमें काफी सुधार हुआ है। उसके लिए मैं मंत्री जी को और अधिकारियों को बधाई देता हूं। एक समस्या आज भी हमारे गांवों में है लोगों की शिकायतें हैं कि बीज और खाद आदि में भ्रष्टाचार है। इन समितियों में बीज नहीं मिलता है और न समय पर खाद मिलती है। बेचारा अनपढ़ देहाती बैंक समितियों के दफ्तरों में मारा-मारा फिरता है। उनका सही मार्गदर्शन नहीं होता है। हमारे क्षेत्र राय वाला में गांव के लोगों ने इसके अन्तर्गत ट्रैक्टर लोन लेने के लिए सोचा लेकिन उनसे कहा गया कि २५

हजार के लोन में २० हजार मिलेगा और २५ हजार पर साइन करके देने होंगे । तो उन्होंने अपना दिमाग बदल लिया । इस प्रकार की शिकायतें विभाग में है । तो उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए नीचे स्तर पर और यह तभी संभव होगा, जब हम ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों को समुचित प्रोत्साहन देंगे । आज बीज, खाद व लोन खेती का अभिन्न अंग बन गया है और किसान के बहुसंख्या में अशिक्षित होने के कारण वह इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता है, क्योंकि इनकी प्रक्रिया बहुत जटिल है । वह इनका लाभ तभी ले सकता है, जब विभागीय कर्मचारी किसान की मदद करें और सम्बन्धित प्रोसीजर को आसान बनाया जाए । इससे किसान को बीज, खाद व लोन मिल सकेगा और बारम्बार उसे विभिन्न दफ्तरों का चक्कर लगाने में समय और धन का अपव्यय वहीं करना पड़ेगा। क्या बरसा जब कृषि सुखानी, उसे यह सुविधाएं उस समय मिल पाती हैं, जब उसका समय समाप्त हो जाता है, इससे उसको खेती का नुकसान होता है ।

मैं मंत्री जी को सुझाव दूंगा, हरिद्वार क्षेत्र में देहातों में पशुधन का विशाल भंडार है, हमारे देहातों में और गंगा पर जो गूजर रहते हैं, वे दूध का व्यापार करते हैं। हरिद्वार में, जहां बैशाखी, अर्द्ध कुम्भ और कुम्भ आदि के विशाल मेले लगते हैं, जिनमें कई लाख यात्री आते हैं, उनको दूध की आवश्यकता की पूर्ति यही लोग करते हैं । लेकिन उनका कार्य व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है । सरकार इस पर ध्यान दे और विशाल डेरी की स्थापना वहां पर की जाए । इससे वहां पर जो गर्मी में दूध का अभाव हो जाता है और उस समय में अमृतसर और दिल्ली आदि से दूध मंगाना पड़ता है, वह समस्या दूर हो जाएगी । अतः सरकार इस ओर ध्यान देकर इस कार्य के लिए सर्वेक्षण करावे । मैं समझता हूं, इससे जनता की आवश्यकता की भी पूर्ति होगी और सरकार को भी लाभ पहुंचेगा ।

मंत्री जी ने पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि की योजनायें बनाई हैं, जो इस विभाग की अभिन्न अंग हैं, लेकिन देहात की जनता को इनका कोई पता नहीं है । वे तहसील रुड़की के दफ्तर में, ब्लाकों के दफ्तर में जाते हैं, लेकिन उनको वहां से भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है । यहां के गरीब लोगों का १०-२० मुर्गी या २-४ भैंस पालने से जीविकोपार्जन हो सकता है । लेकिन प्रोसीजर की जटिलता के कारण उनको इसका ज्ञान नहीं होता है । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उनको इन चीजों का ज्ञान हो और उनको सुविधाजनक ढंग से मार्गदर्शन किया जाए । हरिद्वार में उसके पास में ज्वालापुर है, जहां की ५० हजार की आबादी है और उसके आस-पास १ लाख की आबादी है । वहां पर एक मरा हुआ पशु चिकित्सालय है, जहां पशु ठहरने की जगह नहीं है, डाक्टर के बैठने की जगह नहीं है और न कम्पाउन्डर के बैठने की कोई जगह है। दवाई रखने के लिए अवश्य एक कोठरी धर्मार्थ ली गई है, उसमें दवाएं रखी जाती है । उस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं, वह उसमें सुधार करने की कोशिश करें और वहां डेढ़ लाख की आबादी में एक अच्छा सा पूर्ण पशु अस्पताल स्थापित करने की कृपा करें ।

[श्री राजकुमार शर्मा--]

अपने प्रदेश में चरागाह निरन्तर समाप्त होते जा रहे हैं। ज्वालापुर नगर में ३ लाख पशुओं के लिए एक बड़ा चरागाह था, किन्तु भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जब से बना है, तब से वह चरागाह समाप्त हो गया है। वे उनको बीच से होकर गुजरने की इजाजत नहीं देते हैं, कहते हैं सब गंदा हो जाएगा। अब उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पशु चराने के लिए प्रायः उनका उनके साथ झगड़ा होता है। चरागाह खत्म हो गये हैं, इसलिए सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो इंडस्ट्रियल योजनाएं बनें, उनमें चरागाह छोड़ने का अवश्य प्राविधान रखा करें।

हमारे प्रदेश में यद्यपि गोवध निवारक कानून बन गया है, लेकिन उसमें बहुत से छिद्र हैं। चूंकि हमारे देश में पशुधन की बहुत आवश्यकता है राष्ट्रीय विकास के लिए और ७ करोड़ बैलों की आवश्यकता है और इसी प्रकार गायों की आवश्यकता है, मेरे जिले में फंदपुरी, दूधगढ़ और देवबन्द और सहारनपुर से हजारों गऊ प्रति मांस बांदरा और बम्बई के बूचड़खानों में कटने जाती हैं, माननीय मंत्री इसको रोकने का प्रयास करें ताकि प्रदेश का गोधन प्रदेश में रहे और प्रदेश का विकास हो। इन शब्दों के साथ में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, आज माननीय मंत्री जी ने सहकारिता से सम्बद्ध, पशुपालन से सम्बन्धित जो रुपया इस माननीय सदन से मांगा है, यह सब जानते हैं कि समाजवाद का मूल आधार सहकारिता है। परन्तु पिछले दिनों में यह हो गया है कि किसान और भूमिहीन मजदूर जो भी देहाती क्षेत्रों में रहता है इस वक्त सहकारिता के नाम से जितना भागता है उतना शायद डाकू-चोर के नाम से नहीं भागता।

श्री अधिष्ठाता--

आपके यहां डाकुओं का महत्व घट गया है।

श्री रियासत हुसैन--

सहकारिता के मुकाबले में घट गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिये। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो सत्यापन कराया गया, माननीय मंत्री जी ने अपनी फीगर्स भी बतायीं, तीन करोड़ रुपया सत्यापन में राइट आफ भी करने जा रहे हैं। इसके बावजूद २५ फीसदी भी सत्यापन आपका नहीं हुआ। लोगों को पता भी नहीं चला कि ब्लाक के ए० डी० ओ० के जरिये सत्यापन हो रहा है, उनके पास वह कार्यवाही चल रही है। आज भी माननीय सदस्यों के पास उसी तरह की शिकायतें आती हैं कि हमने रुपया लिया नहीं है, हमारी मदद कीजिए। ऐसी शिकायत बदस्तूर कायम है सत्यापन के बाद। जब मैंने रुपया दे दिया, आपके कागज में लेन-देन समाप्त हो जाय तो मेरा क्लियरेंस क्यों नहीं करते? मेरा हिस्सा का रुपया एडजेस्ट क्यों नहीं करते? मुझे मजबूर करते हैं कि शेयर मनी एडजेस्ट नहीं होगा, सिर्फ यह दिखलाने के लिए कि प्रदेश के अन्दर इतने मेम्बर हैं और इस किस्म के मामले आते हैं कि हमारा ढाई सौ, तीन सौ शेयर मनी है, वह एडजेस्ट नहीं कर रहे हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान ११०७
संख्या ४३--सहकारिता, अनुदान संख्या ५३--पशुपालन, अनुदान संख्या ५४--दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या ५५--मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ७६--सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ८३--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम-सहकारिता

सिर्फ इस लिए कि वह उलझन में पड़ा रहे, उसके नाम फर्जी रुपया निकालने का रास्ता बना रहे। इस लिए हिसाब साफ नहीं करते। यह बड़े दुख की बात है।

मैं एल० डी० बैंक के बारे में कहना चाहता हूं। यह शिकायत आम तौर से रही है कि एल० डी० बैंक में कोई लेनदेन किसान का नहीं होता, इसमें तहकीकात करने की बात नहीं है, जब तक एक निश्चित फी सदी मैनेजर तक चली न जाय। इसमें संदेह नहीं है कि अगर उस फीसदी के बाद भी उस किसान को इतनी ही छूट मिल जाय कि जिस इंजन या जिस चीज को वह लेना चाहे वह ले सके। कम से कम इसमें उसको तसल्ली हो जाय कि मुझे अपने पसन्द की चीज मिल रही है। लेकिन वहां वह दस दफा दौड़ कर इस लिए जाता है कि उससे कहा जाता है कि तुम को फलां इंजन लेना है। आखिर में परेशान हो कर वह कहता है कि जो इंजन आप कहें मैं लेने के लिए तयार हूं। आखिर यह क्यों? इस चीज पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर बड़ी जरूरत है डेरीज की, लेकिन आपकी सारी डेरियां घाटे में चल रही हैं। हमारे यहां देहरादून में दलपतपुर में एक फैक्टरी है। मैंने माननीय मंत्री जी को दावत दी थी कि वह वहां पर जायें और वहां कार्य कलापों को देखें तो पता लग जावेगा कि वहां पर कितनी गड़बड़ी है। यह फक्टरी सन् १९७० से चल रही है। लोगों को पहले तो पता नहीं चला कि यह क्या चीज है, बहुत समय के बाद मालूम हुआ कि यह दूध की डेरी है इस फैक्टरी में ७० लाख रुपये का घाटा है। मैंने इस बारे में प्रश्न भी किया था। तो जवाब मिला कि बैलेन्स शीट इतनी बड़ी है कि वह सदन में लायी नहीं जा सकती है। पता नहीं यह कोई हाथी है, या घोड़ा है जो सदन के दरवाजे से लाई नहीं जा सकती है और कहा गया कि मंत्री जी के कमरे में आकर देख लें। मंत्री जी के कमरे तक आ सकती है और सदन तक नहीं आ सकती है। यह तो हालत है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि यह मुकम्मिल नहीं है और घाटा ही घाटा है।

एक दूसरी बात बहुत ही जरूरी है और वह यह है कि १,५०० रु० जिस अधिकारी को बाहर मिलता है तो वहां पर जाकर उसकी तनख्वाह ढ़ाई हजार हो जाती है। दलपतपुर की फैक्टरी से कितना रुपया कमा लेंगे वहां से रुपया कमा कर दूसरी जगह चले जाते हैं। ७० लाख का घाटा आज फैक्टरी में है। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि किसी भी फैक्टरी के बाहर उसका रा-मटेरियल न दिखाई पड़े। दूध मुजफ्फरनगर, मेरठ और बुलन्दशहर से आता है और इस फैक्टरी के १० मील के एरिया वाले किसानों को यही नहीं मालूम है कि यह किस चीज की फैक्टरी है। यहां पर क्या हुआ कि सचिवों के पद बना दिए गये और १०० रुपया तनख्वाह दी जाने लगी। यह गांव में दूध एकत्र करने का काम करते थे, और जब बहुत सा रुपया किसानों का बकाया हो गया और फैक्टरी ने अदा नहीं किया तो इन सचिवों को ५-५ हजार रुपया अपनी जेब से देना पड़ा। वह कहते हैं कि दूध तो हमने आपको दिया है। यह फैक्टरी का दूसरा तमाशा है।

श्री रियासत हुसैन---]

अब मैं एनीमल हजबेन्डरी के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां इन्सीमिनशन का एक बड़ा सेन्टर खुला है। वहां पर कहा जाता है कि आर्टीफिशियल इन्सीमिनेशन से गायों का ही काम हो सकता है। इससे भैंस का कोई ताल्लुक नहीं है। फैक्टरी चलेगी और डेरियां चलेंगी, भैंस के दूध से क्योंकि उसमें फैट का परसेन्टेज अधिक होता है। लेकिन आप उनको प्रोत्साहन भैंसों को नहीं दे रहे हैं और गायों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

एक स्कीम एस० एफ० डी० ए० की है। ५ लख रुपया भैंसों को खरीदने के लिए ऋण बांटा गया। डाक्टर हैं जो किसानों को भैंस खरिदवाने के लिए हरियाना जाता है। और वहां पर वह दलाल आ जाता है और उसे दलाल भैंस खरिदवा देता है। और वह यह कहता है कि यही भैंस लेनी पड़ेगी। कैसे चले जाओगे यहां से। यह हरियाना है उत्तर प्रदेश नहीं है और जब वह भैंस यहां पर आती है तो ३ लीटर और ४ लीटर दूध निकलता है। आज तक किसानों द्वारा असल तो असल सूद तक की अदायगी नहीं हो पायी है। ५ लाख रुपया हमारे इलाके में जो बंटा है उसने सारे किसानों को बरबाद कर दिया है।

*श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, भाई रियासत साहब की बात सुनी और सब तरफ के माननीय सदस्यों की बातें भी सुनी हैं। मान्यवर, कोआपरेटिव का जो मुहकमा चला है। जब से श्री मुलायम सिंह जी इसके मंत्री बने हैं शायद १०-११ महीने हुये हैं, उसके पहले इसका क्या हाल था जब दोनों तरफ का विश्लेषण करके बोलते हैं तो बड़ी खुशी होती है और जब दोनों तरफ का विश्लेषण नहीं होता है तो उनकी बात के कोई माने नहीं होते हैं। वर्ष १९६२ में जब मैं चुनकर आया और विरोध पक्ष में बैठता था तो पहले इस कोआपरेटिव विभाग में यह देखा गया था कि अगर कोई आदमी ५०० रुपया का कर्ज लेता था तो एक बिन्दी और लगाकर उसे ५,००० रुपया कर दिया जाता था और पैर का निशानी अंगूठा लगा लिया जाता था। बैंक के सामने ही कुछ दलाल किस्म के लोग रहते थे जो अपना रुपया लगाकर ट्रान्सफर एन्ट्री कराकर १० और १५ प्रतिशत पर लाखों रुपया कमा लेते थे। इस विभाग में जातिवाद, कुनबा परस्ती, बेईमानी और भ्रष्टाचार जितना एक साल में कम हुआ है मैं वह भी बता दूंगा और जो करना शेष है वह भी बता दूंगा, भाषण का मतलब भी यही होता है। आलोचना को आलोचना की दृष्टि से नहीं बल्कि उसके साथ सुधार का भी दृष्टिकोण होना चाहिये। क्या इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्य इन्कार कर सकते हैं कि जब से यह सहकारिता का विभाग श्री मुलायम सिंह के हाथ में आया तब से उन्होंने, जो कार्य २५ वर्ष से नहीं हुआ, एक सत्यापन की प्रणाली निकाली। इसके पूर्व इस प्रणाली का कोई नाम भी नहीं था और उसके बाद इनके अधिकारी गांव-गांव पहुंच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कोई फर्जी कर्जा तो नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह काम पूरा हो गया है लेकिन इस दिशा में सच्चे सत्यापन का कार्य आरम्भ तो हुआ है। तो कम से कम उनके इस कार्य के लिए बधाई देना चाहता हूं। व्याख्यान और बुराई करके ही काम नहीं चलने वाला है। उनके जो अच्छे काम हैं उनको आप नहीं कहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या ४३––सहकारिता, अनुदान संख्या ५३––पशुपालन, अनुदान संख्या ५४––दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या ५५––मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ७६––सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ८३––पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५––ऋण और अग्रिम––सहकारिता

जब मैं पहले विधान सभा का सदस्य था और उससे पहले भी कोआपरेटिव विभाग का चुनाव कैसे होता था, मैं बता दूं। जो सरपंच होता था वह अपने हाथ में बस्ता लिए होता था और वह सर्वेसर्वा होता था, अपने आप नाम लिख देता था और वह उन्हीं को दे देता था। लखनऊ में अगर कोई नाम लिखवा देता था तो वह भी लिख लेता था। अबकी बार लिस्टें बनी हैं, बैलेट बने और बांटे गये। लोगों ने वोट डाले। जो इस दिशा में कदम उठाया गया वह एक जनतंत्रीय प्रणाली द्वारा सहकारिता के चुनाव हुए, इसके लिए भी उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं। य दोनों काम जोरदारी के साथ हुए हैं। एक साल के भीतर सहकारिता विभाग में जितना बढ़िया काम किया गया है उससे बढ़िया और कोई काम नहीं कर सकता है। कोई कोआपरेटिव मिनिस्टर अगर इनसे आगे जाकर कोई काम करेगा तो मैं बढ़िया कहूंगा। गत ३० सालों में इस विभाग में काम हुआ है उससे अच्छा काम, बढ़िया काम श्री मुलायम सिंह जी ने किया है। अगर सत्य को असत्य कहने लगे तो मैं कैसे मान सकता हूं?

सुधार क्या होना चाहिये पार साल भी मैंने बजट भाषण में, चूंकि सहकारिता में मेरा बड़ा विश्वास रहता है और चूंकि मैं समाजवादी रहा हूं, सहकारिता और समजवाद का अटूट सम्बन्ध है, एक सीढ़ी के २ पाये हैं, मैंने बहुत से कागज माननीय मंत्री मुलायम सिंह जी को दिए थे और यह कहा था कि जितने भी कर्जे हैं और लोगों से बलपूर्वक लिए जा रहे हैं उनकी वे जांच कराकर सही तरीके से वसूलयाबी करायें। मुझे खेद है कि उस दिशा में काम हुआ, लेकिन पूरी सफलता के साथ नहीं हुआ। वह होना चाहिए। कोआपरेटिव बैंक में जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता ह, पहले चुनावों की गाड़ी वही संभाला करते थे। घर-घर जाते थे और जिस पार्टी की सरकार हो उसका यह विभाग चुनाव एजेंसी का काम करता था। चुनाव को जिताने-हराने का काम करता था। लेकिन उधर तो नहीं किया, लेकिन जितनी सख्ती के साथ वसूली होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। वह करवानी चाहिये।

मैं ५-७ उदाहरण देना चाहता हूं। सारे प्रान्त की एक सी ही हालत होगी। हमारे यहां पहले कोआपरेटिव विभाग में कांग्रेस राज्य में ३० साल से बराबर एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर रहे-चाहे असर से, चाहे लाठी से, क्योंकि सरकार उनकी थी। कभी चुनाव होते ही नहीं थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो उनके खास समधी थे, लड़की उनकी ब्याही है। मान्यवर, आप देखेंगे कि एक साधन सहकारी समिति पुसमना थी। एक लाख रुपया उन्होंने अपने समधी को कर्जा दे दिया। यह इस सरकार की बात नहीं, पहली सरकार की बात थी और उन्होंने यह किया कि कोआपरेटिव विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर चूंकि रिश्तेदार थे तो उन्होंने ऊबड़-खाबड़ जमुना की खादर की खल्लड़ जमीन जोकि ५० रुपया बीघा में भी कोई उसे नहीं लेता उस जमीन की उनको २ हजार रुपया बीघा में नीलाम करवा दिया और एक लाख रुपया बराबर करवा दिया जो कर्ज दिया था। फिर देखेंगे कि इतने से ही संतोष नहीं हुआ, वह खल्लड़ जमीन दसयों साल से उन्होंने स्वयं ही जोत रखी थी, हालांकि उसका नीलाम हो चुका है। इस तरह से अगर जांच कराई जाय तो अनेकों मामले निकलेंगे कि जमीन का बयनामा कराने के बाद खुद ही अपने आप उसको जोत रखा है।

[श्री राधेश्याम शर्मा---]

दूसरा उदाहरण एक मिठौली सहकारी समिति है । एक सरपंच ने अनाप-शनाप कर्जा लेकर उसको राम, श्याम, घनश्याम के नाम कर दिया ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

राधेश्याम के नाम भी ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

उसमें 'मिश्र' भी हो सकते हैं । तर्कों के आधार पर मुझसे जीतना बड़ा कठिन है । तो मैं कहना चाहता हूं कि इतने से भी सबर नहीं हुआ । उसके बाद सारे का सारा रुपया उन्हीं काश्तकारों पर डलवा दिया । अब उनकी कुर्की होती फिर रही है । रोते फिर रहे हैं आपके पास । सत्यापन की नीति आपने जो चलाई यह बहुत सुन्दर काम हुआ । अगर ठीक से सत्यापन हो जाता तो मैं समझता हूं इस तरह की धांधलियां समाप्त हो जायेंगी और यह आपको करना चाहिये । एक साल के अन्दर जितना आपने काम किया वह भी गिन-गिन कर बताया और जिस दिशा में आपको जाना है वह भी बताना चाहता हूं ।

सहकारी जो आन्दोलन है यह समाजवाद की प्रथम सीढ़ी है । सहकारिता के बिना समाजवाद और समाजवाद के बिना सहकारिता हो हो नहीं सकती और यह आन्दोलन केवल सरकार के द्वारा अगर आप चाहें कि उसपर ही थोप डालें तो वह हो नहीं सकता । यह सह-अस्तित्व सह-प्रेम और सद्भावना के आधार पर चल सकता है । सही तरीके से वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया में और सुधार कीजिए । सत्यापन करवा कर जांच करवाइये जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाये और जितनी गड़बड़ियां हैं उनको दुरुस्त करवाइये ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जोरदार मंत्री हैं और आप सही निर्णय समय से लेने में चतुर भी हैं, लेकिन किसी अधिकारी का यदि आप तबादला कर दें और आप के मुहकमे के बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग भी आपसे सिफारिश करें और यदि कोई बड़ा लम्बा महत्व का मामला न हो तो एक बार जो निर्णय करें उस पर दृढ़ता से अमल करें । यह नहीं कि फुटबाल की तरह से वह बन जाय । एक ने कहा ट्रांस्फर, वह किया । दूसरे ने कहा "नहीं" तो नहीं, तीसरे ने कहा "हां" और फिर चौथे ने कहा..तो इससे सारा मामला खराब हो जाता है । मैं यह मानता हूं कि एक वर्ष में जो आपने काम किये हैं उनको यह कह सकता हूं कि ३० साल से भी लाख गुना आपने अच्छा काम किया है अगर उससे कोई और अच्छा काम करेगा तो उसको भी बताऊंगा । आपने पूरी ताकत के साथ, काबलियत के साथ विभाग को संभाला है, इसको विरोधी दल के सदस्यों को मानना चाहिये और मेरी तरह से दोनों तरह से आलोचना और समालोचना का अनुपात होना चाहिये, यही संसदीय परम्परा है, इसको मानना चाहिए । इन शब्दों के साथ भाषण समाप्त करता हूं ।

*श्री हरिपाल सिंह शास्त्री (जिला बिजनौर)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे सहकारिता विभाग के अनुदानों पर बोलने के लिए समय दिया । माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खड़ा हुआ हूं। आज सारे प्रदेश में सहकारिता के आधार पर उसका नाम लेकर उसे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहूंगा इस पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाय। प्रदेश में सहकारिता की जड़ों को मजबूत करने के लिए, छोटे-छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने बहुत से कदम उठाये हैं और अच्छी योजनायें बनायी हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण देने की योजना भी बनायी है। इससे निस्सन्देह किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आयगा।

सहकारिता के ऋणों पर ब्याज की दर जो बढ़ती जा रही थी उसे भी कम करने का माननीय सहकारिता मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि दो प्रतिशत दर कम करेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

कम कर दी है।

श्री हरिपाल सिंह शास्त्री--

बड़ी अच्छी बात है। एक बात और कहना चाहता हूं। जो छोटे-छोटे डिफाल्टर हो जाते हैं, उन मामलों में ३ प्रतिशत, १२ प्रतिशत और यदि तहसील के माध्यम से वसूली होती है तो १० प्रतिशत एक्सट्रा ब्याज वसूल किया जाता है। इससे किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ जाती है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और किसान को कुछ राहत दी जानी चाहिये।

भूमि विकास बैंक के माध्यम से किसानों को जो ऋण दिया जाता है उससे भी किसानों को काफी लाभ पहुंचा है और उससे कृषि उत्पादन भी बढ़ा है। इसको नाकारा नहीं जा सकता। लेकिन यह भी सही है इसमें काफी भ्रष्टाचार है। इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिये। जो चीज किसान को २,६०० रुपये में मिलना चाहिए वही सहकारिता द्वारा उसको ३,६०० रुपये में मिलती है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, पहले किसान जब महाजनों से, सूदखोरों से कर्जा लेता था तो उसका सारा जीवन कर्जे में ही फंसा रहता था। सूदखोर कभी उसकी फसल को नीलाम करवाते थे, कभी उसके जानवरों को ले जाते थे, किसान अपनी पैदावार का उपयोग तो कर ही नहीं पाता था। सहकारिता विभाग ने उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है।

भ्रष्टाचार है, इसको दूर किया जाना चाहिये। मान्यवर, पिछले वर्ष किसानों को गल्ले का सही मूल्य नहीं मिला। इस वर्ष ११२·५० रुपये के भाव से किसानों का गल्ला खरीदा जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार सीधे किसानों से, विक्रय केन्द्रों के माध्यम से या फूड कारपोरेशन के माध्यम से ही गल्ले को खरीद करे, बिचौलियों के माध्यम से न खरीदे, ताकि किसानों को सही मूल्य मिल सके। इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिय सहकारिता की दृष्टि से इजराइल

[श्री हरिपाल सिंह शास्त्री—]

और ताइवान देशों को दृष्टिगत करना पड़ेगा । इन दोनों देशों ने सारी दुनियां में इस प्रकार के उदाहरण उपस्थित किये हैं कि हम सहकारिता के माध्यम से अपने देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं । हमें भी इस प्रकार से करना चाहिये ।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । जो सहकारिता की योजनाएं व्यक्तिगत लोगों के हाथों में हैं वह सारी की सारी योजनाएं सहकारिता के माध्यम से होनी चाहिये । आज प्रदेश के अन्दर सहकारिता का नाम लेकर बदनाम किया जाता है । आज यहां पर खड़े होकर कहा जाता है कि सहकारिता के माध्यम से हमारी कोई तरक्की नहीं हुई । मैं कहता हूं कि सहकारिता के माध्यम से हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है । सहकारिता के अन्दर जिस प्रकार का प्रशासन है, उस पर भी जरा दृष्टिपात करें । मैं मानता हूं कि प्रदेश के जो निबंधक हैं, उप निबंधक हैं, सहायक निबंधक हैं, सुपरवाइजर आदि हैं, निबंधक का उप निबंधक पर कंट्रोल है, उप निबंधक का सहायक निबंधक पर कंट्रोल है, परन्तु जो सुपरवाइजर हैं, उनकी कोई नीति नहीं है, जिससे कि उस पर कोई नियंत्रण किया जा सके । ए० आर० सहायक निबंधक कोआपरेटिव का निबंधक, एक सहकारी बैंक का निबंधक, तीनों को मिला कर एक समिति बना दी जाती थी, जब कभी एक पर कोई आरोप लगता था, तो कोई मामला दूसरे के पास चला जाता था ।

मैं चाहता हूं कि आज जो सुपरवाइजर की एक अनिश्चितता की स्थिति है, उसकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्त्तव्य है । उसकी नौकरी की सुरक्षा हमें करनी पड़ेगी । इन सुपरवाइजरों को कभी यूनियन के अन्तर्गत कर दिया जाता है, कभी समिति के अन्तर्गत कर दिया जाता है । मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे । उनकी स्थिति को सुदृढ़ किया जाय । मान्यवर, जब पर्यवेक्षकों की सेवाओं का सरकारीकरण कर दिया जायगा, तो उन पर सही रूप से नियंत्रण हो सकेगा और सहकारिता का काम भी सही ढंग से होगा ।

हमारे मन्त्री जी ने जो पशुपालन का बजट पेश किया है, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस विभाग के अन्तर्गत ३० वीर्य संग्रह केन्द्र खोल रखा है, ७४० कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोल रखा है और १७९४ उप केन्द्र कृत्रिम गर्भाधान खोल रखा है, मेरा सुझाव है कि इनको और विस्तृत किया जाय । इन केन्द्रों की स्थापना न्याय पंचायतों के आधार पर की जाय । इस विभाग में श्वेत क्रांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है । इसके बिना देश की आर्थिक दशा सुदृढ़ नहीं हो सकती है । अच्छी नसल के बछड़ों को पैदा करने के लिए हर न्याय पंचायतों के अन्दर इस प्रकार के केन्द्र स्थापित किये जायं । इन शब्दों के साथ मन्त्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं । आशा करता हूं कि इस विभाग में सहकारिता आंदोलन के द्वारा बदलाव आयेगा और देश की स्थिति सुदृढ़ होगी । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, यह जो पुस्तिका बटी है, सहकारिता, १९७८ इसका जो पहला पैराग्राफ है, इसको अगर पढ़ा जाय, अगर इतना ही इस प्रदेश के अन्दर हो गया होता या आगे हो जाय, तो जो आगे आने वाले जमाने में होना है, मुझे तो संतोष होता इसका अगर एक अंश भी हो गया होता । श्रीमन आपका भी इस आन्दोलन से ताल्लुक रहा है ।

आप इस समय अधिष्ठाता महोदय के रूप में हैं, इस आंदोलन से ताल्लुक रखते हैं । मान्यवर, इसमें लिखा है प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सहकारिता को सर्वाधिक वरीयता दी गयी है । ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता कृषि उत्पादन, कृषि

८–७९ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान १११३ संख्या ४३––सहकारिता, अनुदान संख्या ५३––पशुपालन, अनुदान संख्या ५४ –दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या ५५––मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ७६––सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ८३––पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५––ऋण और अग्रिम–सहकारिता

कार्यक्रम का वाहन है । सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन कृषि, उत्पादन के लिये उर्वरक बीज, कीटनाशक दवायें, उत्पादकों को क्रय–विक्रय समितियों के माध्यम से सही मूल्य, भण्डारण की व्यवस्था एवं उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण भी किया जा रहा है । निर्बल वर्ग के एक मात्र साधन के रूप में श्रम सहकारी समितियां, रिक्शा चालक सहकारी समितियां, महिला उपभोक्ता सहकारी समितियां कार्यरत हैं ।

मान्यवर, बड़ी सुन्दर बात है । अगर इसका, जो लिखा हुआ है अगर १/१० इसमें अच्छाई हो तो भी बहुत अच्छा होता । मैं इन ६ महीनों की बात नहीं कहता । जो मेरा इस आन्दोलन के सम्बन्ध में थोड़ा सा ज्ञान है मैं जानता हूं कि यह आन्दोलन कितना पुराना है । लगभग ३०–४० वर्ष का हो गया है । तो इसमें पुस्तिका को देखने से मालूम होता है कि संख्यात्मक प्रगति हुई है । १० से १०० हुई १०० से १,००० हुई, १,००,००० हुई, संख्या बढ़ी, कर्जे बढ़े सदस्य बढ़े, तो संख्या के रूप में तमाम चीजें तो बढ़ गयी । लेकिन गुणात्मक प्रगति को देखा जाय तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे पुरानी सरकार हो चाहे इस सरकार को देख लीजिये, मैं यह कहूंगा कि न उस समय काम हुआ और न इस समय काम हुआ । केवल कागज पर जबानी जमा खर्च हो रहा है । क्यों हो रहा है ? सहकारिता केवल सहकारिता विभाग नहीं चला सकता है ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)––

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता––

आप जरा बैठ जायं, देखा जा रहा है । आप शुरू कीजिये, कोरम है ।

श्री श्यामधर मिश्र––

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि सहकारिता केवल सहकारिता विभाग नहीं चला सकता है । इस देश और प्रदेश में सहकारी विभाग नहीं बना है । आज माननीय मुलायम सिंह जी हों, चाहे दूसरे सिंह जी हों । चाहे अध्यक्ष जी हों, चाहे कोई हो, इस प्रदेश में और देश में केवल संख्या गिनाई है । एक समय था, मुझे याद है ७५ हजार सोसाइटियां थीं । आप कह रहे हैं कि इतनी हो गयी, बहुत अच्छा हो गया । उस समय भी कहा जाता था कि बहुत अच्छा है । आप देखें सचमुच गरीब का फायदा किसमें है । आपको यह देखना होगा कि आपने सहकारिता को वरीयता दी है या नहीं । इस किताब में कहा गया है कि इतने गोडाउन कायम किये हैं, आपने कहा है ८,११० ऋण समितियां कायम की हैं । इन समितियों को विकास बिन्दु बनाना चाहते हैं । विकास बिन्दु बनायेंगे तो विकास बिन्दु कैसा होगा केवल ऋण देने से विकास बिन्दु होगा नहीं । सीमेन्ट का कोटा इनको मिलता नहीं, चीनी का कोटा मिलता नहीं, फर्टीलाइजर का कोटा मिलता नहीं, वह सब प्राइवेट सेक्टर को मिलता है और जो इनको मिलता है वह बदनामी करने के लिये मिलता है ।

[श्री श्यामधर मिश्र---]

इसलिये इनको सप्लाई विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग कोटा क्यों नहीं देते हैं ।

यदि आज केवल सहकारिता विभाग पर ही सहकारिता चलने की बात है तो दुर्भाग्य है । इसलिये अच्छा होता कि सहकारिता विभाग ही तोड़ दिया जाय और सहकारी व्यक्ति सहकारिता को चलायें । सहकारिता विभाग तो चल रहा है लेकिन उसमें और विभागों का सहयोग नहीं है इसलिये वह होना चाहिये । मान्यवर, पिछले सप्ताह यही प्रश्न हुआ जिसको मैं सुनाये देता हू । प्रश्न था कि ८ हजार संस्थायें जो खुल रही हैं तो क्यों नहीं उनको चीनी, सीमेन्ट, लोहा, कोयला और कपड़े की दुकान का कोटा दे देते हैं । इस पर खाद्य मन्त्री, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव जी ने कहा मुझसे न पूछें । आप इसपर मुझसे आज अलग से बात कर लें । उनका मतलब है कि कोआपरेटिव विभाग इतना रद्दी है कि आप मुझसे अलग से बात कर लें । यह मन्त्री जी का वक्तव्य है । इसलिए एक विभाग चाहे कि विभाग मजबूत हो, दूसरा विभाग चाहता कि प्राइवेट सेक्टर मजबूत हो और तीसरा विभाग चाहता है नहीं वह कमजोर हो । इसलिये आप कसे मजबूत होंगे ? आपकी नीति क्या है ? पहले भी यही हुआ है । यदि यही रहा तो चाहे १० महीने या २० महीने या २५ महीने रहेंगे तो भी यही रहेगा क्योंकि सहकारिता को बढ़ाने के लिये संस्था नहीं चाहिये ।

मान्यवर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया की टीम आती है । अधिष्ठाता महोदय, आप लैंड डेवलपमेन्ट बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं । आप जानते हैं कि यहां टीम आती है और वह देख लेती है कि ऐसा करें-ऐसा करें । जोड़ गांठ करके इस प्रदेश को दिया है ४१५ करोड़ रुपये । यदि किसानों को सब पूरा ऋण मिल जाय तो सालाना पर्याप्त है यह कह दिया । इस साल मन्त्री जी सहकारिता में ३०० करोड़ रुपया मिल रहा है जो कि अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घ कालीन है । कहा जाता है कि इससे तीन चौथाई किसानों की पूर्ति हो जायेगी लेकिन ऐसा नहीं है । जो रिजर्व बैंक ने आंकड़े दिये हैं वह ठीक नहीं है । मैं समझता हूं कि जिस तरह क्रेडिट प्लान बनते हैं वह तरीका ठीक नहीं है । आवश्यकतायें जो हैं उनको वह व्यवहार में नहीं लेते हैं ।

मान्यवर, एक गोदाम बनवा रहे हैं । कहते हैं कि हमारी तारीफ करें । श्री राधेश्याम जी कह कर चले गये मैं चाहता था कि वह बैठते । आप नकल कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 2 हजार गोदाम बनवा दिये इसलिये इनकी सरकार जरूर एक हजार गोदाम बनायेगी । किसलिए आप बनवा रहे हैं ? मैं पूछना चाहता हूं कि २ हजार गोदाम जो बने हुये हैं वह अधिकतर खाली हैं । क्या इन गोदामों की वही हालत होगी जो गांधी चबूतरों का गांवों में हुआ ? पंचायत भवन बन गये और खाली हैं । इस लिये जो गोदाम बने हैं उनका इस्तेमाल कहां हो रहा है? लेकिन आप बनाते जा रहे है । इस लिए आपकी अनुदानों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं । इस सहकारिता को इन अनुदानों ने मार डाला है ।

कैसा अनुदान ? समितियों को मैनेजीरियल सब्सीडी दीजिये, बैंकों को मैनेजीरियल सब्सीडी दीजिये, कोआपरेटिवस को मैनेजीरियल सब्सीडी दीजिए । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आप इस को बदलें । मैं उस समय भी इसी विचार का था और आज भी मुझे अधिकार है कहने का कि आप इसे बदलें । अनुदान होता क्या है ? अनुदान केवल उस समय काम करता है..(व्यवधान) मान सिंह जी आप शांति से बैठें । जगह-जगह जा करके चिल्लाते रहते हैं..(व्यवधान) तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि अनुदान क्या होता है । संस्थाओं को अनुदान देते रहो तो उनका कुछ महत्व होता है यदि नहीं दो तो नीचे आ जाती हैं, फिर अनुदान दो तो फिर महत्वपूर्ण हो जाती हैं ।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी कमी सहकारिता में है वह मैं आप से कहना चाहता हूं और वह यह है कि शिक्षा कोआपरेटिव की, सब से कमजोर है। मैंने महाराष्ट्र में देखा है, गुजरात में देखा है, तामिलनाडु में देखा है और प्रदेशों में देखा है लेकिन आप बतायें आप शिक्षा में क्या कर रहें हैं। मोबाइल टीम जैसी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने बनवा दी हैं। नकल कर रहें हैं। आप इस का इवेल्यूएशन करिये, मूल्यांकन करिये और देखिये कि कोआपरेटिव में कैसी व्यवस्था की जाय, कैसे काम किया जाय।

इन शब्दों से साथ मैं श्रीमन्, आता हूं इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव पर। इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव की जिम्मेदारी उद्योग विभाग की है, गन्ना विभाग की है, शुगर फैक्ट्रीज के बारे में। जितनी इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव्स हैं आप देखें करीब-करीब सब घाटे में हैं। फर्टीलाइजर कोआपरेटिव चल रही है क्योंकि उसको सौ करोड़ का लोन दिया गया है।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। मैंने इस किताब में देखा। या तो मैं गलत हूं या मेरी समझ में नहीं आता है। पेज ३ पर देखें जिसमें लिखा है ७७-७८ के अन्त तक बढ़ कर २०० करोड़ रुपये मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की आशा है। फिर ११वें पन्ने पर देखें १३४ करोड़ रुपये होगा ऋण वितरण अल्पकालीन और दीर्घकालीन। वहां वह २०० करोड़ है यहां १३४ करोड़ है। इसको भी आप हमें बतायें कि यह मेल क्यों नहीं खाता है ?

अब थोड़ा सा पशुपालन की बात करना चाहता हूं। पशुपालन के सम्बन्ध में श्रीमन् मैं समझता हूं कि जितनी डेरीज हमारे यहां है उनमें करीब-करीब पच्चीस करोड़ रुपया लगा हुआ है और प्रत्येक माह इनमें घाटा हो रहा है। लखनऊ में जो डेरी है उसमें नुकसान हो रहा है, क्यों इतना नुकसान हो रहा है, आप बतायें ? और बहुत सी डेरियों में नुकसान हो रहा है। उसको भी बताएं। फिर एक चीज और कहना चाहता हूं मान्यवर, डेरी की व्यवस्था मैंने गुजरात और महाराष्ट्र में देखी। श्रीमन्, आपने भी देखी होगी। मैं जानता हूं आप गये हैं वहां। वहां इतनी सुन्दर व्यवस्था क्यों है और वह व्यवस्था यहां क्यों नहीं हो रही है ? कम से कम २०-२५ जिलों में ३-४ वर्ष की योजना क्यों नहीं बनाते ? महाराष्ट्र, गुजरात जैसे डेरी यदि आप बना दें तीन चार वर्ष की योजना बना कर के अगर यह हो जाय तो सचमुच में माननीय मन्त्री जी को बधाई दूंगा। इन शब्दों के साथ, इसके पहले कि आप लाल बत्ती करें, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में दो एक बातों की ओरा उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन की शाख जम नहीं पायी। हमारी प्राइमरी सोसाइटीज की रूपरेखा के सम्बन्ध में कई बार परिवर्तन किये गये। एक बार गांव सभा के स्तर पर इनका संगठन हुआ और फिर दो तीन सोसाइटीज को मिला कर बायबिल यूनिट बनाने के नाम

[श्री मैनेजर सिंह--]

पर इनका पुनर्गठन किया गया । अबकी बार इनका न्याय पंचायतों के आधार पर गठन किया गया है । मैं अपने यहां देखता हूं कि बहुत सी ऐसी सोसाइटीज जो दूसरे न्याय पंचायत क्षेत्र की हैं उन्हें किसी दूसरे न्याय पंचायत क्षेत्र में विलीन कर दिया गया है और यह अपने पुराने मेम्बरों के साथ दूसरे न्याय पंचायत क्षेत्र में जोड़ दी गयी । जैसे हमारे यहां जमालपुर सोसाइटी थी उसको करमानपुर सोसाइटी में विलीन कर दिया । इस तरह की गड़बड़ियां हैं । जब न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत से सम्बन्धित आबादी के लिए सहकारिता केन्द्र बिन्दु स्थापित करना चाहते हैं तो इन गड़बड़ियों को दूर करना होगा ।

एक और मेरा निवेदन है कि जहां आप सोसाइटीज के आधार पर कोआपरेटिव का महल खड़ा करना चाहते हैं वहीं आपने व्यक्तिगत सदस्य बनाने की बात रखकर गड़बड़ी पैदा कर दी है । जो सहकारिता आन्दोलन को बदनाम करने वाले हैं वह विलीन सोसाइटीज में व्यक्तिगत सदस्य बने हुए हैं । जो चुने हुए लोग आते हैं उन पर यह व्यक्तिगत सदस्य हावी होने की कोशिश करते हैं । यदि इस आन्दोलन को बचाना चाहते हैं और सोसाइटीज को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं तो व्यक्तिगत सदस्यों की प्रथा को समाप्त करना होगा । इनको प्राइमरी सोसाइटीज के सदस्य के रूप में तब्दील कर दें तब इनका कल्याण होगा । इसी के साथ जो प्राइमरी सोसाइटीज हैं उनमें एक ही परिवार के बच्चे, बूढ़े, नाबालिग सदस्य हो जाते हैं और दूसरे लोग सदस्यता से वंचित रहते हैं । यह व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रत्येक परिवार का मुखिया सदस्य हो जाय जिससे कि कोई परिवार अछूता न रहे ।

अब मैं पशुपालन विभाग पर आता हूं । यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है । जनता पार्टी ने कृषि और ग्रामोद्योगों को बढ़ाने की अपनी नीति की घोषणा की है । कृषि और ग्रामोद्योग में पशुधन एक प्रकार से इनकी रीढ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है । इसी पशुधन से खेती चल रही है । उनके गोबर से खाद बनती है और गोबर गैस बनाते हैं जिससे चूल्हा जलता है । इनकी हड्डियों से भी खाद बनती है और चमड़े से चमड़े के उद्योग चलते हैं । पशुधन कृषि तथा ग्रामोद्योग के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह से है, इसमें दो राय नहीं है । आज भी जिस धन की मांग मन्त्री जी कर रहें है, प्रदेश के आकार और आवश्यकतानुसार बहुत कम है । इसलिए मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अगले बजट में ऐसी व्यवस्था कर ली जाय कि पशुधन बजट इससे दूना या तीन गुना हो जाय । पशुओं के संवर्धन का भी कार्य करें । आप देखेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा फार्म नहीं है । केवल एक फार्म आराजी लाइन वाराणसी खोला गया था परन्तु इसका रकबा बहुत कम है और बहुत खराब स्थिति में है। जब माननीय चौधरी चरण सिंह कृषि मन्त्री थे तो उन्होंने बलिया में पशु संवर्धन फार्म खोलने का प्रयास किया था लेकिन कामयाबी नहीं हुई । १९६७ में शासन ने फिर इस बारे में निर्णय लिया था उस साल गंगातीरी नस्ल के फार्म के लिये पूरक बजट में प्राविधान भी रक्खा गया था लेकिन उसको वापस कर दिया गया । १९७३ में जर्सी नस्ल के सांड़ पैदा करने के लिये इब्राहीमाबाद (बलिया) फार्म स्थापित करने का फैसला शासन ने लिया था लेकिन वह भी स्कीम रद्द कर दी गई या कोल्ड स्टोरेज में डाल दी गई है । इसलिये मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो किसानी और पशुधन पर निर्भर करता है वहां पशु संवर्धन की योजना बनावें और इब्राहीमाबाद में फार्म खोलें । श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बलिया, जनपद में कुछ क्षेत्र बिहार से स्थानान्तरित हो कर आया है । चक्की नौरंग मुआल छपरा, नौरंग, भगवानपुर आदि गांव हैं । वहां पर आपका स्टाकमैन सेन्टर तक नहीं है । तो कृपया वहां पर मवेशी अस्पताल बनवायें जिससे जो लोग बिहार से आये हैं उनके पशुओं की रक्षा हो सके । वे लोग कहते हैं कि वे बड़े उत्साह से उत्तर

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १११७ ४३--सहकारिता, अनुदान संख्या ५३--पशुपालन, अनुदान संख्या ५४--दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या ५५--मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ७६--सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय अनुदान संख्या ८३--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम--सहकारिता

प्रदेश में आये थे लेकिन उनकी यहां पर उपेक्षा हो रही है। तो जल्दी से जल्दी वहां अस्पताल खोलें।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं सहकारिता और पशुधन दोनों को मिला कर आप दुग्ध उत्पादन का काम बढ़ावें और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसा कि वाराणसी में चिलिंग प्लान्ट ले रहें हैं वैसा ही बलिया में भी लगावें। बलिया म बछिया और पड़िया को पंजाब से मंगा कर गरीब गाय पालकों को दी जाय और शर्त यह रक्खी जाय कि बछिया बेचेंगे नहीं और दुग्ध सप्लाई करेंगे। आदरणीय मोरार जी ने घोषणा की है कि यह बेरोजगारी, मान्यवर, नौकरी से नहीं मिटेगी। इस प्रकार के कार्यक्रमों से ही गरीबी और बरोजगारी को दूर कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ में पुनः माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे थोड़ा सा समय दिया कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं। मैं सहकारिता मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया। मान्यवर, आज २५ वर्ष बाद, असली मंत्री जो सहकारिता में होना चाहिये था, वह हुआ।

श्री श्याम धर मिश्र--

लेकिन आप भी तो पहले कांग्रेस में रहे और उसकी तारीफ करते रहे लेकिन आज रंग बदल रहे हैं। आपको तो सहकारिता के बारे में कोई शिक्षा ही नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं।

श्री हरी सिंह--

मैं तो आज भी पुरानी कांग्रेस का हूं और गांधी जी का सेवक हूं। हम रंग नहीं बदल रहे। हम तो अपनी जगह पर कायम हैं।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि मैं सहकारिता मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा बजट इस विभाग का प्रस्तुत किया। इस आदरणीय सदन में जिसकी कि हम बहुत दिनों से आशा करते थे। मान्यवर, हम बहुत दिनों से ऐसी आशा करते रहे कि यह विभाग एक सच्चे, विद्वान् और जानकार मंत्री के हाथ में आये ताकि इस विभाग का कल्याण हो, उसमें सुधार हो और जनता में कुछ ऐसी भावना फैले और जैसा कि अभी माननीय मिश्रा जी ने कहा कि सहकारिता के बारे में शिक्षा ही नहीं दी गयी, वह ज्ञान इस प्रदेश में फैले। मैं वैसा कांग्रेसी नहीं था जिनका कि धन्धा हो रहा है अन्याय करना। सन् १९५७ की रिपोर्ट देखें इन सरमायेदारों के बारे में जो गरीबों का खून चूसते रहे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामधर मिश्र—

आप भी तो तब उधर ही बैठते थे।

श्री हरी सिंह—

मैं तो तब भी इधर था और आज भी इधर ही हूं। मैं तो शुरू से ही इधर ही बैठता हूं और आज भी इधर बैठा हूं। मान्यवर, जब कोआपरेटिव का प्रश्न उठा था तो हमारे वर्तमान आदरणीय अध्यक्ष महोदय तब कोआपरेटिव मंत्री थे। उन्होंने कोआपरेटिव बोर्ड में जितने सदस्य थे, उनको चार भागों में बनाकर दूसरे प्रदेशों में जानकारी हासिल करने के लिये भेजा कि वहां सहकारिता आन्दोलन क्यों सफल हो रहा ह और हमारे यहां क्यों नहीं सफल हो रहा इसकी जानकारी हासिल करें। हम लोग जब दूसरे प्रान्तों में पहुंचे तो मालूम हुआ कि हमारे यहां तो केवल सहकारिता का ढोल पीटा जा रहा है और हुआ कुछ नहीं। जैसा कि महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में जिक्र किया ठाकुर साहब ने। सहकारिता का काम देखना है तो जाइये कोल्हापुर और महाराष्ट्र। मान्यवर, हम बराबर कहते रहे कि इस प्रदेश की गरीब जनता को सहकारिता आन्दोलन और सहकारिता विभाग से कोई लाभ नहीं हुआ। जो इस प्रदेश के गरीब लोग ह, जो हरिजन लोग हैं, जिनका रिजर्वेशन नहीं हुआ, इन कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट से कोई लाभ नहीं हुआ।

मान्यवर, पूज्य अम्बेदकर जी ने भारत का संविधान बनाया कि जिनके बनाये संविधान के अनुसार आज सारे सदस्य बैठे हुये हैं। उस महान आत्मा की वाणी के बारे में हमने बार-बार कहा। बार-बार उस चीज की मांग की कि गरीबों के लिये इसमें कुछ व्यवस्था की जाय। लेकिन किसी गरीब आदमी को कर्ज नहीं मिला, कोई इन्डस्ट्री नहीं फैली और कोई कार्य नहीं हुआ। मैंने जाकर देखा दूसरी जगहों पर गरीब आदमियों के द्वारा २०/३० आदमियों की सोसाइटी बनाकर डेरियां खोली गयीं। वे डेरियां उनके लिये बहुत लाभदायक सिद्ध हुयीं। और उन गरीबों की हालत सुधर गयी। लेकिन यहां देखा यह जा रहा है कि हर साल सोसाइटीज में घाटा होता है। योग्य से योग्य अधिकारी होता है उसे यह आशा नहीं होती कि दो-तीन साल के बाद रह पायेगा या नहीं। रोज ट्रान्सफर्स होते हैं जब तक थोड़ी बुद्धि लगाकर कुछ किया तब तक ट्रान्सफर का समय आ गया और हटा दिया गया और दूसरा अयोग्य आदमी ला कर बिठा दिया गया और यह क्रम इस विभाग में चलता रहता ह। इसके अलावा जो पार्टी पावर में आयी उसने रोज चन्दे उगाहने शुरू कर दिये। एक-एक सुपरवाइजर से २०-३० हजार रुपये तक चन्दा उगाहाया गया और उसका वेतन केवल १०० रुपये था। लिहाजा उन्होंने किसान को लुटाई शुरू कर दी। गन्ने का मामला अलग उनको मार रहा है। लाखों रुपये का गन्ना सड़ रहा है और सोसाइटीज की जो मिले हैं उन शुगर मिलों की हालत देख लीजिये आज क्या है। यह सारे कारनामे पिछली कांग्रेसी सरकारों के हैं जिनको जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है और इसे ठीक करने में कुछ समय लगेगा और जनता पार्टी में भी उधर के लोग इधर बैठे हैं और सहकारिता उन्होंने चलने नहीं दी। मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों से वह बचें।

अगर इस प्रदेश में सहकारिता को सफल बनाना है तो गरीबों की तरफ ध्यान दें और सहकारिता द्वारा गरीबों के लिये छोटी-छोटी दस्तकारियां खोली जायं जैसा कि पूज्य बापू जी चाहते थे और उनके द्वारा ही दूकानें चालू की जायं ऐसी दूकानें न हों जैसी आपने खोलीं जिनमें व्यक्तिगत व्यापारी धन कमा रहे हैं और सोसाइटी को दूकानें घाटे में चल रही हैं। इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाय और तभी लाभ हो सकेगा जब सबका सहयोग प्राप्त होगा तथा ईमानदारी

से काम होगा । लेकिन दुख तो इसका है कि इस प्रदेश में ईमानदारी से काम नहीं होता । मुझे आशा है कि इस प्रदेश में उन्नति होगी लेकिन होगा यह तभी जब कि योग्य से योग्य जो आदमी हैं उनको प्रोत्साहन मिले और उनको यह विश्वास हो कि जो कुछ वह करेंगे उनके मार्ग में कोई बाधक न हो तभी वह ईमानदारी तथा योग्यता-पूर्वक कार्य कर सकेंगे । लेकिन होता क्या है ? किसान को पैसा न मिल कर सुपरवाइजर जिनको चाहता दे देता है जिससे सोसाइटीज की आज बुरी हालत है । जितना गन्दा विभाग यह है उत्तर प्रदेश में शायद ही उतना गन्दा कोई दूसरा विभाग होगा । इसमें सुधार किया जाय ।

मैं पशुपालन विभाग की बात भी बतलाना चाहता हूं । उसमें अगर उन्नति करनी है तो गांव समाज या ब्लाकवाइज हर गांव में गरीब आदमियों की डेरी खोली जाय । उनको गाय भैंसें दी जायं, दवा दारू का प्रबन्ध किया जाय ताकि वह अपने व्यापार में उन्नति कर सके और सहकारिता की प्रतिष्ठा कायम रहे । लेकिन होता यह है कि उनके नाम से रुपया लेकर रुपया खा लिया जाता है, गरीबों को पैसा नहीं मिल पाता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जो दुग्ध डेरीज खोली जायं, सब में घाटा हो रहा है लिहाजा बोर्ड बनाइये और कुछ अधिकारियों को दूसरे प्रान्त में भेजिये ताकि उनको ज्ञान हो कि डेरीज कैसे चलती हैं और सहकारिता को कैसे सफल बनाया जाता है । इसमें गरीब तथा पिछड़े वर्ग के लिये ज्यादा से ज्यादा सीटें सुरक्षित की जायं । यदि ऐसा नहीं हुआ तो मंत्री जी से जो आशा है वह पूरी नहीं हो सकेगी । इस पर वह शीघ्रातिशीघ्र अमल करेंगे और गरीबों में ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करेंगे । और अगर सहकारिता द्वारा प्रदेश को शिक्षा नहीं मिली तो हमारा सहकारिता आन्दोलन सफल नहीं हो सकता है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इसमें दो रायें नहीं हैं कि इस सहकारिता विभाग और सहकारिता आन्दोलन की इस उद्देश्य से रचना की गई थी कि यह आन्दोलन निष्पक्ष होगा और राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर इसको चलाया जायेगा और गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये इस प्रदेश के पिछड़े हुये जन-साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में काम किया जायेगा । लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है । हमारे बहुत से पक्ष और विपक्ष के साथियों ने बड़ी लम्बी और जोरदार बातें इस बारे में कहीं हैं और वह स्वाभाविक भी है लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास म यह उसका दुर्भाग्य ही रहा है कि सहकारिता आन्दोलन के नाम पर बहुत बड़ी लूट मार विगत ३० सालों में की गई है । यहां पर एक दल के लोगों का आधिपत्य था । गांवों की झोपड़ियों में रहने वाले किसान और खेत में काम करने वाले किसान को इस सहकारिता आन्दोलन में भागीदार नहीं बनाया गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित---]

माननीय मंत्री जी ने यहां सदन में घोषणा की है कि जो फर्जी लोगों के नाम पैसे दिखाये गये हैं, उनको जो कर्जा दिया गया है उसकी जांच हेतु हमने सत्यापन करवाया है । हम आपकी नीयत पर शंका नहीं कर सकते है और न हिन्दुस्तान के उन मित्रों पर शंका करते हैं जिन्होंने १८ महीने तक लोकतन्त्र की रक्षा हेतु योगदान किया है । अगर इसमें कुछ कमियां रहीं हैं तो आपके जो ए० डी० ओ० और उप निबन्धक ह उनकी वजह से रही हैं । हम नये हैं और अधिकारी वही हैं । एक नयी व्यवस्था लाने के लिये हम यहां पर बैठे हुये हैं । इसलिये इन अधिकारियों पर भी आप अंकुश लगायें जिन्होंने फर्जी लोगों के नाम लिखे हैं और लूट की है । हर जिले में हर स्तर पर एक ब्रह्म जाल फैलाया गया है । यह इन अधिकारियों द्वारा हुआ है । इसलिये इनसे आप जरूर बचें । आज स्थिति यह है कि सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत गांवों में जो साधन सहकारी समितियां बनी हुई हैं उनमें एक ही परिवार के लोग कब्जा किये हुये हैं । मैं यह बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि इन समितियों में एक व्यक्ति का एक ही खानदान का आधिपत्य है, जो नहीं रहना चाहिए । इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए । इसकी आप जांच करायें । मैं कहता हूं कि वे इस प्रदेश और देश के हितैषी नहीं हैं जो जातिवाद और एक ही खानदान पर विश्वास करके किसी आन्दोलन पर कब्जा कर लेते हैं । किसी भी आन्दोलन को चलाने के लिये कर्मठ और सही व्यक्तियों की जरूरत होती है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि गांव-गांव में, जिलों-जिलों में इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाय और लोगों को तैयार किया जाय ।

श्रीमन्, अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि हम फर्जी वकालत नहीं करना चाहते हैं । जो सही बात हो, उसे हम जरूर कहेंगे । मंत्री जी बहुत नेक है, बहुत ईमानदार हैं ऐसा कहना कोई भाषण है । यहां पर तो रीति और नीति का वक्तव्य होना चाहिये जिससे दिशा मिले । श्रीमन्, मैं आपको बाराबंकी सहकारी बैंक के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर बहुत धांधली है । उसमें एक विशेष वर्ग के लोगों का कब्जा है । उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये । उसमें कुनबा के लोगों को ही रखा गया है । मेरा निवेदन ह कि जो विधान सभा के सदस्य हैं या कोआपरेटिव बक के जो डाइरेक्टर हैं उनको ही बकाये की वसूली की जाय जो वसूली नहीं हुई है तो काफी बड़ी रकम हो जायेगी । मेरे प्रतिपक्ष में एक निर्दलीय सदस्य हैं जो न कांग्रेस के हैं और न सत्ता पार्टी के उनके क्षेत्र में, श्री बजबल्लभ जी के क्षेत्र में फर्जी काम करने की शिकायतें हैं, वहां के उपनिबन्धक के खिलाफ गम्भीर आरोप हैं । ६ विधायकों का एक शिष्ट मंडल मंत्री जी से मिल भी चुका है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

अब मैं दुग्धशाला के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । हमारे प्रतिपक्ष के माननीय श्यामधर मिश्र जी ने कहा कि इसमें १० लाख का घोटाला हो रहा है । मान्यवर, लखनऊ मिल्क यूनियन का सम्बन्ध बाराबंकी से भी है । इसके सम्बन्ध में एफ० आई० आर० भी लाज हुआ । कुछ अधिकारी और कर्मचारी उसमें शामिल थे । लेकिन कुछ लोग जमानत पर छूट गये । कुछ लोग आज भी बैठे हुए हैं । उनके खिलाफ भी कार्यवाही अवश्य होनी चाहिये । हमारे जिले के छोटे-छोटे किसानों का रुपया उसमें लगा हुआ है । हमारे यहां के लोग भी उसके प्रतिनिधि हैं। मुझे दो मिनट और दे दें । इस मिल्क यूनियन में भ्रष्टाचार के गम्भीर मामले हैं । इस तरह का धन्धा करने वालों को रोका जाय और उसकी जांच कराई जाय ।

उसमें जो भी दोषी हो चाहे वह कितना बड़ा क्यों न हो उसको सजा मिलनी चाहिये । अगर आप सहकारिता विभाग से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो एक मजबूत और सशक्त समिति बनायें जो उसमें दोषी पाये जायं उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिये ।

श्रीमन्, अब मैं भूमि विकास बैंक के बारे में बताना चाहता हूं । यह ठीक है कि आज भूमि विकास बैंक से ट्यूबवेल लगाने के लिए, इंजन खरीदने के लिए रुपया दिया जाता है । लेकिन जैसा कि हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि उनको अपनी मर्जी के मुताबिक इंजन खरीदने का अधिकार नहीं है । जब वह अपनी जमीन को गिरवी रखता है तो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक इंजन खरीदने का अवसर देना चाहिये ।

श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

*श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

अधिष्ठाता महोदय, कई बार के प्रयास के बाद मौका मिला, उसके लिए आपका आभारी हूं । मान्यवर, कोआपरेटिव के ऊपर होने वाले खर्च के सम्बन्ध में मत्स्य पालन, डेरी विकास आदि के बारे में जो अनुदान हमारे मंत्री जी ने मांगा है, मैं उसका समर्थन करता हूं, यह उन्होंने और ज्यादा मांगा होता, खासकर डेरी विकास पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए तो और ज्यादा अच्छा होता । गांवों में खुशहाली लानी है तो वहां पर--कैपिटा इंकम बढ़ाने के लिए, देहात में लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, सुअर पालन, बकरी पालन व मुर्गी पालन आदि की ओर आपका ध्यान जाए । कोआपरेटिव के द्वारा ज्यादा से ज्यादा उदार होकर अनुदान दिया जाए, तो उनका बहुत कल्याण हो सकता है । पिछली सरकार ने बहुत से पोखर बनवाए थे, उन पर अनुदान दिया था, उन्हें गहरा भी किया गया था, लेकिन उसके पूर्ण करने का काम अभी तक नहीं किया गया है । इसके लिए गांव समाज के पोखरों को खोदवाने के लिए आप स्पेशल पैसे का इंतजाम करें और उसमें मत्स्य पालन का इंतजाम होना चाहिए । इसकी वजह से कई गांवों के लोग सम्पन्न हो गये हैं और वहां के निवासियों की आमदनी इससे बढ़ गई है । मछली का बीज डालने के बाद से लोगों ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है । मेरा निवेदन है कि आप मत्स्य-पालन केन्द्र हर रीजन में अवश्य खोल दें । बदायूं और जौनपुर में खोला है, गोरखपुर में भी अवश्य उसकी आप स्थापना करें, जिससे अच्छे किस्म के मछली के बीज पूर्वांचल में लोगों को उपलब्ध हो सकें ।

आप विभाग के आडिट सेल को मजबूत बनावें । आपने गड़बड़ियों और घोटालों का सत्यापन तो कराया है, लेकिन वास्तव में गरीबों को राहत पहुंचाने का आपका जो उद्देश्य था, वह पूरा नहीं हो पाया । मुश्किल से २० फीसदी लोगों को राहत पहुंची है । जहां आपके ए० आर० और ए० डी० ओ० स्थापन करने जाते हैं, हमको उम्मीद नहीं है कि यह कार्य आप सफलतापूर्वक पूरा कर पायेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम नरेश पाण्डेय---]

अब जो नये लोग चुने गये हैं, इन नये लोगों की मदद से आप इस कार्य को पूरा करवायें और इस अधूरे कार्य को पूरा करवायें, जिससे लोगों का सहकारिता आन्दोलन की ओर रूझान बढ़े। अब तक की स्थिति के कारण इसके प्रति उनके मन में नफरत पैदा हो गई थी, इसके द्वारा इसे आप दूर करने पर ध्यान दीजिए। ए० आर० और ए० डी० ओ० की सहायता के लिए लोकल लोगों की मदद ली जाए और नये चुने लोगों की मदद ली जाए।

मेरा एक सुझाव है पूरे उत्तर प्रदेश में जो आडिट सेल है, उसमें आपका जो चीफ आडीटर होता है, वह आई० ए० एस० कैटेगरी का हो और ब्लाकों में एक सीनियर आडीटर रखें और उनकी सहायता के लिए दो जूनियर आडिटर हों, तथा वे स्थायी रूप से वहां पर नियुक्त रहें, ताकि वे मुस्तैदी से दृढ़ होकर आडिट के काम को मन लगा कर किया करें, जिससे होने वाले रुपयों के घपले को रोका जा सके। आडिट कार्य को टेक्निकल कार्य माना जाए, जब तक आप उनकी सुख-सुविधा पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक ठीक से काम करने की उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी।

अब मैं पशु प्रजनन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आर्टिफीशियल इन्सेमिनेशन सेन्टर ब्लाकों में जैसे पहले थे जिनको बाद में बन्द कर दिया गया, वैसे ही वे ब्लाकों में काम किया करें। इससे इन्सेमिनेशन के कार्य में गिरावट आ गई है। बीज ले जाने वाले जो चौकीदार आदि लोग थे, उनको आपने साधन नहीं दिए, इससे आपका अच्छी नस्ल के पशु पैदा करने का कार्य रुक गया है। मान्यवर, पशु प्रजनन का ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उसको मजबूत करना है तो अच्छे किस्म की नस्ल पैदा करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की आप अच्छी तरह से व्यवस्था करें। इस हेतु रेफरीजरेटर जब तक आप हर ब्लाक में नहीं देंगे, तब तक कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था आप ठीक से नहीं कर सकेंगे।

मान्यवर, एक बात और है। जहां तक दूध और डेरी का सवाल है जहां-जहां आपने कोआपरेटिव की डेरी खोली है, उनमें बहुत ज्यादा घाटा उठाना पड़ रहा है। इस तरह का जो आप घाटे का रोजगार करते हैं, उसमें देखने की आवश्यकता है कि कौन सी गलतियां पूर्व से चली आ रही हैं, जिनके कारण हमारा पैसा बरबाद होता है और चन्द लोग फायदा उठाते हैं। जब तक प्रशासन चुस्त नहीं करेंगे, करप्शन को दूर करने के लिए बुनियादी ढंग से सफाई का काम नहीं करेंगे तब तक डेरी में लगातार घाटा होता जायगा। नतीजा यह होगा कि जन मानस को राहत नहीं मिलेगी। इसलिए गांव के अन्दर दूध पैदा करने वाले लोगों को अच्छे नस्ल के पशुओं को फैलाने के लिए उन्मुक्त सहायता कीजिये।

सामान्य बजट को पेश करते हुए दिये साहब ने कहा था कि पिछड़ी जाति वालों, सीमांत और लघु कृषक, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, को पशु खरीदने के लिए शासन की ओर से पैसा दिया जायगा, दूध की डेरी के बदले उनके विकास की ओर ध्यान देना चाहते हैं। आप उनकी आर्थिक समुन्नति के लिए पैसा दें और अच्छे नस्ल के पशु खरीदने का अवसर दें।

जहां तक मछलियों के फैलाने का सवाल है, मछली एक पौष्टिक आहार है। इसकी जितनी उपेक्षा की गई है उतनी किसी चीज की नहीं हुई है। एक गांव सभा की मछली पालन से लोगों को काफी आमदनी हुई थी। मेरे क्षेत्र में एक केदारनाथ का १५-२० एकड़ का पोखरा है। यह ऐतिहसिक पोखरा है। उसको चौड़ा किया जाय और उस जिले को मत्स्य पालन का केन्द्र बनाया जाय। हमारे क्षेत्र में चन्दरौटा गांव में २०-२५ पोखरियां हैं अगर उसको मत्स्य पालन का केन्द्र बना दें तो वहां का आर्थिक जीवन काफी समुन्नत हो सकता है। गांव सभाओं के पोखरों को जो पांच---सात साल के लिए नीलाम करते हैं उससे मत्स्य पालन में सहायता मिलेगी। लेकिन उनमें नई मछलियां न डालने से, पुरानी मछलियों का वे अड्डा बन गये हैं। इसलिए उनके लिए नये बीज का इन्तजाम कीजिये। जब तक ऐसा नहीं करेंगे कृषकों में खुशहाली नहीं आयेगी।

बड़ा अच्छा किया जो आपने सत्यापन कराया लेकिन उससे असन्तोष इस लिए है कि सत्यापन का अच्छा नतीजा नहीं निकला। गरीबों के नाम से फर्जी कर्जे की वसूली आज भी की जा रही है। परसों दो तीन आदमी कह रहे थे कि उनके क्षेत्र में सत्यापन नहीं हुआ है। ज्यादा प्रभावशाली ढंग से गांव के लोगों की राय से सत्यापन कराये कि वास्तव में जिनके नाम कर्जा लिखा है उसने कर्जा लिया है या नहीं। अगर गलत है तो उसको माफ करना चाहिये। दूसरे, जो कर्जा लेता है, पहले साल उस पर १० प्रतिशत, दूसरे साल १२ प्रतिशत और तीसरे साल १४ प्रतिशत व्याज लेते हैं। देवरिया के ए० आर० से कहिए कि वह दौरा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाये। माननीय मन्त्री जी ने जो इस तरह का क्रान्तिकारी बजट पेश किया है और जिस दिशा की ओर वह जा रहे हैं वह निश्चित रूप से स्तुत्य है।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं। जो यह बजट आया है मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती का मैं घोर विरोध करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि एक तरफ देश की बात करते हैं और जो अनुदान हम लोग पेश कर रहे हैं उसमें कटौती कर रहे हैं। यही नहीं जब तक यह लोग सरकार में रहे उसका कूड़ा बटोरने में दस महीने में पूरा कमरा साफ भी नहीं कर पाये। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जब तक देश और प्रदेश में क्लास वन के लोग इस तरीके की हरकत जो कर रहे हैं, जब तक नहीं छोड़ेंगे कोई भी गवर्नमेंट आवे जनतन्त्र देश में कायम नहीं रहेगा। मैं इस बात को साबित कर देना चाहता हूं। हम गांव की ओर जाने का नारा दे रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं। खोया उद्योग में आता है। पिछले साल खोये को खोल रखा था। मैं साफ-साफ कह देना चाहता हूं कि मन्त्री जी को नहीं मालूम है कि खोया कौन बनाता है। खोया उन गांवों में बनाया जाता है जहां का दूध शहर में नहीं आ पाता है। कुछ दिन पहले किसी ने अखबार में दे दिया कि खोया बनने से दूध मंहगा हो गया है, क्योंकि दूध शहर में नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मान सिंह आजाद---]

आता है। इसमें २५ हजार रुपया अधिकारियों ने खाया है। जहां से दूध शहर म नहीं आ पाता है वहां के लोग खोया बनाते हैं और उसको सिर पर लाद कर या रेल पर रख कर शहर में आते हैं। मैं कहता हूं कि इसी जनता ने अंग्रेजों की जालिम सरकार को यहां से हटा दिया और कांग्रेस की जालिम सहकार को हटा दिया तो यह अधिकारी जो हैं उनको भी जनता उखाड़ फेकेगी और हम उस जनता के साथ होंगे और इनके खिलाफ बगावत करेंगे। खोये की छूट दी जाय।

जब हम वोट मांगने जाते थे तो हमने कहा था कि हम जनता को राहत देंगे, लेकिन जनता को राहत नहीं मिल रही है। औद्योगीकरण की बात कही जाती है और गांव की ओर चलने की बात कही जाती है। उन अधिकारियों को लज्जा आनी चाहिये जो इस तरह की हरकत करते हैं। वह अपनी हरकत को छोड़ दें। आज शहर में जाति पांति के आधार पर बड़े-बड़े अधिकारी इस लखनऊ में मौजूद हैं उनको भी जिलों में भेजें और उनका तबादला करें। मेरे जिला लखनऊ में सरोजनीनगर क्षेत्र है जहां पर बिजली वाले मिल मालिकों को किसानों की बिजली की कटौती करके देते हैं। गांवों में किसान अपनी फसल की मड़ाई के लिए थ्रेशर लगाये हुए है लेकिन उसको बिजली नहीं मिलती है, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। बिजली की कटौती होने से आम की फसल, खरबूजे की फसल और जो मड़ाई का काम है वह चौपट हो रहा है।

हमारे क्षेत्र में मलिहाबाद में एक थानेदार है, वहां पर एक सड़क बन रही थी उसने हिन्दू मुसलमान का झगड़ा खड़ा कर दिया और उस सड़क को रोक दिया। यहां पर कभी भी हिन्दू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ। और वह सड़क अधूरी पड़ी हुई है। मैंने ए० पी० और डी० एम० से कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह थानेदार अपने को एस० एस० पी० का पेशकार कहता है और उस क्षेत्र में लूट कर रहा है। मैंने जिलाधीश से कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कापी नहीं आई है। सारे जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वह सुनते नहीं हैं और अपनी मनमानी करते हैं। आज शांति को भंग ये ही लोग करते हैं। कुछ दिन पूर्व ये लोग मुसलमानों और हरिजनों की बात करते थे लेकिन आज ये लोग चौराहों पर और गलियों म हिंसा करने पर उतारू रहते हैं। हिंसा वे कर रहे हैं। इन्होंने इसी हाउस में गार्ड्स को मारा और महामहिम राज्यपाल के ऊपर कागज फेंक कर मारे और शहर में जीप जलाई। हमारे जिलाधीश इसी लखनऊ में....

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया अपने को इन मदों तक ही सीमित रखिए, विषयान्तर न करिये।

श्री मान सिंह आजाद---

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी जनता पार्टी ने १० साल का समय मांगा है, जनता से। जो चुनाव कार्यक्रम हमने घोषित किए थे अगर उनके अनुसार हम कार्य पूरा नहीं करेंगे तो हम इस गद्दी को छोड़ देंगे। हम वे लोग नहीं है कि गद्दी के लिए हजारों, लाखों बेगुनाहों को जेल में भर दें

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान ११२५ संख्या ४३—सहकारिता, अनुदान संख्या ५३--पशुपालन, अनुदान संख्या ५४--दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या--५५ मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ७६--सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत व्यय, अनुदान संख्या ८३--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम--सहकारिता

और हजारों बहनों की मांगों के सिन्दूर को मिटा दें, हजारों माताओं की गोद को सूना कर दिया है ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत मांगों का हृदय से समर्थन करता हूं ।

*श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता जैसी जनता उपयोगी संस्थान पर अपने सुझाव देने का अवसर प्रदान किया ।

मान्यवर, हमारे देश में एक अमृत वर्षा जैसी संस्था यह खोली गई है । हमें याद है कि हमारे देश के स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कोआपरेटिव संस्था कायम करके मजदूरों की और गरीबों की बातों को सोचा था और उन्होंने इसको काफी प्रेरणा भी दी और इसने अतीत वर्षों में, गत वर्षों में जोरदार प्रगति की । प्रमाण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मैं जौनपुर में वहां के बैंक का डायरेक्टर रहा हूं । मैं वहां पर हर बार चुना जाता था । ३ हजार रुपये से यह जिले में कोआपरेटिव बैंक खोला गया था । आज करीब-करीब २ करोड़ रुपये की इसकी पूंजी हो गई है और ६-१० शाखायें भी इसकी खुली हुयी हैं । मैं इस बात को मानता हूं कि सहकारिता विभाग ही नहीं जितने भी अन्य विभाग हैं, सबमें भ्रष्टाचार व्याप्त है । मैं यह भी मानने को तैयार नहीं हूं कि अतीत वर्षों में इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ । लेकिन यह सत्य है कि इस संस्था से गांव के जन-जन को, किसानों और मजदूरों को इससे फायदा हुआ है । लेकिन कुछ अप्रिय तत्व इस विभाग में घुस गये जिन्होंने अपने-अपने हितों के लिए फायदा उठाया ।

(इस समय ३ बजकर ३१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

प्रदेश में, जो माननीय लक्ष्मी शंकर जी इस विभाग में मन्त्री थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है । उन्होंने ही इसमें चेक पद्धति का सिस्टम डाला । उससे भी कुछ हद तक भ्रष्टाचार दूर हुआ था । हमारे वैद्य जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसकी घोर प्रशंसा करता हूं जिस तरह से कि उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, अनुभव से पूर्ण बातें कही है । मैं वर्तमान सरकार तथा वर्तमान मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विभाग में सेवा का कार्य करें तो काश्तकार की बहुत उन्नति हो सकेगी । आपने जो कदम उठाया है वह किताबी उठाया है, वह सफल नहीं हो सकता । उसको प्रत्यक्ष करने के लिए जो किताब में लिखा हुआ है कुछ व्यवहारिक काम करना होगा । लेकिन वह कुछ दिखाई नहीं देता । मैं बताऊं कि ऋण योजना में जो सूद ले रहे हैं तो उसकी दर को कम किया जाय । क्योंकि उससे किसान परेशान होता है, इस तरह से तो आप सहकारी संस्थान को डुबा देंगे ।

सहकारिता में जो नयी बात आपने रखी है वह आपका न्याय पंचायत स्तर पर कोआपरेटिव बनने का इरादा है, लेकिन मैं आपसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम कृष्ण---]

कहना चाहता हूं कि छोटी-छोटी इकाइयों को बरकरार रखा जाय। कुछ लोग कह सकते हैं कि बरकरार न रखा जाय, कुछ कहेंगे कि रखा जाय। लेकिन जो ग्रामीण जनता है उससे पता लगावें तो वह आपके इस नियम से उदासीन हो रही है। गांव की जो पहले कोआपरेटिव सोसाइटीज थीं उनको आप न्याय पंचायत स्तर की कर रहे हैं। लोगों को डर है कि धीरे-धीरे आप उनको ब्लाक स्तर की ओर फिर वह जिले पर सिमिट जायगी और उस कानून कायदे से अगर चलेंगे तो इस आन्दोलन को आप कुंठित करेंगे।

आज गांव की समितियों की जो व्यवस्था है जबरदस्ती हमारे यहां की तीन गांव की समितियों को आपन डिवीजनल आफिस, वाराणसी को लिख कर आप एक कर रहे हैं। जनता उसके विरोध में है। इससे कोआपरेटिव आन्दोलन को आप बदनाम कर रहे हैं और लोगों में यह धारणा हो रही है कि यह जबरदस्ती से यह कार्य करना उचित नहीं है और उससे जनता का हित होने वाला नहीं है। इस आन्दोलन में जोर जबरदस्ती नहीं चलानी चाहिए। यह कोई सरकारी संस्थान नहीं है, यह तो अर्द्ध-शासकीय संस्था, जनता की प्यारी संस्था मालूम होनी चाहिए। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो इसका विकृत स्वरूप हो जायगा, यह नष्ट हो जायगी, उसको आप हमारे देश और प्रान्तों के प्राणियों की स्वांसो में नहीं देख सकते हैं। तो न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लाक स्तर पर सुपरवाइजर, सचिव रखना, ए० डी० ओ० आदि रखने से इसका वास्तविक स्वरूप नष्ट हो जायगा। इसलिए जिसे विकेन्द्रीयकरण कहते हैं उसको बरकरार रखें।

एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं। पहले हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उसके बाद जनता के गुस्से का फायदा उठाने वाली जनता सरकार बनी, पर जिस तरह से हर पोर्टफोलियों में उन्नति के बजाय कुंठी उत्पन्न हो रही है उसी तरह से कोआपरेटिव विभाग में भी मैंने देखा कि निश्चत ही कुंठा होती चली जा रही है। इस सदन में उन्हीं लोगों में बैठने का अधिकार प्राप्त किया है जिन्होंने देश और प्रदेश की बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल करने का बीड़ा उठाया है। मगर आपने सरकार बनाई है वह बहुमत के आधार पर यदि आप चलाना चाहते हैं तो बहुमत से आप भले ही कुछ पास कर ल लेकिन मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि १० करोड़ जनता प्रदेश की आपके प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप जो भी विधान बनावें, जो भी संशोधन करें उसमें उचित अनुचित का विचार करके करें। इस सरकार की हुकूमत के मद में आकर ऐसा गलत कदम न उठाना चाहिय कि जिस हमारे देश की प्रगति की भूरि-भूरि प्रशंसा बाहर के देश भी कर रहे थे कि ३० साल में भारत ने कितनी भारी प्रगति की है, हर दिशा में उन्नति की तो आप एसा कदम न उठावें कि जिससे उन पिछली सारी योजनाओं को ठप करके, क्योंकि वे कांग्रेस सरकार ने चलायी थीं और आप जनता पार्टी की सरकार अब प्रदेश को समृद्धशाली बनाने जा रही है तो उन प्रगतिशील कदमों को रोक करके आप कुंठित करने का प्रयास करें। इसे देश और प्रदेश की जनता बरदाश्त नहीं करेगी।

इन शब्दों से जो हमारे देश के श्रेष्ठ और समझदार नेता ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, श्री वैद्य जो ने उसका मैं समर्थन करता हूं और आपने जो रखा है उसका मैं विरोध करता हूं।

संख्या ४३--सहकारिता, अनुदान संख्या ५३--पशुपालन, अनुदान संख्या ५४--दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या ५५--मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ७६--सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ८३--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम--सहकारिता

*श्री हरगोविन्द सिंह (जिला मुरादाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सहकारिता मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत सहकारिता बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और उसके पक्ष में कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगा। माननीय मन्त्री जी ने ब्याज की दर कम करने तथा सत्यापन कराने की जो घोषणा की है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। बहुत पुराने समय से सचिव लोग आजाद थे और उनके काले कारनामों के कारण देहात का किसान परेशान था। जिसने कभी कर्जा लिया ही नहीं उसके नाम से कर्जा बराबर बढ़ता चला जा रहा था। आज सत्यापन होने के कारण गांव-गांव में खलबली मच गई है। १०-१० साल पुराने कर्जे ऐसे निकल रहे हैं जिन्हें किसान ने लिया ही नहीं है। मेरे क्षेत्र के ही ३०-३० किसान मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमने कभी कर्जा लिया ही नहीं और हमसे वसूल किया जा रहा है। हमने तो १० रुपये केवल एक बार अपने हिस्से के दिये थे। उसके बाद कर्जा लिया ही नहीं। मगर उनके नाम से कर्जा चढ़ा है। कुछ ने बताया कि उन्होंने सचिव को कर्जे का रुपया दे दिया मगर सचिव ने रसीद नहीं दी। तो इस तरह के तमाम घपले हैं। सत्यापन से आज वे सामने आ रहे हैं।

प्रत्येक गांव में एक-एक सचिव ने हजारों रुपयों का गोलमाल कर रखा है। जिसने कर्जा नहीं लिया है और सचिव ने गलत चढ़ा रखा है उसकी वसूली किसान से नहीं होना चाहिये। इसके अलावा सचिव बहुत छोटो तन्ख्वाह का आदमी होती है, उसको आपने जो इतने अधिकार दे रखे हैं वे नहीं दिये जाने चाहिये। अपने असीमित अधिकारों के कारण सचिव किसानों को परेशान करता है।

इसके अलावा सचिवों द्वारा दूध की भी खरीदारी की जाती है। मेरठ आदि में इनकी सोसाइटियां हैं। यह सचिव लोग २-३ हजार रुपये लेकर भाग जाते हैं और कहीं अपनी दूकान खोल लेते हैं। इसलिए इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

माननीय, सहकारिता और खादी आश्रम, जिसको कि कभी गांधी आश्रम के नाम से पुकारा जाता था, यह जनता की सेवा और लाभ के लिये बने थे। मगर आज इनमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनको देखिये तो पता चलता है कि वे कितने मालदार आदमी हैं। उनकी हैसियत कई गुना बढ़ गई है। गांधी आश्रम में चले जाइये, हर कर्मचारी के कपड़ों पर टिनोपाल की चमक मिलेगी, जब कि उनमें काम करने वाले, चर्खे से सूत आदि कातने वाले कर्मचारियों की दशा को देखेंगे तो पायेंगे कि उनके कपड़ों में आज भी हजारपेबन्द लगे हैं। एक ओर क्लर्कों की सम्पति का ठिकाना नहीं है, दूसरी ओर इन गरीब मजदूरों की दशा अत्यन्त दयनीय है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हर गोविन्द सिंह—]

भूमि विकास बैंक के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा आज इनके द्वारा नीलामी की लिस्ट में किसानों का नाम चढ़ जाता है। किसानों को इनसे प्रोत्साहन मिलने के बजाय उनका अपमान और अहित हो रहा है। इसको चाहिये कि खेती को एक उद्योग मान कर किसानों के साथ हमदर्दी करें। हमदर्दी का व्यवहार करें। जब ऐसा होगा तभी हमारा प्रदेश उन्नति कर सकता है। किसानों के खेत और जमीन जब नीलाम होती है तो देख कर बड़ी लज्जा आती है। छोटे-छोटे किसानों का नाम नीलामी लिस्ट में चढ़ा रहता है।

इंजिन देने की जो प्रथा है उसमें भी बड़ा घपला है। जो इंजिन १,९०० रुपये का बाजार में मिलता है, वही मैसी और अजन्ता के नाम से सहकारिता विभाग द्वारा चार और साढ़े ४ हजार रुपये में दिया जाता है। लेकिन पता नहीं चल पाता कि विभाग क्यों इतना कानों में तेल डाले हुए है। अभी सहकारी संस्थागत सेवा मंडल में भूमि विकास के कुछ एकाउन्टेंट का चुनाव हुआ, वहां पर अध्यक्ष ने एक उसमें बैठने वाले प्रत्याशी से पूछा कि भई यह जो इंजन खरीदा जाता है गांवों में, इनकी कीमत तो २५०० रुपये होती है, यह जो ३५०० रुपये में दिया जाता है, यह एक हजार रुपये का बटवारा किस तरह से होता है। वह लड़का चूंकि उसमें काम करता था, उसने कहा कि साहब ऐसा तो नहीं होता। लेकिन वह लौट कर बता रहा था कि होता तो है ही और इसको वे भी जानते हैं, जो सेलेक्शन में बैठे हुए थे। तो मेरा निवेदन है कि आप उस चीज को नहीं पकड़ सके।

अगला पशुपालन का विषय है। खेती के साथ पशु का बहुत लगाव है। अगर किसी के पशु अच्छे होंगे, तो उसकी खेती आटोमेटिकली बढ़िया होगी। उसकी खेती स्वतः उठेगी। लेकिन हमारे यहां पशुओं की जो स्थिति है, वह दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। मैं एक और अगली बात बताऊं, कि पहले जो गांवों में सांड होते थे, उनसे गाय भैंसे गाभिन होत थीं और जो यह कृत्रिम गर्भाधान है, जो सीमन से गाय-भैंसे गाभिन की जाती है, वह उससे ठंडी हो जाती है और इस कृत्रिम गर्भाधान से किसानों में एक निराशा पैदा होती जा रही है। मेरा सुझाव है कि अगर पशुधन को जिन्दा रखना है, तो जो कर्मचारी इस विभाग में काम करते हैं उनके द्वारा इस प्रकार का शोध कार्य कराया जाय कि जिससे गाय-भैंस जो हैं, वे सालाना बियाया करें इससे देश के अन्दर खुशहाली पैदा होगी। घर-घर, लोगों के यहां दूध मिलने लगेगा और वे किसान लोग अपनी खेती के साथ-साथ दूध बेचने का काम भी करने लगेंगे। यह एक साइड बिजनेस का काम करेगा। इससे किसान ऋण मुक्त रहेंगे और उनका काम आसानी से चलता रहेगा। आप ऐसा कोई शोध कार्य करें कि जिससे हमारी गायें और भैंसे हर साल गाभिन हुआ करें और अच्छी नस्ल के सांड़ों से उनको गाभिन कराने के लिए व्यवस्था करें जिससे इन पशुओं की नस्ल में सुधार आवे।

डेरी का प्रसार एक साइड बिजनेस है। अगर खेती के साथ किसी किसान की चार भैंसे दूध देने वाली हैं, तो उसका विकास हो जाता है। उससे एक ऐसा साइड बिजनेस हो जाता है कि रोजाना उसके पास एक रकम सी आने लगती है। उसके बच्चों के लिए फीस का पैसा कपड़े का पैसा, दूध से निकलने लगता है। दूध की कीमत जो है यह बहुत कम है, जो हमारे विभाग के डेरी वाले दूध खरीदते हैं, उसका रेट बहुत कम है, जो दूध की कीमत और जो छोने की कीमत है, उसमें बहुत फर्क है, मुझे बहुत दुख होता है कि १.४० रुपये सेर दूध की

कीमत है और ८० पैसे उसको ले जाने और शुद्ध करने में लगता है। इस बारे में विचार किया जाय। यह बहुत जरूरी बात है। इस पर विचार किया जाय।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मान्यवर, मैं सहकारिता मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने कटौती का प्रस्ताव रखने वाले धर्मदत्त वैद्य जी को सुना। मैं उम्मीद करता था कि वह इतने अनुभवी व्यक्ति हैं इस सहकारिता आन्दोलन पर अच्छा सुझाव देंगे। उनके द्वारा जो आलोचनाएं की गयीं, उनको मैंने सुना। उन्होंने सहकारिता के पुनर्गठन की आलोचना की। शायद माननीय वैद्य जी भूल गये कि उनकी सरकार द्वारा बार्यबिल सोसायटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और समितियों के पुनर्गठन का काम उन्होंने शुरू किया है।

आज जब हमारे माननीय सहकारिता मन्त्री ने सहकारी समितियों के पुनर्गठन की योजना बनायी है तो वह उसकी निंदा करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि हर गांव में एक सहकारी समिति होनी चाहिये उसके पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं। पंचायत स्तर पर जो पुनर्गठन किया जा रहा है यह उन्होंने उचित नहीं बतलाया। मैं उन्हें याद दिला दूं कि इसके पूर्व जो समितियां थीं उनमें क्या होता था ? उस पर दृष्टिपात करें कि उस समय गांवों के असरदार लोग कितने ही फर्जी ऋण दिखाकर रुपये का दुरुपयोग करके सहकारी आंदोलन को बदनाम कर रहे थे। पिछली कांग्रेसी सरकार ने सहकारिता आंदोलन को बदनाम करने का जितना बड़ा काम किया है यह भी एक इतिहास होगा इस आंदोलन के सिलसिले में। मैं समझता हूं कि वर्तमान कामों की प्रसंशा करें, केवल निंदा के शब्द जो उनके मुंह से सुनाई देते हैं वह अच्छी बात नहीं है।

माननीय, जब कोआपरेटिव मिनिस्टर थे तो उनके जमाने में जो सुधार हुआ उनकी प्रसंशा कर देते तो बड़ी बात होती। मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं। यह मैं स्वीकार करता हूं, जैसा वैद्य जी ने कहा कि दक्षिण भारत के सहकारी आंदोलन को देखकर उत्तर प्रदेश को कुछ प्रेरणा लेनी चाहिये। माननीय, यह प्रदेश भारत का सबके बड़ा प्रदेश है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सहकारी आन्दोलन का जहां तक प्रश्न है, सहकारी संस्थाओं को ईमानदारी और प्रशिक्षण का जहां तक प्रश्न है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा है। डेरी फार्म की बात की गयी। मैं मंत्री जी को याद दिला दूं कि इस प्रदेश में एक भी ऐसा डेरी फार्म चला दें जो आनन्द डेरी फार्म की तुलना कर सके जिसको अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है।

दक्षिणी भारत की सहकारी चीनी मिलें गांव की सड़कों को पक्का बनाने के लिये प्रेरित है। उन किसानों के पास ट्रक तथा कारें हैं जो सहकारी चीनी मिलों के सदस्य हैं। दक्षिण भारत की प्रगति की तुलना में हमारे यहां प्रगति नहीं हुयी है। मैं चाहूंगा कि एक कदम और करें। हमारे विधान सभा

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त---]

के सदस्यों को, जो माननीय सदस्य सहकारिता में रुचि रखते हों उनको दक्षिण भारत भेजकर वहां की सहकारी समितियों को दिखाने का काम करें। अपने अधिकारियों को भी भेजें। गुजरात, महाराष्ट्र, तामिलनाडू की समितियों को दिखलायें जहां गांवों को स्वर्ग बनाने का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहुत सुधार करने की अवश्यकता है। अपने १२-१४ वर्षों की सहकारी अनुभव से मैं कहता हूं, मुझे ऐसा लगता था, जो सहकारिता में महंती कायम हो गयी है, बड़े-बड़े लोग जो बैठ गये हैं, उनको हटाना, एक कल्पना कांग्रेस हुकूमत के रहते हुये लगती थी। लेकिन आज माननीय सहकारिता मंत्री बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने निष्पक्ष चुनाव की बात की। जो लोग अभी तक उपेक्षित रहे हैं, गरीब हरिजन लोग इसमें प्रतिनिधित्व पा सकें इसके लिये जो उन्होंने आंदोलन चलाया निष्पक्ष चुनाव का इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। थोड़ी बहुत गड़बड़ी अभी प्रारम्भिक दशा में हो सकती है।

कहीं-कहीं कुछ जमानतदार भी बकायेदार मान लिये गये हैं जिन्होंने जमानत ली है उनको भी बकायेदार मानकर उनके नाम जदगी पर्चे खारिज कर दिये गयें हैं। तो यह चीजें आने वाले समय में दूर हो सकेंगी और यह आंदोलन निष्पक्ष हो सकेगा। सेवा मंडल की बात की गयी है। मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देकर अपनी बात सेवा मंडल के सम्बन्ध में समाप्त करुंगा। सेवा मंडल की ओर से कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, कर्मचारियों का चयन होता है। एक बात और करें। सेवा मंडल के द्वारा चयन किये गये कर्मचारियों को व्यर्थ में किसी संस्था में अवश्यकता न होते हुये भरने का काम न करें। मेरे अपने जिले की बात है, आपने प्राविधान किया है कि वर्किंग कैपीटल का २ प्रतिशत से ज्यादा प्रशासन पर व्यय नहीं होना चाहिये। वहां पहले से ही ४ प्रतिशत से अधिक खर्च हो रहा है कर्मचारियों की वहां आवश्यकता नहीं है लेकिन भर्ती हो रही है। २५ नियुक्तियां हमारे यहां ऐसी की गयी हैं जिनकी कि आवश्यकता नहीं थी सेवा मंडल द्वारा वहां लोग भर्ती किये जा रहे हैं जिसको रोकने की आवश्यकता है। योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होनी चाहिये जिससे सहकारिता में काम वह ठीक से कर सकें।

मान्यवर, ऋण वितरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जब ऋण की सीमा निर्धारित हो जाय तो एन० सी० (नेशनल सर्टिफेकेट) बनने के बाद बिचौलियों का काम मंत्री जी समाप्त करें तो बहुत कुछ भ्रष्टाचार जो इस में है वह समाप्त हो जायेगा। इस तरह जिसके पास एन० सी० है उसको छूट दें कि जब वह बैंक में जायं तो चेक प्राप्त कर सकें। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तबतक भ्रष्टाचार रहेगा। इस संदर्भ में मैं मान्यवर, एक सुझाव देना चाहता हूं कि प्रत्येक सदस्य को आइडिन्टीटी कार्ड दें ताकि साक्ष्य के लिये सुपरवाइजर को आने की आवश्यकता न रहे और बिचौलिये न खा सकें। बैंकों को यह भी निर्देश दें कि पास बुक में लिया गया ऋण और जो उसने दिया है उसको भरा जाय। इसके बाद परिवेक्षण आपका सिद्ध करेगा कि जो गड़बड़ियां होती हैं उनको कैसे सुधारें।

मान्यवर, न्यायाधिकरण के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं कि न्यायाधिकरण में जाने के लिये जो इच्छुक हों, जो क्षुब्ध व्यक्ति या संस्था हो उन्हें अपील और रिवीजन के लिये, आप चाहते हैं तो कोर्ट फीस निर्धारित कर दें, न्यायाधिकरण में जाने की सुविधा प्रदान करें। दिनांक ५-१०-७७ को इसी सदन में मैंने सहकारिता के बजट पर बोलते हुये कहा था कि मेरे जिले में एक जिला

सहकारी दुग्ध संघ है, श्री बैद्य जी को याद दिला दूं कि १९७३ में उनकी सरकार द्वारा एक चयन किया गया जिसमें एक गबन इक्सपर्ट ढूंढा गया। जालौन जिले में एक प्राइमरी स्कूल का मास्टर दुग्ध संघ का व्यक्ति अध्यक्ष वहां का मनोनीत कर दिया गया। चार वर्ष तक उसको संरक्षण मिलता रहा। उसके विरुद्ध १८ हजार रुपये का गबन विशेष आडिट में मिला। यह भ्रष्टाचार का उदाहरण है। तीन बार सरकारी नामजदगियां रद्द हो चुकी हैं। वह कोर्ट में ७ बार संघ के खर्च पर रिटदायर कर चुका है। लड़ चुका है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब तक विशेष व्यवस्था नहीं करेंगे तबतक साधारण सा व्यक्ति सरकार को चुनौती देकर भ्रष्टाचार के साथ पूरी मशीनरी की बदनामी का कारण बनता रहेगा। उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सहकारी ऐक्ट पढ़ते हैं तो लगता है निबन्धक को असीम अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन जालौन के दुग्ध संघ से निपटाने के लिये निबन्धक के अधिकार कहां रखे हैं? उनका प्रयोग अधिकारी क्यों नहीं करते? उनपर उनका अंकुश क्यों नहीं है? अपने बजट भाषण में कहा था एक-एक बकायेदार की लिस्ट प्रकाशित करने के लिये सहकारी अधिकारियों ने ५-५ रुपये लिये हैं और भ्रष्टाचार इस प्रकार किया है। उसमें मंत्री जी देखें तो अच्छा होगा।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन् मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। अभी हमारे सामने विपक्ष के, पक्ष के दो दो आदमी बोल चुके हैं। हमारी लिस्ट भी रखी है। हम लोगों से पक्षपात करना बड़ा दुःखदायी होता है।

श्री अध्यक्ष—

मुझे खेद है कि विपक्ष के लोग कोई सम्मिलित लिस्ट नहीं देते हैं। आप को चाहिए कि यहां पर सब लोग तय करके मुझे सूची दें। संख्या के लिहाज से सब का बराबर-बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए कांग्रेस आई है, कांग्रेस है, निर्दलीय हैं, आप हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि सूची मेरे सामने नहीं होती है।

*बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने दस महीने के अंदर जितना सहकारिता का काम किया है वह सराहनीय है इस में दो राय नहीं हैं इसलिए जो बजट उन्होंने सदन में रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं कहना यह चाहता हूं कि विपक्ष के लोग अपने तीस साल की बात न करें। तीस साल तक सहकारिता नहीं रही बल्कि सरकारिता रही। सरकार का पूरा का पूरा भाई भतीजावाद रहा। मैं बहुत ही साफ अल्फाज में बताना चाहता हूं कि आप प्राइमरी सोसाइटी को देखें या फेडेरेशन को देख सब में इनके आदमी डटे रहे। मैं इलाहाबाद की बात बताना चाहता हूं। वहां नया बाजार दुग्ध संस्था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[बाबा राम आधार यादव]

है, कोग्रापरेटिव डेरी और फेडरेशन, उसमें इन्हीं के आदमी शुरू से आखिर तक भरे रहे। वहां करोड़ों रुपयों का घोटाला है। मगर क्या किया जाय। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे भी उन्हीं से मिले जुले रहे। इस तरह से आप देखेंगे कि सचमुच में जब तक सहकारिता आन्दोलन सफल नहीं होगा तब-तक समाजवाद की पूर्ति नहीं होगी। देश के अन्दर में यह भी बतलाना चाहता हूं सहकारिता के पास वस्तु उत्पादन और वितरण दोनों काम होने चाहिए। सन् १९४७ में जब कांग्रेस की सरकार रही तब गल्ले का अभाव रहा और लोग गल्ले के कारण परेशान रहे तो शहरों के अन्दर उपभोक्ता भंडार खोले गये थे मगर साल डेढ़ साल चलने के बाद जब लोग पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने लगे तो बन्द कर दिये गये लेकिन आप देखेंगे कि वही भंडार आज चोर बाजारी वालों के हाथ में चले गये हैं। आज हमारे यहां गल्ला, कपड़ा, सब उपलब्ध है। फिर देखेंगे सिमेन्ट का मामला है इन्हीं के हाथ में है। जैसा कि अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वितरण प्रणाली हमारे प्रदेश की ठीक नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव दूंगा कि कम से कम जो वितरण की वस्तुयें हैं, सीमिन्ट है, गल्ला है, कपड़ा है इन्हें सहकारिता की ओर से वितरित किया जाना चाहिए। आज भी सीमेन्ट का अभाव है। सिमेन्ट चोर बाजारी के लोगों के हाथ में है। आज सीमेन्ट पूरा नहीं मिलता। जो सीमेन्ट की बोरियां मिलती हैं अगर देखा जाय तो उनमें से कम से कम चौथाई सिमेन्ट निकाल लिया जाता है। मैं चाहूंगा कि जो वितरण प्रणाली है उसे माननीय मंत्री जी अपने विभाग में लें और उसका वितरण करायें।

दूसरी चीज मैं आप को दुग्ध विकास के बारे में बतलाना चाहता हूं इसमें बड़ी भारी घांधली है। हमारे यहां जो दुग्ध की डेरी है उसकी हालत यह है कि कम से कम अगर देखा जाय तो कितना करोड़ रुपया उसमें खर्च हो गया है। उत्पादन और वितरण बिल्कुल नहीं के बराबर है। एक जमाने की बात है जब डेरी खोली गयी थी उस वक्त उसमें कम से कम ६०००, ७००० लीटर दूध था। आज अगर देखा जाय तो इलाहाबाद के अन्दर डेरी में मुश्किल से दो हजार लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है जिसका वितरण अगर अस्पतालों में न हो तो महीनों तक शहर में न बिके। इस तरह से मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां एक प्राइमरी सोसाइटी दूध की है कटरा दुग्ध सोसाइटी इनके अध्यक्ष हैं हर प्रताप सिंह जो शायद सदन में मौजूद नहीं हैं। बहुत छोटी सी सोसायटी है। इसके पास ६७-६८ लाख रुपया है। एक डेयरी आपकी सरकारी है जिसके ऊपर करोड़ों का कर्जा है। मैं मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी खासतौर से निगरानी करें इसी तरह से हमारे यहां नया बाजार है उसमें भी करोड़ों का घपला है। फेडरेशन में भी घपला है। इनकी जांच करायी जाय।

एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे इलाहाबाद के अन्दर गृह निर्माण सोसायटी बनी हुई है। यह बिल्कुल फ्राड है। यह लोगों को मंहगे प्लाट बेचते हैं। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा एक ही परिवार के लोग मिलकर सोसायटी कायम कर लेते हैं और इससे जनता की भलाई नहीं होती। सहकारी संस्थाओं में जो गड़बड़ियां हो रही हैं इनकी ठीक तरह से देखभाल की जानी चाहिए।

*श्री जय राम (जिला गाजीपुर)--

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की तरफ से ले जाना चाहता हूं । चाहे कांग्रेस की सरकार रही या आज जनता पार्टी की सरकार है, मुट्ठी भर लोग जो समय सहकारिता विभाग पर हावी थे वही आज भी हैं । हमने पिछले बजट के समय भी गाजीपुर जिले के बारे में चर्चा की थी । हमारे यहां सादीपुर एक सोसाइटी है । एक व्यक्ति जो इस समय जनता पार्टी के बड़े नेता है, १ लाख रुपया गांव के ५० सीधे सादे व्यक्तियों के दस्तखत से ले लिया । उनके खिलाफ दरख्वास्त दी गयी । जिले के अधिकारियों ने जांच की । डी० आर० ने वसूली के आदेश दिये । सुपरवाइजर, ए० डी० ओ० कोआपरेटिव और एक दो दूसरे क्षेत्र के सुपरवाइजर वहां गये । उनके परिवार के लोगों ने इन अधिकारियों को पीटा । इन नेता महोदय ने उल्टा ही इन पर मुकदमा कर दिया और उनको परेशान कर रहे हैं । इसी तरह से हमारे यहां धरवार गांव है । वहां की सोसायटी में घपला है । १५० आदमियों के नाम पर फर्जी दरख्वास्त देकर रुपया ले लिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि अगर वह सहकारिता विभाग में लोगों का विश्वास पैदा करना चाहते हैं तो पिछले शासन में भी और आज भी जो गरीब आदमियों को लूटा जा रहा है इसको बन्द करें । जैसा रियासत साहब ने कहा, लोग सहकारिता से रुपया लेने में कांपते हैं और दूसरी जगह से लेना पसन्द करते हैं । कोआपरेटिव फार्मिंग की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । हमारे यहां बोगना सहकारी समिति है जिसके पास ७५० बीघा जमीन है और इसके १५२ शुद्ध खेतिहर मजदूर हैं ।

मान्यवर, मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के जिले में १५२ गरीब लोग जिनके पास ७५० बीघा जमीन हो, कोई नहीं है, लेकिन चूंकि जमीन बांटी नहीं गई, इसलिये पिछली सरकार ने जो लगान माफी की और आज भी जो ३.५ एकड़ तक लगान माफी की गई है, उसको माफी नहीं मिली है क्योंकि उनकी कोआपरेटिव फार्मिंग है । मान्यवर, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि गरीब आदमी सहकारिता के माध्यम से कुछ वैज्ञानिक साधन उपलब्ध करने के लिये कोआपरेटिव फार्मिंग बना लें तो उनकी लगान की माफी नहीं होती है । इसी तरह से हमारे गांव में किसान कोआपरेटिव फार्मिंग थी । यह लघु कृषक और सीमान्त कृषकों को जो छूट दी गई है, वह जिन किसानों ने कोआपरेटिव फार्मिंग बना ली है, इसलिये उन छूटों से वह वंचित कर दिये गये हैं । यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि मंत्री जी सहकारिता पर बल दे रहे और दूसरी तरफ जो कोआपरेटिव फार्मिंग बना रहे हैं और उसके माध्यम से कुछ वैज्ञानिक साधन उपलब्ध करके कृषि में प्रगति करना चाहते हैं, वह उनसे वंन्चित कर दिये जाते हैं ।

अब मैं बैंक के बारे में मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । बैंक भी इन कोआपरेटिव फार्मर्स को कर्ज नहीं देती है । खेतों के लिये अगर ट्रेक्टर कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये चाहिये तो उनको नहीं दिया जा सकता है । अगर किसी व्यक्ति के नाम से कर्ज लें तो मिल सकता है । मान्यवर, मजबूर होकर डायरेक्टर कोआपरेटिव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जय राम]

फार्मिंग के नाम पर ऐग्रो में मम्बर लगाया गया लेकिन जब देखा गया कि कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये कर्ज बैंक नहीं देगी तो मजबूरन दो व्यक्तियों के नाम से लिया गया । तो मैं चाहूंगा कि सदन के अन्दर आप अच्छे अच्छे एलान करें अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपा लें, तो सहकारिता अन्दोलन तरक्की करने वाला नहीं है । यह सहकारिता विभाग सुचारुरूप से कुछ पुराने लुटेरों का अड्डा बन गया है । इससे कुछ लोगों को जिन्होंने राजनैतिक कलर ओढ़ लिया है हटाना है, तभी इसकी तरक्की हो सकती है इसके लिये आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा ।

*श्री छेदा सिंह चौहान(जिला लखनऊ)—

माननीय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं सहकारिता मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान लखनऊ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । पारसाल बजट के समय हमने कहा था कि यहां पर १७-१७ साल के सुपरवाइजर मौजूद हैं, उन्हें हटाया जाय । आपने कृपा करके उन्हें हटा दिया और उनकी जांच भी हो रही है, परन्तु पुराने अधिकारी मौजूद हैं, जिनसे मिल-जुलकर गोल माल किया गया था । उनके होते हुये जांच सही नहीं हो सकती । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पुराने अधिकारियों को भी हटा दें ताकि जांच सही हो सके । कुछ ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन हजारों रुपया कर्ज दे दिया गया है, परन्तु जब जांच हुई तो जिन अधिकारियों ने रुपया खाया है उनके कारण जांच सही नहीं हो पा रही है । इसलिये अधिकारियों का ट्रान्सफर होना भी आवश्यक है ।

अध्यक्ष जी, मैं आपकी मारफत से मंत्री जी का ध्यान भूमि विकास बैंक की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, भूमि विकास बैंक में तो इतना गोलमाल है कि जो बतलाया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता । हमारे लखनऊ जिले में लखनऊ ब्रान्च से मेरा ही नाम कट दिया गया था । उसके बारे में हमने पारसाल आप के सामने कहा था । उसकी जांच हुयी । उन्होंने कहा कि आपका शेयर नहीं है । परन्तु हमारे पास कागज मौजूद थे । हमने चेक के द्वारा पैसा जमा किया था । तो उन्होंने तस्लीम किया । हमारे मंत्री जी ने भूमि विकास के चेयरमैन से कहा, लेकिन उनकी हमदर्दी उस शाखा ब्रान्च के मैनजर के साथ इतनी है कि उसको आज तक नहीं हटाया । शाम को वहां किसी वक्त जांय । वहां पर जो इन्जन के घटिया किस्म के विक्रेता हैं जो घटिया किस्म के एजेंट हैं, वहां बैठे मिलेंगे । हमें यह शक है कि उनसे जो पैसा लेते हैं, उसको हमारे चेयरमैन को कतई देते हैं । मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर सी० आई० डी० से जांच करा लें तो तथ्य सामने आ सकते हैं । लेकिन, मान्यवर, जब भी कभी जांच होती है तो छोटे क्लर्क या छोटे अधिकारी पकड़ में आते हैं, बड़े लोग कभी पकड़ में नहीं आते । हम उनसे मिलने गये । वह उनकी हिमायत इतने जोरदार शब्दों में करने लगे कि उससे सिद्ध हो गया कि लखनऊ ब्रान्च का मैनेजर और भूमि विकास बैंक के चेयरमैन, दोनों एक हैं । जो उनके जेब में पैसा जाता है, वह चेयरमैन के जेब में पैसा अवश्य जाता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संख्या ४३—सहकारिता, अनुदान संख्या ५३--पशुपालन, अनुदान संख्या ५४--दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या ५५---मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ७६—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ८३--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम-सहकारिता

इसी के साथ, मान्यवर, मैं स्टोर्स की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, स्टोर्स में कई साल से पुराने बीज रखे हुये हैं । उसी बीज को हमारे किसान लोग ले जाते हैं और बोते हैं । अतः मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उस पुराने बीज को नीलाम करा दिया जाय और उसके स्थान पर नया बीज खरीद लें ताकि उसको किसान बोये और उसका लाभ उठायें ।

इसी तरह से, मान्यवर, हमारे लखनऊ जिले के लिये खोये की बात है । उसकी ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे यहां २०/२५ मील से गरीब किसान खोया लाते हैं लेकिन उस पर रोक लगा दी गयी । अगर दूध लायें तो वह खराब हो जायेगा । इसलिये वे बेचारे गरीब किसान दूध को औटा कर खोया लाते हैं और उससे अपनी जीविका चलाते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि खोये को बन्द न किया जाय ताकि गरीब लोग अपनी जीविका को चला सकें ।

इतना ही कह कर मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । जै हिन्द ।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर में कटौती प्रस्ताव कर्ता को समय देता हूं । उसके बाद माननीय मंत्री जी बोलेंगे । मेरा धर्मदत्त जी से आग्रह है कि वे कृपया १० मिनट में समाप्त कर लें ।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सहकारिता अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस पर आदरणीय सदस्यों के जो सुझाव इधर से और उधर से प्राप्त हुये, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों के इन सुझावों का शासन लाभ उठायेगा और जो आवश्यक सुझाव होंगे, माननीय मंत्री जी उसे शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये प्रयत्न करेंगे ।

श्रीमन्, मैं एकाध बात जो रह गयी थीं, उसके बारे में और निवेदन कर दूं ।

मान्यवर, भूमि विकास बैंक के सम्बन्ध में काफी लोगों ने चर्चा की । उसमें भ्रष्टाचार के बारे में बहुत चर्चा हुई है । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है जब बैंक किसी भी ऋण लेने वाले व्यक्ति की जमीन को बंधक रख लेता है तो वह उसको चेक देने के लिये क्यों बाध्य करता है ? उसकी जमीन को जब आपने बंधक रख लिया तो नगद रुपया दें । वह जहां से चाहे चीज खरीदे और उपयोग करे । साथ ही साथ एक प्रक्रिया भूमि विकास बैंक की है कि यदि एक किस्त अदा नहीं हुयी तो उसमें उसकी भूमि का नीलाम कर दिया जाय ।

मैं, श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो एक किस्त अदा न करने पर सारे रुपये की वसूली और उसके साथ भूमि नीलामी, ये दोनों बातें विचारणीय हैं । जो व्यक्ति किस्त नहीं दे

[आचार्य धर्मदत्त वैद्य]

उसे वसूल करना है तो बजाय इसके कि उसकी भूमि नीलाम करें, उसकी फसल को क्यों नहीं नीलाम करते ? और उसकी फसल से किस्त की अदायगी कर लें क्योंकि सारी भूमि के नीलाम कर देने से तो वह बेचारा जीवन निर्वाह से वंचित हो जाता है ।

एक और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमन् बहुत सी योजनायें जनहिताय और जनता सुखा होती हैं । हमारे सामने कुछ आंकड़े हैं, जो दूध के उत्पादन से सम्बन्धित हैं । श्रीमन्, सन् १९७६ वर्ष में ४१९.६४ लाख लिटर दूध का उत्पादन हुआ और १९७७ में ३९२.६१ लाख लिटर दूध का उत्पादन हुआ । इसका मतलब यह है कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या तो बढ़ी लेकिन जो विशेष आवश्यकता की चीजें हैं कि जिनके बिना आदमी का जीवन नहीं चल सकता और बीमारों के लिये नितांत आवश्यकता है, उसका ६ प्रतिशत आपका उत्पादन घट गया ।

इसी प्रकार से, श्रीमन्, घी उत्पादन के सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष १९७६ में २४३.६७ हजार के० जी० घी का उत्पादन था और १९७७ में २३८.१५ हजार किलोग्राम हुआ । यह भी २ प्रतिशत घटा । इसी प्रकार मक्खन जो १९७६ में २३५.९५ किलोग्राम था, वह सन् १९७७ में १६१.२५ हजार किलोग्राम हुआ । यानी ३२ प्रतिशत घट गया ।

माननीय, आज हमारे ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे जो दूध उत्पादन के केन्द्र हैं, वे सक्रिय नहीं हैं । उनको विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है ।

एक और निवेदन करना चाहता हूं अगर वास्तव में सहकारिता के आधार पर इस प्रजातांत्रिक शासन को समाजवाद की ओर अग्रसारित करना चाहते हैं । तो इस सहकारिता की प्रत्येक इकाई पर समाज का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा । और समाज के लोगों को विशेष रूप से इसके लिए तैयार करना पड़ेगा । आज जो बैंक हैं चाहे जिले स्तर पर हों अथवा प्रदेश स्तर पर, उनकी प्रगति खाली इस पर निर्भर नहीं करती कि हमारी सोसाइटी का यों ही धन जमा हो जाय बल्कि इस बात पर भी करती है कि जिले स्तर पर जो बैंक हैं उनमें व्यवसायिक लोगों ने अथवा अन्य लोगो ने कितना धन जमा किया है, कितने लोगों को वहां से धन देकर व्यवसाय के लिये तैयार किया गया है ? इसी तरह प्रदेश में जब तक हम बैंकों का कार्य और शैली इस प्रकार की नहीं होगी तब तक जनता का धन उनमें जमा नहीं होगा और उनका उपयोग हम विकास के लिए जनहित में नहीं कर पायेंगे । माननीय मंत्री जी इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करेंगे और मुझे आशा है कि कोई ऐसा मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे इस प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन निरन्तर निर्बाध गति से बढ़ता चला जाय और प्रदेश की उन्नति होती चली जाय ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग १७ माननीय सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया और लगभग सभी ने आज रचनात्मक सुझाव दिये और बहुत से सुझाव ऐसे हैं जिनको पूरा करने का प्रयास करूंगा । इसके लिये मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं । धर्मदत्त वैद्य जी ने कहा कि समितियों का जो पुनर्गठन किया गया है वह गलत किया गया है और पहले जो गांव स्तर पर थीं उस तरह से

समितियों को नहीं रखा गया । मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जो छोटी-छोटी समितियां थीं हर छोटी समिति पर कार्यालय खोलना संभव नही था । साथ ही वहां इतना कम लेन देन था जिसके कारण वे समितियां स्वावलम्बी नहीं बन सकती थी, वहां पर खाद व बीज की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती थी । भारत सरकार का सुझाव भी ऐसा ही आया है कि न्याय पंचायत स्तर पर-बड़ी बड़ी समितियां बनाकर उनको मजबूत बनाया जाय, उनको स्वावलम्बी बनाया जाय । तो जो छोटी-छोटी समितियों की बात कही गई तो जो बड़ी समितियां सहकारी आन्दोलन को बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं वह छोटी-छोटी समितियों से संभव नहीं है वैद्य जी ने यह भी कहा कि ९५ प्रतिशत वसूली नहीं हुई है, फर्जी आंकड़े दिखाये गये तो मैं उनको बतलाना चाहूंगा कि ९५ प्रतिशत वसूली प्रदेश में कभी नहीं हुई, अभी तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उससे यही आभास होता है कि ५० फी दी से ७० फी दी तक औसत वसूली हुई है । ७२-७३ में ४६ फीसदी, ७३-७४ में ५४, ७५-७६ में ५५ तथा ७६-७७ में ६५ फीसदी वसूली हुई है और ७७-७८ में जो वसूली चल रही है उसके आंकड़े तो बहुत कम प्राप्त हुए हैं २३ फी दी वसूली अब तक हुई है ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

माननीय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने फसली ऋणों की बात कही थी ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

दूसरी बात माननीय वैद्य जी ने यह बतायी कि प्रदेश में इस समय ३४ शीतगृह हैं । ऐसा नहीं है, ४१ शीतगृह इस समय चल रहे हैं और ५ निर्माणाधीन और उनकी क्षमता ८५,४०० मीट्रिक टन की है । यह सही है कि इस सम्बन्ध में हमें आगे बढ़ना है । आज किसान का लगभग ५ लाख मीट्रिक टन आलू शीतगृह में रखने के लिये है और इसकी अपेक्षा हम यदि १ लाख मीट्रिक टन भी मानकर चलें तो भी हम ५ गुना पीछे हैं । यह सच है कि आलू की पैदावार जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुये क्षमता कम है । फिर भी हमारा प्रयास है और अगले वर्ष तीन शीतगृह और बनाने का विचार है ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पुस्तक हमें मिली है इसमें लिखा है कि इस समय प्रदेश में ३४ शीतगृह कार्यरत हैं और १० को भविष्य में आशा की जाती है । श्रीमन्, इन आंकड़ों को आप देख लें यदि पुस्तक में ऐसा ही है, तो जैसा मैंने कहा वह ठीक है अन्यथा गलत हो तो दूसरी बात है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय, ४१ ही काम कर रहे हैं । पुस्तिका की रिपोर्ट कुछ पहले की हो सकती है । माननीय, माननीय त्रिलोक चन्द जी ने कुछ सुझाव रखे हैं और उन्होंने सहकारी पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया है । माननीय, २६ जनवरी को वह

[श्री मुलायम सिंह यादव]

रिपोर्ट प्राप्त हुई है । उसका परीक्षण किया जा रहा है और शीघ्र ही शासन के स्तर पर उसमें निर्णय लिया जायेगा । उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात के पैटर्न पर यहां भी कोआपरेटिव चलना चाहिए । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है । हमारी कोशिश होगी कि सारी सहकारी समितियां प्रदेश स्तर तक की हो जायेंगी । मैं यह चाहता हूं कि हमारी सारे सहकारी साथी यहां आयें । १–२ सम्मेलन हों और उसमें सारे सहकारी बन्धुओं का विचार ले लिया जाय और उसमें गुजरात पैटर्न का सुझाव भी रखा जाय और उस पर विचार कर लिया जाय ।

माननीय रियासत हुसैन ने कहा कि सहकारी ऋण लेने के लिये लोग भागते हैं, डरते हैं, कांपते हैं । ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसी बात हुई होती तो ७४–७५ में ७४ करोड़ रुपये, ७५–७६ में ९५ करोड़, ७६–७७ में १३० करोड़, १९७७–७८ में २०० करोड़ रुपया बांटा गया । अगर आपकी बात सच होती तो जहां ७४ करोड़ से शुरू हुआ था तो वह ६०, ५०, ४० करोड़ तक घटता, लेकिन वह बढ़ा ही है । इससे आपको मानना पड़ेगा कि ऋण तेजी के साथ बंटा है ।

श्री रियासत हुसेन––

हिस्सा वापस नहीं किया है और आपके सचिवों ने फर्जी बिलाकर रुपया निकाला है ।

श्री मुलायम सिंह यादव––

यदि कोई विशेष मामला आपके पास हो तो आप हमें बता दें, मैं दिखवा लूंगा । मान्यवर, माननीय शास्त्री जी ने एक सुझाव रखा है कि सुपरवाइजर जो हैं उनकी स्थिति निश्चित नहीं है कि वे किसके कर्मचारी हैं । इस सम्बन्ध में ए० पी० सी० की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गई है और उसके बाद सरकारीकरण पर विचार किया जायेगा और शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा । माननीय श्यामधर मिश्र ने एक बहुत अच्छा सुझाव रखा है और कहा है कि हमारे प्रदेश में सहकारी आन्दोलन की नाकामयाबी का एक यह भी कारण है कि यहां पर प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिस तरह से दक्षिण में की गई है । इसके लिए ३० लाख रुपये बजट में रखा है और १७५ नई यूनिटें खोली जा रही हैं, जिनमें सहकारी कर्मचारी और पदाधिकारी प्रशिक्षित करने की व्यवस्था होगी ।

मान्यवर, श्री शास्त्री जी ने कहा और शिकायत की कि १० प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सदस्यों से लिया जा रहा है । कलेक्शन चार्ज उन पर लगता है जो बकायादार हैं । इसके बाद भी यह निर्णय लिया गया है कि सत्यापन के दरम्यान जो उन पर बकाया आता है उसको वह अदा कर दें तो १० प्रतिशत की जगह ५ प्रतिशत ही लिया जायेगा । कई और सुविधायें दी गई हैं जैसे मूल धन से ब्याज ज्यादा नहीं लिया जायेगा । अगर किसी पर १०० रु० मूलधन का है और ब्याज सहित तीन सौ रुपया हो जाता है तो उससे १०० रु० मूलधन और १०० रु० ब्याज के लेकर बेबाक कर दिया जायेगा । दूसरी सुविधा यह भी दी गई है कि तीन किस्तों में अदायगी की जायेगी । यह सुविधा १५ मई तक कर दी गई है अगर इस बीच कोई अपनी अदायगी कर देगा तो उससे १० प्रतिशत कलेक्शन चार्ज के बदले ५ प्रतिशत ही लिया जायेगा ।

माननीय शर्मा जी ने कहा कि कोआपरेटिव में देखा गया है कि जो ईमानदार अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको परेशान किया जाता है। ऐसी बात नहीं है। जो लोग ईमानदार हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन भी दिया जा रहा है। अगर कहीं इस तरह का काम हुआ है या गलत काम हुआ है तो वह मेरी जानकारी में लाये मैं उसको देख लूंगा।

माननीय मिश्रा जी ने गोदामों और कार्यालयों के खोलने के बारे में कहा कि बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर कार्यालय न खोले जाय तो जो शिकायतें बड़ी देर से चली आ रही हैं वह दूर नहीं हो सकती हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि भ्रष्टाचार की शिकायतों का सबसे बड़ा कारण यह भी रहा है कि अभी तक कार्यालय नहीं थे और अपनी जेब या थैले में कागज रख लेते थे और कर्जा ले लेते थे। अभी मैं रायबरेली गया था तो कुछ किसानों ने शिकायत की। इनमें ३१ किसान ऐसे थे जिन्होंने पैसा दिया था लेकिन उन पर दुबारा वसूली की नोटिस सर्व हो रही है। मैंने उनसे पूछा तो मालूम हुआ कि गांव में ही एकाउटेंट और सचिव शाम को आया करते थे लालटेन या दीपक जला करता था हमसे पैसा ले लिया गया हवा आई और वह बुझ गया तो कह दिया कि कल आयेंगे और रसीद दे देंगे। तो इस तरह की शिकायतें थी यह इसलिए होता था कि कार्यालय नहीं थे। अब जब कार्यालय हो गये हैं तो किसान वहां से रसीद लेकर ही जायेगा। जब तक कार्यालय नहीं होंगे तब तक सहकारी आन्दोलन को बढ़ाया नहीं जा सकता है।

माननीय सदस्यों ने सबसे ज्यादा शिकायत भूमि विकास बैंक में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में की। जब तक मेनेजर को रुपया नहीं मिल जायेगा तब तक उसको चैक नहीं दिया जायेगा। तो इस तरह की शिकायतें भ्रष्टाचार की हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इसके लिए एक उपाय है जिसका प्रयास मैं कर रहा हूं जब तक किसान को सीधा रुपया नहीं दिया जायेगा और वह जहां से चाहे इंजन को खरीदे तब तक भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा। इसके लिए रिजर्व बैंक को अनेक बार लिख चुका हूं लेकिन रिजर्व बैंक उसके लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि अगर सीधे रुपया दे देंगे तो किसान अपना इंजन न लेकर दूसरे कामों में रुपया लगा कर उसका दुरुपयोग करेगा। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि उनकी बात सच है तो १० या १५ फीसदी अब भी दुरुपयोग हो रहा है। अगर रिजर्व बैंक हमारी इस बात को माने तो १०-१५ प्रतिशत दुरुपयोग हो और जो रिश्वत में देना पड़ता है, वह बन्द हो जाये। मेरे भरसक प्रयास के बावजूद किसान को सीधा रुपया देने का कोई तरीका निकल नहीं रहा है। मैंने कोशिश की और रिजर्व बैंक वालों से हमारे अधिकारियों की जो मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने एक समिति बैठाई है और उसकी रिपोर्ट आने पर उस पर विचार किया जायेगा। हमारा आखिर तक यह प्रयास रहेगा कि सीधे किसान को रुपया दिया जाए। यह भ्रष्टाचार को मिटाने का बहुत बड़ा साधन है। जब तक इंजनों की कीमत निश्चित नहीं थी, तब तक भूमि विकास बैंक में असीमित भ्रष्टाचार था। यह शिकायत थी कि ढ़ाई हजार वाला जो ३३ सौ का इंजन मिलता था, वह २६ सौ में अब मिलने लगा है। यह

[श्री मुलायम सिंह यादव]

२६०० तक में उनको मिल जायेगा । इसको देखते हुए हमने इंजनों के दाम तय कर दिये और यह सोचा है कि इससे किसानों के ५-७ सौ रुपये की बचत होगी । लेकिन डीलर्स ने हमारे साथ असहयोग किया और आई० एस० आई० वाले इंजन उन्हें नहीं मिल पाये । फिर भी अब उन्होंने हमारे तय दामों को स्वीकार कर लिया है और वह हमारे निश्चित दामों पर इंजन देंगे । हो सकता है, अभी शुरू में उनको निश्चित कीमत पर न मिल पायें, लेकिन हम इसके लिए कार्यवाही कर रहे हैं और शिकायत मिलने पर हम उन डीलर के खिलाफ कार्यवाही करके उनकी मान्यता समाप्त कर देंगे ।

यहां कुछ मुझ व पशुपालन विभाग के बारे में दिए गये । वैद्य जी ने कहा कि गंजरिया फार्म पर मुर्गियों की चोरी हो गई । यह सही है कि ७,७८५ मुर्गियां गायब है, लेकिन उनको पता होना चाहिये कि इसके लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही हो चुकी है, दो अफसर सस्पेन्ड कर दिये गये हैं । पुलिस में एफ० आई० आर० दर्ज हो चुकी है और तीन अफसरों को पूरे कांड की जांच के लिए बिठाय गया है और उनसे एक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । उसे देखकर तुरन्त ही उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा रही है ।

दूसरी बात, मिश्रा जी ने कुछ गुजरात का उदाहरण दिया और कहा कि उस तरह की डेरियां यहां भी चलाई जायें । इस सम्बन्ध में उनको मालूम होगा कि उनके जिले में जो डेरी चलाई जा रही है, उसमें ७ जिले लिए गये हैं और आगे तक २१ ऐसे जिले और लिए जायेंगे, जिसमें आनन्द डेरी के पेटर्न पर डेरी चलाने का प्रयास किया जायेगा ।

जहां तक अखबारों की बात कही जाती है, अखबारों में तो बहुत कुछ निकला करता है । उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है कि १० लाख रोजाना का नुकसान प्रति डेरी चल रहा है । यह सही है कि १० लाख की जगह पर १० हजार महीना नुकसान पर वह चल रही हैं । अखबार में तो यह भी लिखा है कि इटावा में मिल्कमैनों को डेढ़ लाख रुपया दिया गया है, जबकि वास्तव में उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया गया है और यह भी कहा कि वह मंत्री जी का जिला है, इसलिए वहां ज्यादा सुविधा दी गई, जबकि इसमें एक भी सच्चाई नहीं है । लेकिन उन्हें इटावा के बारे में मालूम होना चाहिये कि यह वह जिला है जहां भदावरी नस्ल पैदा होती है, जिसमें बहुत ज्यादा फैट होता है । उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिन्दुस्तान में उतना फैट किसी के दूध में नहीं होता है, जो ६ परसेन्ट से १३ परसेन्ट तक है । वहां की जमुनापारी बकरी है, जिसको अपने प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में माना है और इस दृष्टि से मुजफ्फरनगर और मेरठ के बाद तीसरा नम्बर इटावा का है । वहां कई डेरियां सफलतापूर्वक चल रही हैं, लेकिन वे मेरे प्रभाव मे नहीं चल रही हैं । अन्य जिलों के अपेक्षा यदि वहां पहले डेरी लगाई गई होती तो आज यह हालत उनकी न होती और अगर मैं इटावा का रहने वाला हूं, तो इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिया जायगा, अगर वहां पर दूध है तो डेरी नहीं लगेगी । व्यक्तिगत रंजिश के कारण राजनीतिक साजिश है कि किसी तरह से मुझे बदनाम किया जाय । इस तरह से आज भी न्यूज छपी है । वह वस्तु स्थिति से परे हैं । इसी तरह से दस लाख की भी बात छपी है । यह आरोप लगाया गया है कि दस हजार रुपये रोजाना का लास हुआ है ।

इसी तरह से माननीय रियासत साहब ने बताया कि मुरादाबाद की डेरी में घाटा है। १९७६-७७ तक ५९ लाख १८ हजार का घाटा था। १९७५-७६ में सबसे ज्यादा हानि थी ४८ लाख ३ हजार। १९७६-७७ में हानि की स्थिति सुधर गयी और हानि घटकर ११ लाख ६६ हजार हो गयी। १९७७-७८ में ९ महीने में इसकी स्थिति यह है कि ५ लाख के घाटे पर है। इस तरह से आप देखेंगे कि घाटा वर्ष प्रति वर्ष घटता जा रहा है। मैंने शुरू में बताया कि घाटे का कारण यह है कि योजनाबद्ध डेरियां नहीं लगीं। जैसे फतेहपुर में कैबिनेट की मीटिंग हो गयी, माननीय नारायण दत्त तिवारी की अध्यक्षता में, उन्होंने कहा कि फतेहपुर में डेरी हो गयी। माननीय दीक्षित जी ने कहा, उन्नाव में हो जाय, हो गयी।

श्री श्यामधर मिश्र--

आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूंछ लूं। म जानना चाहता हूं कि कानपुर और लखनऊ में डेरियां हैं, कितनी दूध की क्षमता है और कितना दूध रोज मिलता है ? उससे घाट का अन्दाजा लग जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

४० हजार लीटर लखनऊ की, और कानपुर की है ५० हजार लीटर की। लगभग १६-१७ हजार लीटर आ रहा है। मैं घाटा ही बता रह हूं। जिस दिन डेरी स्थापित होती है उसी दिन घाटा हो जाता है। ऋण पर डेरी चलती है। जो भी उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसी दिन डेरी घाटे पर शुरू हो जाती है। लेकिन डेरियां योजना के बाद नहीं बनायी गयी हैं। हम सुधार कर रहे हैं। जहां भी डेरी चलेगी सर्वे किया जायगा और हर चीज को देखा जायगा।

उसके बाद दूसरी बात मैंने बतायी, डेरियां इसलिए घाटे में चली हैं कि शुरू में, जो उत्पादन करने वाले लोग नहीं हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए डेरियों पर कब्जा कर रखा है। वे एक दिन दूध नहीं दे सकते। इ लिए सारा संशोधन किया जा रहा है। आगे आने वाले चुनावों में डेरियों में, जो १८० दिन दूध देगी या ५ सौ लीटर दूध देगा, वही वोट दे सकेगा और वही चुनाव लड़ सकेगा। जब उत्पादकों के हाथ में मैनेजमेन्ट आ जायगा तो उनको लभ होगा। लाभ की दृष्टि से सारी डेरियां नहीं चलायी जा रही हैं। जितना घाटा हो रहा है उतना नहीं होना चाहिए, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन डेरियां उत्पादकों की सुविधा के लिए और शहर के लोगों को शुद्ध दूध मिले, इस दृष्टि से डेरियां चलायी जाती हैं, मुनाफे की दृष्टि से नहीं चलायी जा रही है। जिस दिन डेरी प्रारम्भ करते हैं उसी दिन वह घाटे में हो जाती है।

माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूं और माननीय वैद्य जी से अनुरोध करता हूं कि कटौती का प्रस्ताव वापस लें।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य--

मुझे मंत्री जी के उत्तर से सन्तोष नहीं है इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—सहकारिता के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४३—सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,७२,०५,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३—पशुपालन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३—पशुपालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,००,५०,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४—दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५४—दुग्ध शाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२४,५३,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५—मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

संख्या ४३—सहकारिता, अनुदान संख्या ५३—पशुपालन, अनुदान संख्या ५४—दुग्धशाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या ५५—मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ७६—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदा संख्या ८३—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५—ऋण और अग्रिम—सहकारिता

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५५—मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७१,२०,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७६—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७६—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,७९,५४,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८३—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८३—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,५९,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९५—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९५—ऋण और अग्रिम सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२८,६०,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत मैंने श्री श्यामधर मिश्र को प्रदेश में बिजली की पूर्ति यकायक कम हो जाने के कारण जनता को भारी परेशानी के सम्बन्ध में सूचना को स्वीकार किया है और प्रातः काम-रोको प्रस्ताव पर वक्तव्य देने के लिए स्वीकार किया था और अब इसको नियम ५१ में स्वीकार किया है। कल माननीय विद्युत् मंत्री जी इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे दें।

दूसरी सूचना श्री गुलाब सेहरा और श्री राम कृष्ण की है, जो उत्तर प्रदेश की पिछली लाटरी ड्रा में जाली टिकट पर १७ लाख रुपये को भुगतान के सम्बन्ध में है। उसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी और श्री श्रीनारायण की सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया है।

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर के लापता मजदूरों के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर के बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने अनुरोध किया है कि सूचना एकत्रित नहीं हो पाई है, इसलिए इस पर वक्तव्य स्थगित कर दिया जाय और १६ मई, १९७८ इसके लिए निश्चित की जाय।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इसमें चन्द व्यक्ति गायब हैं, उनका वेरिफिकेशन करना होगा और यह लम्बा कार्य है। तो उन्होंने कहा था कि १५ तारीख से पहले यह सम्भव नहीं है। तो मैंने इसके लिए १६ तारीख लगा दी है।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम के अभियन्ताओं का सेवा (पब्लिक हेल्थ ब्रांच) विनियम, १९७७ को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, १९७५ की धारा ९७ के अन्तर्गत राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से उत्तर प्रदेश जल निगम सर्विस आफ इंजीनियर्स (पब्लिक हेल्थ ब्रांच) रेगुलेशन्स, १९७७ बनाये गये थे जो ४ जून, १९७७ से प्रभावी हुए। यह रेगुलेशन्स (विनियम) जल निगम द्वारा अंग्रेजी में बनाये गये थे।

प्रदेश की राज्य भाषा हिन्दी होने के कारण इस सम्बन्ध में प्रसारित आदेश निगमों पर भी लागू हैं और इस आधार पर यह विनियम पहले से ही हिन्दी में बनने चाहिए थे परन्तु इन्हें अंग्रेजी में बनाकर भाषा सम्बन्धी आदेशों का स्पष्टतयः उल्लंघन हुआ है । मूल विनियम अंग्रजी में बने थे इसका ज्ञान मुझे सर्वप्रथम २६ अप्रैल, १९७८ को हुआ और उसी दिन उक्त अधिनियम की धारा ८९ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके शासन द्वारा उक्त विनियमों को निरस्त कर दिया गया है तथा निरस्तीकरण आदेश २७ अप्रैल, १९७८ को निर्गत हुए ।

उक्त अधिनियम सितम्बर, १९७५ में बना था और तब से ४ जून, १९७७ तक, जब उक्त विनियम प्रभावी हुए, जिस प्रकार जल निगम का कार्य चला उसी प्रकार हिन्दी में विनियम बनाये जाने तक भी चलाया जा सकता है और इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी ।

हिन्दी में विनियमों को बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है और आशा है कि शीघ्र ही इन विनियमों को राष्ट्र भाषा हिन्दी में बनाकर प्रभावी कर दिया जायगा । यह कहना ठीक नहीं है कि अंग्रेजी भाषा में प्रभावी विनियम के अचानक निरस्त हो जाने से प्रदेश में असन्तोष का वातावरण उत्पन्न हो गया है तथा जल निगम विभाग में कोई भी कुव्यवस्था व्याप्त हो गई है ।

निरस्तीकरण आदेश दिनांक २७ अप्रैल, १९७८ से राजकीय कार्यकलाप में राष्ट्र भाषा हिन्दी को प्रतिष्ठापित करने में सहायता ही मिलेगी ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि उत्तर से ही स्पष्ट है ये विनियम पहले से ही हिन्दी में बनने चाहिये थ, पर उन्हें अंग्रेजी में बनाकर भाषा संबंधी आदेशों को स्पष्टतया उल्लंघन हुआ है, तो क्यों माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि भाषा सम्बन्धी आदेशों का उल्लंघन किसके द्वारा हुआ और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या इस सारे मामले की जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

बिना जांच के ही आश्वासन दे सकते हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, जैसा कि वक्तव्य में ही स्पष्ट है, ४ जून, १९७७ को ये विनियम प्रभावी हुए और जल निगम के अधिकारियों ने इन्हें अंग्रेजी में बनाया था । लेकिन किसने बनाया था, यह मैं जांच करा रहा हूं, क्योंकि जानकारी प्रथम बार इस सम्बन्ध में २६ अप्रैल को हुई थी, इसलिए उसमें कुछ समय लगेगा ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

उत्तर में लिखा है कि जिस प्रकार जल-निगम का कार्य चला उसी प्रकार हिन्दी में विनियम बनाये जाने तक भी चलाया जा सकता है, तो मुझे तो जानकारी है नहीं कि किस तरह से कार्य चला, क्योंकि इमरजेंसी के अन्दर संजय गांधी और इंदिरा गांधी जो कहते थे वही काम होता था, कोई कानून तो था नहीं । तो कैसे चला, यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, सर्वप्रथम तो हर अधिनियम में इस बात का प्राविधान होता है कि उपनियम और विनियम बनाये जाते हैं। जब अधिनियम प्रभावी हो जाता है तो उसके कुछ दिनों के बाद ही उपनियम और विनियम बनाये जाते हैं। तो मैंने यह कहा है कि मूल अधिनियम सितम्बर, १९७५ में बना था और जो प्रश्नगत विनियम हैं ये ४ जून, १९७७ को प्रभावी हुए। तो चूंकि भाषा सम्बन्धी विनियम बनाने में समय लगेगा तो जिस तरह से कार्य चला उसी तरह से आगे होगा ?

श्री अध्यक्ष--

आज सदन का समय १० मिनट बढ़ाया जाता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

अंग्रेजी में बने विनियमों को निरस्त करने का जो कार्य माननीय मंत्री जी ने किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। अब यह हिन्दी में विनियम बनने का कार्य कितने दिन में पूरा हो जायेगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

हिन्दी में विनियम की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है और निश्चित रूप से १५ दिन के अन्दर हिन्दी में विनियम बन कर तैयार हो जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इतने समय तक जो अंग्रेजी में बने विनियम के अनुसार कार्य होता रहा तो बहुत से निर्णय उस अंग्रेजी विनियम के अनुसार हो गये होंगे, तो क्या वे भी निर्णय निरस्त हो जायेंगे ? उनकी वैधानिक स्थिति क्या होगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, यह तो एक वैधानिक प्रश्न है। इसकी जांच करानी पड़ेगी। लेकिन हर अधिनियम में रिमूवल आफ डिफीकल्टीज का अधिकार सरकार को है। अगर कोई दिक्कत आयेगी तो उसे दूर किया जायेगा।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

हिन्दी में कार्य करने के जब जनता सरकार के आदेश थे, तो अंग्रेजी में यह कार्य क्यों हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

उसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

अंग्रेजी में बने विनियमों को निरस्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उनका हिन्दी में रूपान्तर क्यों नहीं करा दिया गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

विनियम हिन्दी में ही बनने चाहिये थे । माननीय सदस्य तो बहुत पुराने सदस्य हैं इस सदन के, वे जानते हैं हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी ही है और वे मूल रूप में हिन्दी में ही बनन चाहिए थे । मूल अधिनियम भी हिन्दी में ही बनते हैं, उनका अनुवाद अंग्रेजी में होता है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

शासन की भाषा नीति के विपरीत अन्य कई निगम कार्य कर रहे हैं । क्या इस जल निगम ने भी उन्हीं का अनुकरण किया ?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, आपने कहा यह कोई प्रश्न नहीं है । मैं उसका मतलब स्पष्ट कर देता हूं । कई कार्पोरेशन्स ऐसे हैं जो आज भी सरकार की भाषा नीति का उल्लंघन कर रहे हैं, तो मैंने पूछा था कि क्या इस जल निगम ने भी उसी प्रकार से भाषा नीति का उल्लंघन किया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो व्यंगात्मक है और आप तर्क उपस्थित कर रहे हैं । प्रश्न पूछने का एक तरीका होता है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

जो विनियम निरस्त किए गए हैं क्या उनका रूपान्तर या अनुवाद की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है, या उनका रूपान्तर न होकर शुरू से ही उनको बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

हिन्दी में विनियम बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

विनियम अंग्रेजी में बन चुके हैं, आप उनका रूपान्तर हिन्दी में करा रहे हैं, या अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार नये सिरे से बनवा रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, रूपान्तर नहीं किया जा रहा है बल्कि विनियम जो बनाया जायगा, राष्ट्र भाषा में बनाया जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

तो आपका क्या तात्पर्य है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मेरा तात्पर्य यह है कि जो विनियम बनाया जायगा, जो अंग्रेजी में है, उसको देख कर हिन्दी भाषा में विनियमन बनेगा ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि २६ अप्रैल को माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी हुई और उसके पहले जो विनियम बना था अंग्रेजी भाषा में था। २७ को जो आपने निरस्त करने का आदेश दिया, क्या आपने हिन्दी भाषा में निरस्त करने का आदेश दिया है या अंग्रेजी में निरस्त करने का आदेश दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आपने हिन्दी में हस्ताक्षर किए हैं कि अंग्रेजी भाषा में ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, हस्ताक्षर बहुत दिनों से मैं हिन्दी में करता आया हूं। २७ अप्रैल को माननीय राज्यपाल के नाम से जो आदेश प्रसारित किया गया है, मेरे आदेश के अनुपालन में, मान्यवर, वह भी हिन्दी में ही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी के जो स्पष्टीकरण हुए हैं, उससे मैं यह स्पष्टीकरण निकाल सकता हूं कि जो विनियम बन कर तैयार होने वाले हैं और जो अंग्रेजी में बने हैं, उसमें कुछ परिवर्तन होंगे या उसको परिवर्तित करने के लिए कोई समिति गठित हुई है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से लोग हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि अंग्रेजी के नियमों से सहायता लेकर नये नियम बनायेंगे। नियम बिलकुल नये होंगे। हो सकता है नियम अंग्रेजी के नियमों से भिन्न हों।

बढ़े हुए लगान तथा भूमि विकास कर की वसूली के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

अब श्री कल्पनाथ सिंह का जो प्रस्ताव है, ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसे समय से रखा है कि इसमें समय मिलना कठिन है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अनुरोध किया है कि आज राजस्व मंत्री जी उपलब्ध नहीं हैं इसलिए इसे आज स्थगित कर दिया जाय। इसलिए इसको स्थगित किया जाता है।

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

१ मई, १९७८।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७९ पर)।

संलग्नक 'क'

सुझोन्मुख क्षेत्रीय कार्य-क्रम के अन्तर्गत स्वीकृत जिले व विकास खंड

जिले का नाम	नाम विकास खण्ड
१	२
१--मिर्जापुर	१--हलिया
	२--लालगंज
	३--मडिहान
	४--पहाड़ी
	५--सिटी
	६--छानबे
	७--चोपन
	८--चतरा
	९--नगवा
	१०--राबर्ट्सगंज
	११--घोरावल
	१२--राजगढ़
	१३--म्योरपुर
	१४--दुद्धी
	१५--वभनी
२--बांदा	१--नरैनी
	२--करवी
	३--पहाड़ी
	४--मानिकपुर
	५--मऊ
	६--रामनगर
३--हमीरपुर	१--सुमेरपुर
	२--महोबा
	३--मौदहा
	४--चरखारी
	५०--सरीला

१	२
४—आलौन	१—डकोर
	२—गदौरा
	३—महेवा
५—इलाहाबाद	१—मेजा
	२—ऊरवा
	३—मांडा
	४—कोरांव
	५—करछना
	६—चाका
	७—जसरा
	८—शंकरगढ़
६—वाराणसी	१—चकिया
	२—साहेब गंज
	३—नौगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा